पंजी सं. दिल्ली इन/2001/6138

कीजिए अपने निवेश का भरपूर पोषण

रा.आ.बैंक की इन बचत योजनाओं में निवेश कर बेहतर वापसी

प्राप्त कीजिए

एन एच बी सुनिधि सावधि जमा योजना

अधिक वापसी•सुरक्षित•स्मार्ट

एन एच बी सुवृद्धि सावधि जमा योजना (कर बचत)

अधिक वापसी•सुरक्षित•स्मार्ट

अधिक वापसी, सुरक्षित, स्मार्ट

- रु0 10,000/– के गुणकों में कम से कम 50,000/–रु0 का निवेश
- अधिकतम की कोई सीमा नहीं, किंतु 5 करोड़ रु0 या अधिक जमा राशि हेतु रा.आ.बैंक से पूर्व स्वीकृति आवश्यक
- जमा अवधि – 12 माह/24 माह/36 माह/60 माह
- ब्याज दर – 9.25 प्रति वर्ष की दर पर/वरिष्ठ नागरिकों के लिए 0.6% अतिरिक्त ब्याज की सुविधा (वर्तमान में लागू)

(आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट)

अधिक वापसी, सुरक्षित, स्मार्ट

- रु0 10,000/– के गुणकों में कम से कम 10,000/–रु0 का निवेश
- अधिकतम 1 लाख रु0 प्रति वित्त वर्ष हेतु
- स्थिर अवधि पांच वर्ष
- ब्याज दर – 9.25 प्रति वर्ष की दर पर/वरिष्ठ नागरिकों के लिए 0.6% अतिरिक्त ब्याज की सुविधा (वर्तमान में लागू)

अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें: रा.आ.बैंक, कोर 5–ए, चतुर्थ तल, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK
(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

कवर एवं सज्जा : हाइब्रिड प्रिन्ट प्रा.लि. : 9818651234

मुद्रण तिथि – 31 जनवरी 2014

आवास भारती

वर्ष 13, अंक 49, अक्टूबर–दिसम्बर, 2013

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

संपादकीय

प्रिय पाठकों,

मैं बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता को बढ़ाने की चुनौतियां विषय पर हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय सेमिनार में भाग लेकर लौटा हूं। बैंकों का लोन डिफॉल्ट रेट बढ़ने और उधारकर्ताओं द्वारा कर्ज अदायगी न करना बैंकिंग जगत, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। यह देश के आर्थिक ढांचे को छेद करने जैसी बात है। इसका सबसे बड़ा कारण बैंकों में मानव पूंजी (हयुमेन केपीटल) का असंतुलन होना है। आज बैंकिंग 30–30 के गणित में उलझ कर रह गई है। 30–30 का अर्थ 30 वर्ष के अनुभवशील अधिकारी जो रिटायरमेंट के करीब हैं और 30 वर्ष की उम्र के अधिकारी जिनके लिए काम की सीमा तय की गई है, टारगेट दिया गया है। उन्हें लम्बी रेस का घोड़ा समझ प्राइवेट बैंकों से तेज दौड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। एनपीए की मुख्य जड़ का यह एक हिस्सा है। हमें इस दौड़ को रोकना होगा। इनकी उचित मेंटरिंग होनी चाहिए। मेंटर स्वयं योग्य, विद्वान और अनुभवी होना चाहिए। क्वालिटी ग्राहक और क्वालिटी ऋणदाता पैदा करने होंगे। यह बिजनेस की बात है हिंदी के साथ–साथ व्यवसाय भी जरूरी है। सबको बैंक के कर्ज को चुकाने की आदत डालनी चाहिए; क्योंकि बैंक का कर्ज जनता के धन से दिया गया है जो कि बैंकों के पास एक ट्रस्ट के तहत रखा गया है। जनता के धन की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है।

अपने हिंदी के प्रयोग के प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए अक्तूबर–दिसम्बर, 2013 का तिमाही अंक 44 पृष्ठों के साथ आपको सौपते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। हिंदी का उत्कर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है ऐसा मुझे प्रतीत होता है क्योंकि अब सरकार द्वारा इस संबंध में आयोजित होने वाली बैठकों और सेमिनारों पर भारी कमी आई है। हां, यह बात अलग है कि कुछ हिंदी के निजी व्यवसाइयों द्वारा अपनी दुकानें खोल विभिन्न स्तर पर मार्केटिंग कर प्रतिभागी जुटाकर अध्ययन/अध्यापन के नाम पर सैरसपाटा किया/कराया जा रहा है। यह भी एक निराली तरह से हिंदी की सेवा है। मैं समझता हूं ऐसी दुकानों को तुरंत बंद करायी जानी चाहिए। यहां मैं एक सत्य बात कहना चाहता हूं। "जूता यूं चला बाटा हो गया, लोहा फौलाद बन टाटा हो गया, नालायकी का जादू यूं चला कि बैंकों को घाटा हो गया।" मेरा स्पष्ट मानना है कि ऐसे निजी प्रशिक्षण संस्थानों (दुकानों) से हिंदी को घाटा ही होगा। हां, आयोजकों/प्रायोजकों को जरूर धन का लाभ होगा। "पूछती हैं मछलियों से मछलियां – यह नदी हमको कहां ले जाएगी। पूछती हैं पीढ़ियों से पीढ़ियां – यह सदी हमको कहां ले जाएगी।"

दूसरी चिंतन करने की बात यह है कि अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। इस संबंध में सरकार ने हिंदी प्रशिक्षण योजना चला कर अच्छा प्रयास किया है। हिंदी न जानने या कम जानने वाले कुछ अधिकारी/कर्मचारी जरूर चाहते हैं कि उन्हें हिंदी के दीर्घकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामित किया जाए। उन्हें भेजा भी जाता है लेकिन प्रशिक्षण पश्चात वह हिंदी में कार्य नहीं करते हैं। पूछने पर पता चलता है कि वे प्रशिक्षण लेने नहीं, बल्कि बैंक के व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय चुरा कर आराम करने गये थे। प्रशिक्षण से उन्हें कुछ भी लेना–देना नहीं था। वाह साहब, क्या बात है। यह कैसा देश प्रेम व कर्तव्य के प्रति कैसी निष्ठा और अपनी भाषा के प्रति कैसा सम्मान। इस मामले में सुधार होना चाहिए। प्रशिक्षण लें या ना लें सरकारी नीति के तहत हिंदी में कार्य करना अनिवार्य है। हिंदी के वार्षिक कार्यक्रम की सभी मदों का अनुपालन करना है तथा राजभाषा नीति नियमों का पालन भी करना है। तीसरी चिंतनीय बात बैंक में नये भर्ती होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को बैंकिंग की स्तरीय पुस्तकें हिंदी में कैसे उपलब्ध हों। इसका आसान हल यह हो सकता है कि बैंकिंग विषय पर बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा लिखित और प्रकाशित पुस्तकें सभी बैंकों में उपलब्ध हों जिसे पढ़कर नव–नियुक्त कर्मचारी/अधिकारी बैंकिंग में हिंदी की अच्छी शुरूआत कर सकें ताकि बैंकिंग में हिंदी और हिंदी में बैंकिंग दोनों मत सफल हो सकें। यह तभी संभव है जब हम खुद पर विश्वास करें ठीक उसी तरह से जैसे कि एक इस गीत के बोल हैं –"हम को मन की शक्ति देना मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें।" 'ओशो' की विचार धारा भी यही कहती है कि खुद को बुलंदी पर पहुंचाओ, तुम महत्वपूर्ण हो, इसलिए तुम परिपूर्ण, समर्थ, सक्षम और शीलवान हो जाओ। चौथी महत्वपूर्ण चिंतनीय बात यह है कि वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा हिंदी में कार्य करने के लिए क्या उपाय किए जाएं। वास्तव में नदी की धारा ऊपर से नीचे की ओर बहनी चाहिए ना कि नीचे से ऊपर की ओर। नदी की धारा कभी भी नीचे से ऊपर की ओर नहीं बहती और बहनी भी नहीं चाहिए। यह प्रकृति के नियमों के विरूद्ध है। ऐसे में यही बचता है कि ईश्वर ही वरिष्ठ कार्यपालकों को सद्बुद्धि दे कि वे भी हिंदी के इस महाप्रयाग में स्नान कर पुण्य कमाएं। मगर राष्ट्रीय आवास बैंक के वरिष्ठतम/वरिष्ठ कार्यपालक इसमें अपवाद है। उनके पुण्य प्रताप से ही "आवास भारती" के प्रत्येक अंक को सजाने–संवारने में हमें मदद मिलती है। हम उनके अभारी हैं। एक कहावत के अनुसार आप प्रणाम किसी भी देवी–देवता को करें, वह पहुंचता है विष्णु भगवान की ओर। इसलिए हिंदी राजभाषा के प्रचार–प्रसार के प्रगामी प्रयोग में हम जो भी प्रयास कर रहे हैं उसका श्रेय हमारे बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर.वी. वर्मा जी को ही जाता है। हिंदी राजभाषा ही नहीं राज की भाषा है, यह हमारी भारत मां की भाषा है। हिंदी के प्रगामी प्रयोग में हम अपना प्रयास जारी रखेंगे और आवास भारती का प्रत्येक अंक नवीनतम रूप में आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया की हमें प्रतीक्षा रहेगी।

धन्यवाद!

डॉ. जी.एन. सोमदेवे
संपादक एवं सहा0 महाप्रबंधक
मो.: 9560900451
email-gnsomdeve@nhb.org.in

आवास भारती

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका
(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)
पंजी. संख्याः दिल्ली इन/2001/6138
वर्ष 14, अंक 50, अक्टूबर–दिसम्बर, 2013

विषय सूची

विषय	पृष्ठ सं.
संपादकीय	1
रा.आ.बैंक–केएफडब्ल्यू के द्वारा ऊर्जा दक्ष	3
राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार	4
राजभाषा पुरस्कार	7
बैंक में नियुक्त अधिकारीण का संक्षिप्त परिचय	8
राजीव ऋण योजना – महत्व एवं आयाम	9
मकान की खरीददारी में सावधानियां	12
भारतीय मुद्रा के निर्माण की कहानी	14
हिंदी की सार्वभौमिकता	16
सादे जीवन का रहस्य	17
नीतियां एवं प्रगति	18
वचनों का महत्व	19

विषय	पृष्ठ सं.
भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी	20
चमत्कारी बाबा–2	23
अफवाहों के दुष्परिणाम	25
समाज एवं सन्मार्ग	26
परमाणु ऊर्जा – कितनी सुरक्षित	28
मनोविक्षिप्ति	31
लोकपाल सिटीजन चार्टर और निवेश	34
नेल्सन मंडेला	36
साझा प्रबंधन एवं विकास	39
भारतीय अर्थव्यवस्था और 2014 में संभावनाएं	41
अच्छी योजनाा की घटिया परिणिति–कुपोषित बच्चे	42
लालच बुरी बला (लघु कथा), विनोबा भावे	43
काव्य सुधा	44

प्रधान संरक्षक
राज विकास वर्मा,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
संयुक्त संरक्षक
अर्णव रॉय, कार्यपालक निदेशक
संरक्षक
एन. उदय कुमार, उप महाप्रबंधक
संपादक
जी. एन. सोमदेवे, सहायक महाप्रबंधक
सहायक संपादक
अमर सिंह सचान, राजभाषा अधिकारी

संपादक मंडल
रंजन कुमार बरुन, क्षेत्रीय प्रबंधक
किशोर कुंभारे, क्षेत्रीय प्रबंधक
मोहित कौल, क्षेत्रीय प्रबंधक
राधिका मूना, उप प्रबंधक
रुचि वशिष्ठ, सहायक प्रबंधक
प्रभात रंजन, सहायक प्रबंधक

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं। संपादक या बैंक का इनके लिए जिम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK
(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

कोर–5 ए, 3–5वां तल,
इंडिया हैबिटेट सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

रा.आ.बैंक-केएफडब्ल्यू के द्वारा ऊर्जा दक्ष आवासों पर दिनांक 25-26 नवंबर, 2013 को नई दिल्ली में प्रथम वार्षिक सम्मेलन

नये ऊर्जा दक्ष रिहायशी आवासों हेतु संवर्धन कार्यक्रम के तहत ऊर्जा दक्ष आवासों पर प्रथम वार्षिक सम्मेलन दिनांक 25–26 नवंबर, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य ऊर्जा दक्ष रिहायशी आवास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना था जो भारत में रा.आ.बैंक और केएफडब्ल्यू डिवलेपमेंट बैंक ऑफ जर्मनी के बीच सहभागिता के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, जबकि विभिन्न शेयरधारकों की सहभागिता भी बढ़ी है। अपनी तरह का प्रथम सम्मेलन, इस प्रकार संरचित किया गया जिससे कार्यक्रम से संबद्ध विभिन्न शेयरधारकों के विचार, दृष्टिकोण और अनुभवों को साझा किया जा सके।

सम्मेलन के उदघाटन सत्र के मुख्य अतिथि, श्री एच.आर.खान, डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक ने रा.आ.बैंक–केएफडब्ल्यू सहभागिता की सराहना की और यह आशा व्यक्त की कि समय के साथ कार्यक्रम उम्दा एवं व्यापक होता जाएगा। श्री खान के साथ मंच पर अन्य प्रसिद्ध वक्ताओं में श्री अजय माथुर, महानिदेशक, ब्यूरो ऑफ ऐनर्जी ऐफिशियेंसी, श्री पीटर हिल्गिस, इंडिया कंट्री हेड, केएफडब्ल्यू डिवलेपमेंट बैंक, जर्मनी और इनके साथ ही श्री आर.वी. वर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय आवास बैंक शामिल थे। उदघाटन सत्र के वक्ताओं ने ऊर्जा दक्ष आवासों की संकल्पना पर अपने विचार और राय साझा किये और सहभागियों को नई अंतर्दृष्टि एवं दृष्टिकोण प्रदान किये। बाद के सत्रों में अन्य वक्ताओं एवं सहभागियों में बैंकों, आ.वि. कंपनियों, औद्योगिक निकायों, विकासकों के समुदाय, उद्योग कारोबारियों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे केएफडब्ल्यू, आईएफसी, डब्ल्यूबी, डीएफआईडी और अनुसंधान संस्थानों जैसे दि ऐनर्जी रिसर्च इंस्टींट्यूट (टेरी), एडेल्फी एंड ऐन्वायरमेंटल डिजाइन सॉल्यूशन (पी) लि. (ईडीएस), सीआईआई–इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) आदि से प्रतिनिधि शामिल थे।

प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री आर.वी.वर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रा.आ.बैंक। मंच परः श्री अर्णब रॉय, कार्यपालक निदेशक, रा.आ. बैंक; श्री अजय माथुर, महानिदेशक, बीईई; श्री एच.आर. खान, डीजी, भारतीय रिजर्व बैंक; श्री पीटर हिल्गिस, कंट्री हेड–इंडिया, केएफडब्ल्यू

उदघाटन सत्र के अतिरिक्त सम्मेलन में चार तकनीकी सत्र आयोजित किये गये जिनमें ऊर्जा दक्ष आवासों हेतु डिजाइन, बिजनेस केसेज, फाइनेंसिंग मॉडल्स तथा डिमांड क्रियेशन जैसे क्षेत्र समाविष्ट थे। दो दिन की अवधि के दौरान सम्मेलन में ऊर्जा दक्ष आवासों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और उक्त पर विभिन्न विचार प्रस्तुत किये गये, जिनमें महत्वपूर्ण हैं अंतिम उपभोक्ता को स्पष्ट लाभ उपलब्ध करवा कर और सचेत प्रयासों के माध्यम से हरित आवासों की संकल्पना के संबंध में जागरूकता बढ़ाना, ग्रामीण आवासों के लिये कार्यक्रम को व्यापक बनाना, ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के विश्वसनीय प्रमाणपत्र की आवश्यकता, कार्यक्रम को बढ़ावा देने में स्थानीय निकायों की भागीदारी, इसी तरह के कार्यक्रमों में सहभागिता द्वारा प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई) के सीएसआर लक्ष्य प्राप्त करने के लिये वित्तीय हस्तक्षेप द्वारा कार्यक्रम का उन्नयन।

शेयर धारकों के बीच ज्ञान, अनुभव एवं जानकारी बांटने के लिये और शेयर धारकों के विभिन्न वर्गों द्वारा झेली जा रही विभिन्न समस्याओं की पहचान करने के लिये भी बैठक ने एक मंच के तौर पर कार्य किया तथा इन समस्याओं का समाधान करने के लिये ऐसे तरीके सुझाये गये ताकि कार्यक्रम का उन्नयन हो और प्रत्यक्ष तरीके से ऊर्जा दक्ष आवासों के स्वामित्व में वृद्धि हो।

राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार

अकोला, महाराष्ट्र में 7 एवं 8 अक्तूबर, 2013 को ग्रामीण आवास वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

7 अक्तूबर, 2013 को प्रातः 10 बजे सभी प्रतिभागियों का पंजीकरण एवं स्वागत संबोधन के साथ स्वागत किया गया। प्रशिक्षण का पहला सत्र भारतीय स्टेट बैंक स्टाफ कालेज के पूर्व उप महाप्रबंधक एवं संकाय श्री गणेश रामामूर्ति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा आवास वित्त की वाणिज्यिक उपादेयता एवं आवास ऋणों के विपणन पर लिया। चायकाल के पश्चात दूसरे सत्र को भी गणेश रामामूर्ति जी ने ही संबोधित किया और आपने आवास ऋणों के आवेदन पत्रों का प्रक्रमण एवं ऋण मूल्यांकन भाग–I पर लिया।

लंच के बाद प्रशिक्षण का तीसरा सत्र भारतीय स्टेट बैंक स्टाफ कालेज के पूर्व सहायक महाप्रबंधक एवं संकाय श्री एल. राजन ने लिया, जिसमें कानूनी पहलुओं सहित आवास ऋणों के दस्तावेजीकरण/अभिलेखन के बारे में जानकारी प्रदान की। आज का चौथा एवं अंतिम सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक श्री वैभव रामटेके ने लिया, जिसमें आपने ग्रामीण आवास परिदृश्य तथा रा.आ.बैंक की योजनायें एवं प्रयासों के बारे में बताया कि वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए कितने उपयोगी एवं अनुकूल है।

इस प्रशिक्षण के दूसरे दिन 8 अक्तूबर, 2013 को प्रातः 10 बजे 5वां सत्र प्रारंभ हुआ। यह सत्र रा.आ.बैंक के प्रबंधक श्री वैभव रामटेके ने लिया, जिसमें सरसाई की भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। चायकाल के बाद छठा सत्र स्टेट बैंक स्टाफ स्टाफ कालेज के पूर्व उपमहाप्रबंधक एवं वरिष्ठ संकाय श्री गणेश रामामूर्ति ने लिया जिसमें आपने आवास ऋण आवेदनों के प्रक्रमण एवं ऋण मूल्यांकन के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण का सातवां सत्र स्टेट बैंक स्टाफ कालेज के ही पूर्व सहायक महाप्रबंधक एवं संकाय श्री एल.राजन ने लिया जिसमें आपने ऋण संवितरण अनुपालन एवं ग्रामीण आवास ऋणों की वसूली पर जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण का अंतिम एवं आठवां सत्र सामूहिक परिचर्चा प्रश्नोत्तर एवं शंका समाधान पर आयोजित किया गया।

नागपुर में अक्तूबर, 2013 को शहरी सहकारी बैंकों के लिए आवास वित्त पर प्रशिक्षण

नागपुर में इस प्रशिक्षण का पहला सत्र 9 अक्तूबर, 2013 को प्रातः 10:00 बजे स्वागत एवं पंजीकरण के पश्चात प्रारंभ हुआ। इस सत्र का विषय था – "आवास ऋण एवं ऋण मूल्यांकन"। इस सत्र को स्टेट बैंक स्टाफ कालेज के पूर्व उपमहाप्रबंधक एवं वरिष्ठ संकाय श्री गणेश रामामूर्ति ने संबोधित किया। इसी सत्र के पश्चात श्री गणेश रामामूर्ति जी ने ही "आवास ऋण तकनीकी मूल्यांकन" विषय पर लिया, जिसमें आपने आवास ऋणों के दस्तावेजों के अभिलेखन तथा कानूनी बिदुंओं पर प्रकाश डाला।

इस प्रशिक्षण का तीसरा सत्र भोजनवकाश के बाद प्रारंभ हुआ, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संबोधित किया और आपने अपने संबोधन में आवास वित्त के परिप्रेक्ष्य में शहरी सहकारी बैंकों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण का चौथा सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री वी. वैदीश्वरन ने लिया, जिसमें आपने शहरी सहकारी बैंकों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की पुनर्वित्त योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। इस प्रशिक्षण का आखिरी एवं पांचवां सत्र स्टेट बैंक स्टाफ कालेज के पूर्व सहायक महाप्रबंधक एवं संकाय श्री एल. राजन ने लिया, जिसमें आपने आवास ऋणों के कानूनी मूल्यांकन एवं वसूली पक्ष पर प्रकाश डाला। प्रश्न एवं उत्तर के संवाद के साथ प्रशिक्षण का समापन हुआ।

उदयपुर में 24 एवं 25 अक्तूबर, 2013 को ग्रामीण आवास वित्त पर प्रशिक्षण

उदयपुर में ग्रामीण आवास वित्त पर प्रशिक्षण का पहला सत्र प्रातः 10:00 बजे प्रारंभ हुआ जिसे स्टेट बैंक स्टाफ कालेज के पूर्व उप महाप्रबंधक एवं वरिष्ठ संकाय सदस्य श्री गणेश रामामूर्ति ने संबोधित किया। आप ने अपने संबोधन में प्रतिभागियों को आवास वित्त के व्यापार (व्यवसाय) की उपादेयता एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा आवास ऋणों के विपणन के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण का दूसरा सत्र रा.आ.बैंक के प्रबंधक श्री आर.के. अरविंद ने लिया। इस सत्र में आपने ग्रामीण आवास परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए रा.आ.बैंक की योजनाओं एवं अन्य प्रयासों पर प्रकाश डाला।

प्रशिक्षण का तीसरा सत्र भोजनोपरांत प्रारंभ हुआ जिसे रा.आ. बैंक के प्रबंधक श्री आ.के. अरविंद ने ही संबोधित किया। इस अवसर पर आपने निम्न आम आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि योजना (सीआरजीएफएसएलआईएच) तथा प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निमाण एवं प्रतिभूति स्वत्व की केन्द्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई–सरसाई) पर प्रकाश

डाला। ये दोनों योजनाएं रा.आ.बैंक के माध्यम प्रचालन में आई थी, अतः इनकी महत्ता को विस्तार में बताया गया।

इस प्रशिक्षण का चौथा सत्र स्टेट बैंक स्टाफ कालेज के पूर्व महाप्रबंधक एवं वरिष्ठ संकाय श्री गणेश रामामूर्ति ने लिया, जिसमें आपने आवास ऋण के आवेदनों की ऋण मूल्यांकन एवं प्रक्रिया संबंधी जानकारी प्रदान की।

उदयपुर में दिनांक 25 अक्तूबर, 2013 को प्रशिक्षण का पांचवा सत्र प्रारंभ हुआ। इस सत्र को बैंक आफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक एवं संकाय श्री वी.के. त्यागी ने संबोधित किया जिसमें आपने तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आवास ऋणों के मूल्यांकन तथा कानूनी पहलू से मूल्यांकन एवं प्रकार्यात्मकता पर प्रकाश डाला।

प्रशिक्षण का छठवां सत्र स्टेट बैंक स्टाफ कालेज के पूर्व उप महाप्रबंधक एवं वरिष्ठ संकाय श्री गणेश रामामूर्ति ने लिया। इस सत्र में आपने भी कानूनी पहलुओं के मद्देनजर आवास ऋण के प्रलेखन के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण का सातवां सत्र ग्रामीण आवास ऋणों के संवितरण एवं आवास ऋणों की वसूली के बारे में था जिसे बैंक आफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक एवं संकाय श्री वी.के. त्यागी ने संबोधित किया। प्रशिक्षण का आखिरी सत्र प्रश्न उत्तर एवं सामूहिक परिचर्चा पर था।

चेन्नई में 11 एवं 12 नवंबर, 2013 को आवास ऋण प्रलेखन एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

पंजीकरण, सामूहिक मेल–मिलाप एवं परस्पर परिचय तथा सामूहिक फोटोग्राफ के साथ प्रथम सत्र की शुरूआत की गई। इस सत्र को स्टेट बैंक स्टाफ कालेज हैदराबाद के पूर्व उप महाप्रबंधक एवं वरिष्ठ संकाय श्री गणेश रामामूर्ति ने संबोधित किया। सत्र के दौरान आपने प्रलेखन के अनिवार्य तत्वों के अंतर्गत उद्देश्य एवं महत्व, प्रलेख (दस्तावेज) एवं अभिलेखन की परिभाषा, प्रलेखीकरण की महत्ता, दस्तावेज के प्रमुख बिंदुओं तथा केस स्टडी–पर प्रकाश डाला।

दूसरे सत्र को भी गणेश रामामूर्ति जी ने ही संबोधित किया जिसमें आपने दस्तावेज के आवश्यक तत्वों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ऋणकर्ताओं के लिए दस्तावेज का क्रियान्वयन एवं साक्ष्यों (प्रमाणों) की बोझिलता पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही हस्तलेख एवं हस्ताक्षरों के प्रमाणन की प्रविधि, खाली दस्तावेजों/कोरे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर प्राप्त करना/सहमति देना, ऋणकर्ता के पढ़ने योग्य भाषा में दस्तावेज प्रलेखन, प्रमाणों की जिम्मेदारी तथा अनपढ़ व्यक्तियों एवं पर्दाधारी औरतों की पहचान एवं उनके दस्तावेज बनाना; गवाहों तथा अनुबंधों व प्रलेखों में अंतर; आवास ऋण के अनुबंध में महत्वपूर्ण धाराएं/शर्तें तथा केस स्टडी–2 के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान की गई।

भोजनोपरांत प्रशिक्षण का तीसरा सत्र प्रारंभ किया गया जिसके अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज भाग–2 के तहत, कानूनी दांव–पेंच, वैधता तथा प्रतिभूति की प्रवर्तनीयता और भारतीय करार अधिनियम, 1872 एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत तमाम प्रावधानों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही इस सत्र में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, भारतीय स्टैंप अधिनियम 1899, साक्ष्य अधिनियम 1972, पंजीकरण अधिनियम 1908 तथा परिसीमन अधिनियम 1963 आदि के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की गई। इस सत्र को स्टेट बैंक आफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक (विधि) श्री मोहनदास ने प्रस्तुत किया था।

प्रशिक्षण का चौथा सत्र इंडियन स्टैंप एक्ट की धारा 2(12) के कार्यान्वयन की परिभाषा तथा आवास ऋण करार की महत्वपूर्ण धाराओं एवं उपबंधों की परिचर्चा पर था। इसे भी श्री मोहनदास ने ही संबोधित किया। इसके साथ ही आपने आवास ऋण में "आवास खरीददारी के समय सावधानियों के मूल मंत्र पर प्रकाश डाला एवं इसकी उपादेयता बताई।" पावर आफ अटार्नी के धारक के प्रति बरती जानेवाली सावधानियां भी बताई। इसके साथ–साथ आपने अवयस्क एवं कृषि भूमि पर भूसंपदा के विकास के बारे में भी सावधानियों पर प्रकाश डाला।

इस प्रशिक्षण का पांचवा सत्र इंडिया मार्टगेज गारंटी कार्पोरेशन प्रा० लि० के सीएफओ श्री राजीव अरोड़ा ने संबोधित किया, जिसमें आपने मार्टगेज गारंटी/मार्टगेज बीमा–वैश्विक परिदृश्य, मार्टगेज पर बाजारी अनुसंधान के निष्कर्षों, भारतीय परिप्रेक्ष्य, उत्पादन डिजायन तथा लाभ और मार्टगेज बाजार के प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान की।

इस प्रशिक्षण में अगले दिन 12 नवम्बर, 2013 को छठवें सत्र की शुरूआत स्टेट बैंक आफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक (विधि) श्री मोहनदास के द्वारा की गई जिसमें आपने प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय आस्ति पुनर्निमाण और प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) तथा सरफेसी अधिनियम के माध्यम से ऋण वसूली पर प्रकाश डाला गया।

इस प्रशिक्षण का सातवां सत्र स्टेट बैंक स्टाफ कालेज के पूर्व सहायक महाप्रबंधक एवं संकाय श्री एल. राजन द्वारा लिया गया। इस सत्र में आपने ऋणदाता द्वारा लिए जाने वाले

विभिन्न प्रकार के साधारण एवं प्रचलित प्रभारों के निर्माण एवं प्रभार पर प्रकाश डाला। आपने ही आठवां सत्र लिया, जिसमें यह बताया गया कि पीडीसी, चेक ऑफ, एसआई एवं इसीएस इत्यादि तरह के प्रपत्रादि की साज–संभाल कैसे की जाती है।

इस प्रशिक्षण नौवां सत्र स्टेट बैंक स्टाफ कालेज के पूर्व उप महाप्रबंधक एवं वरिष्ठ संकाय श्री गणेश रामामूर्ति ने लिया जिसमें आपने तीसरे पक्ष की गारंटी तथा वैयक्तिक आवास

ऋण हेतु निजी गारंटीकर्ता की आवश्यकता आदि पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण के अंत में प्रश्नोत्तर परिचर्चा के पश्चात प्रमाण पत्र वितरण के साथ प्रशिक्षण समाप्त घोषित किया गया।

गुड़गांव में 19–20 नवंबर, 2013 को ग्रामीण आवास वित्त पर प्रशिक्षण

गुड़गांव में 19 नवंबर, 2013 में आयोजित इस प्रशिक्षण का पहला सत्र स्टेट बैंक अकादमी गुड़गांव के सहायक महाप्रबंधक एवं संकाय श्री विमल कुमार ने लिया। इसमें आपने प्रशिक्षणार्थियों को ग्रामीण आवास वित्त की व्यापारिक उपादेयता एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा आवास ऋण के संवितरणों के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण का दूसरा सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक, दिल्ली के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री सुनील रसानिया ने लिया, जिसमें आपने निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएमटीएलआईएच) के बारे में जानकारी दी जो आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा संपोषित योजना है जिसके तहत निम्न आय वर्ग के ऋण हेतु यह न्यास (ट्रस्ट) एक गारंटर की भूमिका निभाता है।

प्रशिक्षण का तीसरा सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक की प्रबंधक सुश्री प्राची तंवर ने संबोधित किया। अपने संबोधन में आपने वर्तमान ग्रामीण आवास परिदृश्य एवं भारत सरकार की तमाम पहलों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं ग्रामीण आवास हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण का चौथा सत्र सरसाई के सहायक महाप्रबंधक (विधि) श्री सुमेश लोही ने लिया। आपने इस सत्र में लोगों को प्रतिभूतिकरण परसंपत्ति पुनर्निमाण एवं प्रतिभूति हित की केन्द्रीय रजिस्ट्री (सरसाई) की भूमिका के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अगले दिन दिनांक 20 नवंबर, 2013 को प्रशिक्षण का पांचवां सत्र स्टेट बैंक अकादमी गुड़गांव के सहायक महाप्रबंधक एवं संकाय श्री डी.एन. डुडेजा ने लिया। इसमें आपने आवास ऋण के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के मूल्यांकन एवं प्रक्रियाकरण के बारे में जानकारी प्रदान की जिसमें एक रोल प्ले और एक केस स्टडी के माध्यम से विषय को रोचकतापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया। श्री डी.एन. डुडेजा ने छठवां सत्र भी संबोधित किया जिसमें आपने आवास ऋण के प्रलेखन एवं दस्तावेजीकरण के कानूनी पहलुओं को केसों के एक सेट द्वारा एवं केस स्टडीज द्वारा समझाया।

इस प्रशिक्षण का सातवां सत्र बैंक आफ इंडिया एसटीसी, नोएडा के उपाध्यक्ष ने लिया जिसमें आपने आवास ऋणों हेतु प्राप्त आवेदनों के तकनीकी एवं कानूनी मूल्यांकन के साथ प्रक्रियात्मकता के बारे में जानकारी प्रदान की। श्री अरूण कुमार जी ने ही आज के प्रशिक्षण का आठवां सत्र संबोधित किया, जिसमें आपने आवास ऋणों की संवितरण प्रक्रिया, अनुपालन एवं वसूली प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की और इसको रोचक बनाने हेतु रोल प्ले एवं केस स्टडीज का सहारा लिया गया। प्रशिक्षण का अंतिम सत्र सामूहिक चर्चा के रूप में हुआ जिसमें प्रश्नोत्तर के साथ उपयोगिता के बारे में विस्तत चर्चा की गई।

पुदुचेरी (पांडुचेरी) में 26 से 28 दिसंबर, 2013 की अवधि में आवास वित्त के कानूनी पहलू पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

पुदुचेरी में 26 दिसंबर को प्रशिक्षण की शुरूआत पंजीकरण एवं स्वागत संबोधन के साथ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय रिजर्व बैंक के प्रधान विधि सलाहकार श्री जी.एस. हेगड़े ने किया। प्रशिक्षण के पहले सत्र में श्री हेगड़े जी ने आवास वित्त में दस्तावेजीकरण एवं स्वत्वाधिकारों की जांच में ध्यान दिए जानेवाले महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला।

प्रशिक्षण का दूसरा सत्र इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि0 के उप महाप्रबंधक श्री एस.डी. नंदा के द्वारा लिया गया। इस दौरान आपने प्रशिक्षुओं को बताया कि सरफेसी के अंतर्गत आनेवाले केसों के अलावा आवास ऋणों की वसूली एवं गिरवी/रेहन को ध्यान में रखते हुए ऋणों का अनुपालन तथा मार्टगेज, गारंटी, रेहन तथा अन्य प्रतिभूतियों के संदर्भ में विधि एवं प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई थी।

प्रशिक्षण का चौथा सत्र कंपनी लॉ बोर्ड के पूर्व सदस्य श्री के. के. बालू के द्वारा लिया गया जिसमें उपभोक्ता संरक्षण

अधिनियम 1986 के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

सत्ताइस दिसंबर को प्रशिक्षण का चौथा सत्र एडवोकेट श्री पाला रामास्वामी ने लिया। इसके अंतर्गत आपने प्रतिभूति स्वत्व के प्रबलीकरण की विधि एवं प्रक्रिया भाग – ख की जानकारी प्रदान की। आपने ही इसी विषय पर भाग– दो में सत्र पांच में और अधिक विस्तार से जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण का छठवां सत्र पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व महाप्रबंधक एवं प्रमुख सतर्कता अधिकारी श्री डी.के. गुप्ता ने लिया जिसमें आपने आवास वित्त में निधियों एवं योजनाओं की जानकारी प्रदान की। आज का अंतिम एवं प्रशिक्षण का सातवां सत्र सरसाई (भारतीय प्रतिभूति परिसंपत्ति पुनर्निमाण एवं प्रतिभूति हित की केन्द्रीय रजिस्ट्री) विषय पर था जिसमें सरसाई की महत्ता को बताते हुए धोखा–धड़ी से रोकथाम एवं बचाव के साधन के रूप में प्रतिपादित किया गया।

इस प्रशिक्षण के अंतिम दिन दिनांक 28 दिसंबर, 2013 को आठवां सत्र में भारतीय रिजर्व बैंक के संकाय द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 एक विहंगावलोकन पर जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण का अगला सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री आर.एस. गर्ग ने लिया जिसमें आपने हाल ही में हुए मुकदमों के निर्णयों का हवाला देकर विषय की व्यापकता एवं गंभीरता का वर्णन किया। प्रशिक्षण का अंतिम सत्र परस्पर चर्चा एवं उपसंहारात्मक रहा। जहां सभी चर्चित विषयों पर एक संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम को समेटने का प्रयास किया। तदंतर प्रशिक्षण में प्रमाण पत्र वितरण एवं धन्यवाद सहित उसके समापन की घोषणा की गई।

बधाई

श्री विजय कुमार सोमदेवे, प्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई दिनांक 1 जनवरी, 2014 से सहायक महाप्रबंधक पद पर प्रोन्नत हुए। इनकी पदस्थापना बैंकिंग निरीक्षण विभाग मुंबई में है। आप डा0 जी.एन. सोमदेवे, सहायक महाप्रबंधक एवं संपादक आवास भारती के सुपुत्र है।

राजभाषा पुरस्कार

20 दिसंबर, 2013 को दिल्ली बैंक नराकास के द्वारा 39वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बैंकों की राजभाषा गतिविधियों की समीक्षा की गई। समीक्षा मे बैंक की राजभाषा प्रगति सराहनीय पाई गई।

इसी बैठक के दौरान दिल्ली बैंक नराकास के द्वारा बैंक की गृह पत्रिका – आवास भारती को प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। बैंक की पत्रिका ने लगातार चौथी बार प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। इस पुरस्कार को बैंक की ओर से राजभाषा प्रभारी श्री एन. उदयकुमार, उप महाप्रबंधक एवं डा0 जी.एन. सोमदेवे तथा राजभाषा अधिकारी सहित अन्य उपस्थित अधिकारियों ने प्राप्त किया।

दिल्ली बैंक नराकास की ओर से गृह पत्रिका आवास भारती का प्रथम पुरस्कार ग्रहण करते हुए राजभाषा अनुभाग सहित बैंक के अन्य अधिकारीगण

बैंक में पिछली छमाही के दौरान नियुक्त अधिकारीगण का संक्षिप्त परिचय

मेरा नाम योगेश जैन है। मुझे भारतीय स्टेट बैंक और अदानी एंटरप्राइजेज के पहले काम का अनुभव है। मैंने वाणिज्य विभाग, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मास्टर्स किया है। मैंने स्नातक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बैंकिंग एवं बीमा) गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली से किया है। मैंने मॉडर्न पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा की है। मुझे किताबे पढ़ना पसंद है। मेरी पसंदीदा किताब "To kill a mocking" है। मैंने दिनांक 02.09.2013 को रा.आ.बैंक में सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्ति प्राप्त की है।

मेरा नाम रितम भट्टाचार्य है। मेरा जन्म पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली जिले बैद्यबाटी नामक स्थान पर हुआ। मेरी प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों से पूरी हुई। मेरी हायर सेकेंडरी की शिक्षा पश्चिम बंगाल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित श्रीरामपुर यूनियन इस्टीट्यूट से पूरी हुई। मैंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के राष्ट्रगुरु सुरेन्द्र नाथ नामक प्रतिष्ठित कालेज से बी.काम (आनर्स) किया एवं पंजाब टेक्नीकल यूनीवर्सिटी से एम.बी.ए. की शिक्षा प्राप्त की तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एवं फाइनेंस से जेएआईआईबी की शिक्षा पूरी की है। संगीत सुनना, फिल्में देखना, खेलों में भाग लेना एवं नई जगहों की यात्रा करना मेरे प्रिय शौक एवं रूचियां है। मैंने दिनांक 02.09.2013 को रा.आ.बैंक में सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्ति प्राप्त की है।

मेरा नाम अविशांत कुमार सिंह है। मेरी जन्म तिथि 29 जनवरी, 1989 है। मैं दिल्ली निवासी हूं। मैंने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से सूचना प्रौद्योगिकी में बी.टेक किया है। मैंने डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा की है। मुझे वीडीओ गेम्स खेलना पसंद है। मैंने www.gamersmint.com के लिए लेखन किया है। मैंने दिनांक 02.09.2013 को रा.आ.बैंक में सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्ति प्राप्त की है।

मेरा नाम वर्षा जैन है। मेरा मूल निवास कोलकाता है। मैंने अपनी माध्यमिक शिक्षा लोरेटो हाउस विद्यालय, कोलकाता से प्राप्त की है। इसके पश्चात मैंने 2012 में सैंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता से गणित में बी.एस.सी ऑनर्स पूरा किया और डाटा एनालिटिक्स में सर्टिफिकेशन प्राप्त किया। रा.आ.बैंक में नियुक्ति से पहले मैं आई.टी.सी लिमिटेड में तकनीकी प्रशिक्षार्थी के पद पर कार्यरत थी। मुझे नए लोगों से मिलना, आउटडोर गेम्स खेलना और नई जगहें घूमना पसंद है। मैंने दिनांक 03.09.2013 को रा.आ.बैंक में सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्ति प्राप्त की है।

मेरा नाम नेहा पांथरी है। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के ऑक्सफोर्ड सी.सेकेंडरी स्कूल से पूर्ण की है। और हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की है। मैंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में स्नातकोत्तर की है। मेरे पास एर्नस्ट एंड यंग के जोखिम प्रबंधन विभाग में काम करने का अनुभव है। दी नेमसेक मेरी पसंदीदा नॉवेल है। मैंने दिनांक 02.09.2013 को रा.आ.बैंक में सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्ति प्राप्त की है।

मेरा नाम अपराजिता जैन है। मेरा मूल निवास जयपुर है। मैंने अपनी स्कूली एवं माध्यमिक शिक्षा जयपुर से प्राप्त की है और राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.ई. (इलेक्ट्रानिक्स व कम्युनिकेशन) में स्नातक किया है। इसके पश्चात मैंने नोकिआ सीमेंस नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड में इंजीनियर के पद पर कार्य किया। तत्पश्चात मैंने लाल बहादुर शास्त्री इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, दिल्ली से ह्यूमन रिसोर्सेज तथा ओपेरेशन्स में एम.बी.ए किया। मुझे किताबे पढ़ना, तैराकी करना और सिनेमा देखना पसंद है। मैंने दिनांक 04.09.2013 को रा.आ.बैंक में सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्ति प्राप्त की है।

मेरा नाम सिद्दीक खान है। मैंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। तदुपरांत अलीगढ़ मुसलिम यूनिवर्सिटी से व्यापार प्रबंधन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। मुझे नई जगहों पर जाने का और घूमने का शौक है। मैंने दिनांक 05.09.2013 को रा.आ.बैंक में सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्ति प्राप्त की है।

मेरा नाम सृष्टि गुप्ता है। मैंने दिल्ली से स्कूली शिक्षा पूर्ण की है और हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से गणित ऑनर्स किया है। इसके बाद टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान से सोशल वर्क में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। संगीत सुनना एवं अच्छी पुस्तकें पढ़ना मेरा शौक एवं रूचि है। मैंने दिनांक 06.09.2013 को रा.आ.बैंक में सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्ति प्राप्त की है और आशा करती हूं कि यह अनुभव मेरे लिए नयी चुनौतियों और सीखों से भरा साबित होगा।

मेरा नाम नित्यानंद वी. है। मेरा जन्म एवं प्राथमिक शिक्षा–दीक्षा कर्नाटक में। मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग, मैसूर से कंप्यूटर साइंस में बी.ई. की शिक्षा प्राप्त की है। मुझे कन्नड़ साहित्य को पढ़ना बहुत पसंद है। इसके अलावा समाचार पत्र पत्रिकाओं का पठन तथा संगीत सुनना एवं रेडियो न्यूज सुनना पसंद है। इसके साथ इंटरनेट में खोजबीन करनी तथा सुस्वाद भोजन बनाने में विशेष रूचि है। मैंने दिनांक 16.12.2013 को रा.आ.बैंक में सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्ति प्राप्त की है।

मेरा नाम अक्षय कुमार है। मैंने सैनिक स्कूल, तिलैया से दसवीं की परीक्षा और दिल्ली पब्लिक स्कूल, बोकारो से बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। तत्पश्चात वर्ष 2010 में मैंने आई.आई.टी. – बी.एच.यू. वाराणसी में मृत्तिका शिल्प अभियांत्रिकी विषय से प्रौद्योगिकी स्नातक किया है। मेरा शौक फोटोग्राफी और हॉकी खेलना है। मैंने दिनांक 25.11.2013 को रा.आ.बैंक में सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्ति प्राप्त की है।

मेरा नाम मनोज कुमार है। मैंने स्नातक, इलैक्ट्रानिक्स विषय से, वर्ष 2009 में उत्तीर्ण की। उसके बाद मैंने एम.एस.सी. की परीक्षा, आई.टी विषय से वर्ष 2011 में उत्तीर्ण की। तत्पश्चात मैं एक आई.टी फर्म में लगभग 11 महीने साफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत रहा हूं। मुझे पुस्तकें पढ़ना एवं टेबल टेनिस खेलने का शौक है। मैंने दिनांक 23.12.2013 को रा.आ. बैंक में सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्ति प्राप्त की है।

राजीव ऋण योजना - महत्व एवं आयाम

जगदीश, उप प्रबंधक

भारत सरकार की महत्वपूर्ण नीति की कार्यसूची में "सबके लिए किफायती आवास" (एफोर्डेबल हाउसिंग फार आल) सर्वोपरि है। भारत सरकार आवास क्षेत्र में नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए एक माहौल बनाने तथा देश में आवास के स्वामित्व को बढ़ाने के लिए प्रयासशील है। बहुत सारी राष्ट्रीय नीतियों के आधारभूत आवास क्षेत्र को प्रबलित करने की घोषणाएं करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनयूआरएम) तथा राजीव आवास योजना (आरएवाई) जैसे प्रमुख प्रयासों को प्रारंभ कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) तथा निम्न आय समूह (एलआईजी) वर्ग के लिए आवास उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया है।

भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने एक संशोधित ब्याज सहायता योजना को एक नए

नाम–यथा: राजीव ऋण योजना (अथवा राजीव लोन स्कीम) के नाम से विन्यासित किया है जो कि शहरी क्षेत्रों के ईडब्ल्यूएस/एलआईजी संवर्ग की आवास आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एक अतिरिक्त साधन के रूप में हैं। यह योजना इडब्ल्यूएस एवं एलआईजी संवर्ग के लोगों के लिए एक स्वीकार्य ऋण राशि पर एक स्थिर 5 प्रतिशत (500 बेसिस प्वाइंट) पर ब्याज अनुदान (सब्सिडी) के प्रावधान पर जोर देती है ताकि इस संवर्ग के लोग अपने लिए एक नया घर खरीद सकें या विद्यमान घर में एक अतिरिक्त (एक कमरा/रसाईघर/शौचालय/स्नान घर) हिस्सा निर्मित कर सकें। पूर्व प्रचलित ईशप (ब्याज अनुदान सहायता योजना) 30 सितंबर, 2013 को समाप्त हो गई और राजीव ऋण योजना 1 अक्तूबर, 2013 को प्रभाव में आ गई।

इस योजना की प्रमुख विशेषताएं

उद्देश्य – इस योजना के माध्यम से ईडब्ल्यूएस/एलआईजी संवर्ग के ऐसे लाभार्थी को नया घर खरीदने या बनाने में केन्द्र सरकार के द्वारा उसे ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी, जिसके पास अपने या अपने जीवन साथी अथवा अपने ऊपर निर्भर संतान

के नाम अपना आवास/घर नहीं होगा। इसके साथ 40 वर्ग मीटर से कम आकार वाले ईडब्ल्यूएस/एल आईजी वर्ग के लाभार्थी को यह सहायता उपलब्ध होगी जो अपने विद्यमान भवन/इकाई में रहने के लिए अतिरिक्त निर्माण करना चाहता हो। इस योजना के तहत ऐसे लाभार्थी भी पात्र होंगे, जिनके पास शहरी इलाके में अपनी निजी भूमि तो है, पर उस पर उनके नाम से या उनके जीवनसाथी या निर्भर संतान के नाम से कोई पक्का घर नहीं है।

पात्रता – इस योजना के तहत आर्थिक मापदंड के अनुसार एक ईडब्ल्यूएस (कमजोर आर्थिक वर्ग) परिवार उसे परिभाषित किया गया है, जिसकी वार्षिक आय औसतन 1,00,000 (एक लाख) रु0 तक हो तथा एलआईजी (निम्न आय वर्ग) के रूप में आर्थिक मापदंड के अनुसार परिभाषित परिवार की वार्षिक आय 1,00,001/– से 2,00,000/– रु0 तक हो। यह मापदंड समय–समय पर इस योजना की संचालन समिति के संशोधनानुसार लागू होंगे।

स्वीकार्य ऋण राशि सीमा – यह योजना कमजोर आर्थिक वर्ग हेतु एक मकान के लिए अधिकतम 5,00,000/– रु0 की ऋण राशि पर होगा जिसका घर कम से कम 21 वर्ग मी0 क्षेत्रफल का होना चाहिए। इस नए घर को जब भी पूर्णतः बनाया जाए तो इसमें एक शौचालय का प्रावधान अवश्य होगा। इसके साथ ही यदि आवश्यकता हुई तो अतिरिक्त ऋण बिना ब्याज छूट (सब्सिडी) सहायता के प्राप्त होगा। इस ऋण की अवधि 15 से 20 वर्ष की हो सकती है। एक एलआईजी (निम्न आय वर्ग) एकल परिवार के लिए अधिकतम 8,00,000/– रु0

का ऋण उपलब्ध होगा, हालांकि ब्याज अनुदान सहायता (सब्सिडी) केवल 5 लाख रु0 तक ही प्राप्त होगी। यदि 5 से 8 लाख के बीच की अतिरिक्त ऋण राशि ली जाती है तो उस दिए गए ऋण पर बिना सब्सिडी वाली ब्याज दर लागू होगी। इस वर्ग का लाभार्थी न्यूनतम 28 वर्ग मी0 के कार्पेट क्षेत्र में एक आवास खरीद या अपनी सुविधानुसार निर्मित कर सकता है। जब भी एक

नया घर निर्मित/क्रय किया जाएगा तो इसमें एक शौचालय का प्रावधान अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इस ऋण की अवधि 15 से 20 वर्ष की हो सकती है।

ऋण एवं ब्याज सहायता (सब्सिडी) वसूली की शर्तें

यह ब्याज अनुदान सहायता ईडब्ल्यूएस/एलआईजी संवर्ग के पात्र लाभार्थियों को अपना घर खरीदने या विद्यमान घर में अतिरिक्त निर्माण यथा एक कमरा/शौचालय/रसोईघर/स्नान घर बनाने के लिए दिए गए स्वीकार्य ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से प्रदान की जाएगी। यह ब्याज अनुदान सहायता (सब्सिडी) निम्नानुसार लाभार्थियों को प्राप्त होगी :–

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और आवास वित्त कंपनियां (जिन्हें सामूहिक रूप से प्राथमिक ऋणदाता संस्थान या पीएलआई कहा जाता है) के साथ केन्द्रीय नोडल एजेंसी (यथा हडको और रा.आ.बैंक) के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करेंगी, जिनके पास सहमत लक्षित लाभार्थियों की संख्या होगी, जिनको ये बैंक/एचएफसी सेवाएं प्रदान करेंगे।
- ये प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (पीएलआईज) अपेक्षित तत्परता से ऋण संस्तुत करेंगे और ऋणकर्ता की आवश्यकतानुसार ऋण का संवितरण करेंगे।
- प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों की विद्यमान ब्याज दरों में 5 प्रतिशत (500 बेसिस प्वाइंट) के आधार पर स्थिर दर से ब्याज सहायता प्रभारित की जाएगी। प्राथमिक ऋणदाता संस्थान समान मासिक किश्तों के हिसाब से ब्याज सब्सिडी काटकर ऋणदाता को प्रदान करेगी जो उसकी निबल मासिक किश्त में जोड़ी जाएगी।
- पात्र ऋण की संस्तुति एवं संवितरण के पश्चात ये पीएलआई इस सब्सिडी का दावा केन्द्रीय नोडल एजेंसी (मुख्यतः हडको एवं रा.आ.बैंक) से त्रैमासिक आधार पर निर्धारित प्रोफार्मा में वसूली दावा भर कर जमा करेंगे।
- भारत सरकार तिमाही आधार पर केन्द्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा प्राप्त सब्सिडी वसूली दावों की संस्तुति के बाद तुरंत, अधिकतम दो माह के भीतर, सब्सिडी राशि का निर्मोचन करेगी।
- केन्द्रीय नोडल एजेंसियां पीएलआई से प्राप्त सभी समर्थित दस्तावेजों के साथ यथा पिछली तिमाही के दौरान ऋण/सब्सिडी की राशि सहित सब्सिडी की संस्वीकृति अपनी मांग भारत सरकार के पास भेजेंगे।
- प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को यह सुनिश्चित कराने की आवश्यकता होगी कि निधियों का उचित उपयोग हो जिसके लिए उन्हें अपनी सापेक्ष नोडल एजेंसी के पास ब्याज सब्सिडी के निर्मोचन हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा कराना होगा।
- प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को, इस योजना के तहत आवृत ऋणों को अपने बही खातों को विशिष्ट प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के उद्देश्य हेतु चिह्नांकित करके रखना होगा।
- इस योजना के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास एवं शहरी विकास निगम लि० (हडको) केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) होंगी। यह नोडल एजेंसियां ऋणकर्ता को सीधे ऋण नहीं प्रदान करेंगी, बल्कि उन बैंकों एवं आ.वि. कंपनियों के माध्यम से करेंगी जो इस योजना का हिस्सा बनने को सहमत होंगे।
- जैसा कि ऊपर बताया गया है कि भारत सरकार वार्षिक ब्याज सब्सिडी नोडल एजेंसियों के माध्यम से ऋणदाता (संस्थानों) को प्रदान करेगी और इसे ऋणदाता के द्वारा ऋणकर्ता को घटती वार्षिक किश्तों (इएमआई) के आधार पर पारित किया जाएगा।
- ऋण पर ब्याज की सहमत दर ऋणदाता संस्थान द्वारा निर्धारित किया जाएगा जो कि समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप होगा।
- ऋणकर्ता स्थिर या अस्थिर ब्याज दरें चुन सकता है (इसके परिणामों के बारे में पीएलआई को ऋणकर्ता को बताए जाने चाहिए) बैंक या आ.वि. कंपनियों द्वारा अधिकतम 1 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार लेने की अनुमति होगी। बशर्ते कि एक स्थिर दर में लिये गए ऋण विस्तार का समायोजन कम से कम 5 वर्ष की अवधि के पश्चात किया जाना हो।

प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में आवास इकाई को बंधक (मार्टगेज) के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि, राजीव ऋण योजना के तहत दिए गए 5 लाख रु0 तक की राशि हेतु कोई भी संपार्श्विक प्रतिभूति/तृतीय पक्ष गारंटी नहीं होगी। समय पूर्व भुगतान पर कोई भी अधिभार (लेबी) प्रभारित किए जाने की

अनुमति नहीं है।

यह योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के अंतिम वर्ष में अर्थात 31 मार्च, 2017 को बंद होगी। हालांकि, अंतिम वर्ष में प्रदान किए गए ऋणों की अवधि 15 वर्ष की होगी तथा इसके बाद उपयुक्त बजटीय प्रावधान किए जाएंगे। योजना की निगरानी की जाएगी तथा बारहवीं पंच वर्षीय योजना की समाप्ति पर, अर्थात 2017 में स्वतंत्र रूप से समवर्ती मूल्यांकन किया जाएगा। तदनुसार इस योजना की वर्तमान स्वरूप की सातत्यता या संशोधित स्वरूप के आधार पर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। राज्य सरकारों को अनुमति होगी कि वे अपनी राज्य आवास योजनाओं का राजीव ऋण योजना के साथ सामंज्य स्थापित कर सकें।

राज्यों के लिए लक्ष्य का निर्धारण आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और समय–समय पर राज्य सरकारों को संसूचित किया जाएगा। राज्यानुसार लक्ष्यों का निर्धारण उस राज्य की राज्य स्तरीय बैंक समितियां (एसएलबीसीज) बैंक अनुसार तय करेंगी। आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के परामर्श से रा.आ. बैंक आवास वित्त कंपनियों को लक्ष्य आबंटित करेगा। इस योजना निधि की 25 प्रतिशत राशि आईसीसी, एएण्डओई, पीएमयू तथा एमआईएस के तहत चिहांकित की गई है।

लाभार्थियों का चयन

इस योजना के तहत लाभार्थी ऋणकर्ता निश्चित रूप से कमजोर आर्थिक वर्ग (ईडब्ल्यूएस) या निम्न आर्थिक वर्ग (एलआइजी) का होना चाहिए और निश्चित तौर पर मकान बनाने हेतु भूखंड हो अथवा खरीद के लिए किसी आवास समूह/अपार्टमेंट योजना का घर हो या फिर विद्यमान घर/इकाई में कुछ अतिरिक्त निर्माण किया जाना प्रवृत्त हो। ऋणकर्ता को छूट है कि वह ऋणदाता के साथ प्रत्यक्ष तौर पर संपर्क एवं मोल–भाव करें। हालांकि, यह सर्वविदित है कि ऐसे ऋणकर्ता बहुत कम है। अधिकांश ऋणकर्ताओं एवं ऋणदाताओं को राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों के साथ परस्पर बातचीत से भूमि के साथ ऋणकर्ताओं को पहचानने की आवश्यकता होती है, जो उन्हें ऋणदाताओं के साथ दस्तावेजों की तैयारी एवं संपर्क हेतु सहायता करते हैं। बैंक ऐसे ऋणदाताओं को प्राथमिकता के साथ ऋण प्रदान करने को बाध्य होंगे। इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए शहरी निकायों या गैर सरकारी संगठन के कर्मचारियों को प्रति ऋण के अनुमोदन प्रतिवेदन पर 100/– रु0 लाभांश देना प्रस्तावित है। जिसे राजीव ऋण योजना निधि से दिया जाएगा।

इस ऋण के संस्वीकृत होने पर 500/– रु0 की एक मुश्त राशि काटी जाएगी जो बैंक के ऋण लेन–देन संबंधी खर्चों के परिप्रेक्ष्य में होगी। राज्य अपने ऐसे लाभार्थियों को पहचान हेतु आधार कार्ड (विशिष्ट पहचान संख्या) से जोड़ सकते हैं जिसके लिए आधार कार्ड के होने की पूर्व शर्त रखी जा सकती है।

राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा इस योजना के बारे गरीबों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए स्वैच्छिक स्वयं सेवी संगठन का उपयोग किया जा सकता है। इस ऋण के लिए गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों (एनजीओज) के माध्यम से भरे गए ऋण आवेदन पत्रों को भी बैंकों एवं आ.वि. कंपनियों द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। लाभार्थियों को पहचानने में राज्य सरकार के द्वारा विनिर्दिष्ट शहरी स्थानीय निकाय या स्थानीय एजेंसियों को उन संभावित समूहों/क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए, जिन्हें भूमि आबंटित की गई हो या उसी क्षेत्र/कलस्टर के

आवास को इस योजना से समर्थित किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी संवर्ग के लाभार्थियों को ध्यान में रखते हुए) निम्नानुसार लाभार्थी समूह को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए:–

- महिलाएं
- अनुसूचित जाति
- अनुसूचित जनजाति
- अल्पसंख्यक वर्ग, एवं
- विकलांगता प्रभावित व्यक्ति

भारत सरकार द्वारा यह योजना वस्तुतः देश के शहरी एवं गरीब वर्ग की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुभारंभ की गई। इसमें वे लोग भी लाभ उठा सकते हैं जो मनरेगा या विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत दैनिक मजदूरी प्राप्त करते हैं। इस मुख्य उद्देश्य हर गरीब परिवार को अपने स्वामित्व वाला एक आवास उपलब्ध कराना है, एक ऐसा घर जो उसकी आय के अनुसार किफायती (एफोर्डेबल) हो एवं उसका परिवार शांति एवं सुकून से गर्मी, सर्दी एवं बरसात के मौसम में खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। इस योजना के तहत कौन–कौन लोग किस तरह आवेदक बन सकते हैं। राज्य एवं केन्द्र सरकारों के साथ–साथ नोडल एजेंसियों की भूमिका तथा ऋणदाता बैंकों एवं आ.वि. कंपनियों की भूमिका एवं निगरानी आदि के बारे में विस्तृत जानकारी अगले अंक में दी जाएगी।

(शेष अगले अंक में)

मकान की खरीददारी में सावधानियां

संजीव कुमार सिंह, उप प्रबंधक

फिल्म हो या असल जिंदगी, आदिकाल हो या आधुनिक काल, मनुष्य हो या पशु हर जगह अगर किसी एक चीज की हमेशा जरूरत रही है तो वह है एक आश्रय। मानव ने इस आश्रय को सपनों का घर भी कहा है। मनुष्य को यह एक घर बनाने में वर्षों लग जाते हैं। एक प्रकार से पूरा जीवन लग जाता है। इस घर को बनाने में पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई भी लगानी पड़ती है। यदि इस के बनाने या जुटाने में कोई ऊंच–नीच हो जाए तो उसके पूरे परिवार को जीवन भर अफसोस एवं पछतावा रहता है। अतः मकान/घर खरीदते समय सावधानी कैसे न बरती जाए और क्यों न अपने सपनों के घर को खरीदने से पहले उसकी जांच कर ली जाए। आज के समय में तो कई लोग अपने पुराने आशियाने को बेचकर नए आशियाने की तलाश में लगे रहते हैं। आज जब वेतन में वृद्धि हो रही है और पुराने मकानों की कीमत चढ़ती जा रही है। ऐसे में लाजमी है कि कई लोग अपना पुराना मकान बेचकर नए मकान लेने की संभावना की तलाश कर रहे हों। आज के दौर में भी महानगरों

के आसपास के क्षेत्र में मकान बेचना उतना आसान नहीं है; हालांकि महानगर में यह चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। इन महानगरों में भूसंपदा की मांग हमेशा बनी रहती है। जिस कारण यहां रहने वाले लोग अधिक मूल्य पर अपनी संपत्ति बेच सकते हैं। हालांकि कई बार फ्लैट या मकान का आकार और लोकेशन इसमें एक अहम भूमिका निभाता है। कई बार आलीशान बंगले भी सही लोकेशन में नहीं रहने के कारण बिक नहीं पाते या उनका मूल्य काफी कम कर आंका जाता है और छोटे घर भी अगर प्राइम लोकेशन पर हों तो वह अपने असल मूल्य से कहीं अधिक पर बिक जाते हैं। नया मकान या फ्लैट खरीदने से पहले कई बातों का ध्यान रखें।

कागजात की जांच करें खरीददार भले ही सभी दस्तावेजों में रूचि न लें लेकिन अगर वह आवास ऋण ले रहा होगा तो बैंक मकान से जुड़े छोटे–छोटे कागजात की भी मांग करेंगे। ऐसे में किसी भी संभावित खरीददार से बातचीत करने से पहले आप अपने कागजात दुरूस्त कर लें। रिहायशी संपत्ति की बिक्री करने के लिए सबसे जरूरी

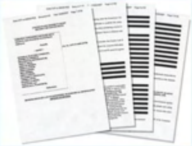

कागजात हाउसिंग सोसाइटी का शेयर प्रमाणपत्र या विक्रय/क्रय–विलेख होता है। विक्रय–विलेख से पता चलता है कि फ्लैट या जमीन विक्रयकर्ता के नाम से है और आपके पास जमीन या फ्लैट बेचने का पूरा अधिकार है। अगर आप मकान को रीसेल में खरीद रहे हैं तो विक्रेता के पास सभी पुराने विलेखों की प्रतियां होनी चाहिए। डील और संपत्ति की प्रामाणिकता साबित करने के लिए पुराने विलेख की जरूरत पड़ती है। आपके पास स्टांप ड्यूटी की मूल प्रतियां और मकान के पंजीकृत दस्तावेज होने चाहिए। इसके साथ ही आपको हाउसिंग सोसाइटी से अनापत्ति प्रमाणपत्र भी हासिल करना होगा। अगर संयुक्त मालिकाना हक में कोई संपत्ति है तो सभी मालिकों को सहमति संबंधी कागजात पेश करने होंगे।

भूसंपदा के कुछ जानकारों का मानना है कि अगर मकान/फ्लैट खरीदने वाले लोग आवास ऋण लेना चाहते हैं तो वे इन कागजात की मांग करते हैं। टाइटल क्लीयरेंस और अनापत्ति प्रमाणपत्र के अलावा वे भवन की उम्र, फ्लोर प्लान, कारपेट एवं बिल्टअप एरिया, सोसाइटी तक आने जाने के साधन, कार पार्किंग, लैंड टाइटल (फ्री होल्ड, लीज होल्ड या कलेक्टर्स लैंड), भवन स्थानांतरण शुल्क और अपार्टमेंट के अतिरिक्त शुल्क की जानकारी आदि मांगते हैं।

यदि कोई दस्तावेज न हो तो ? आमतौर पर देखा जाता है कि पुराने शहरों या ग्रामीण इलाकों में 30 से 40 साल पुराने मकानों का ठीक तरह से पंजीकरण नहीं कराया गया होता है। कई बार मकान मालिकों से जरूरी दस्तावेज दुरूस्त कराने की अपील की जाती है। अगर आपने जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो आपको बाकी बची स्टांप ड्यूटी का भुगतान कर पंजीकरण करा लेनी चाहिए। एक बड़े भूसंपदा जानकार के मुताबिक शेयर प्रमाणपत्र खो जाने पर हाउसिंग सोसायटी से डुप्लिकेट कॉपी ले सकते हैं। अगर क्रय/विक्रय करार श्रृंखला में कहीं कुछ खो गया है तो विक्रेता हाउसिंग सोसायटी से मिले सहमति पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बॉन्ड भी देना होगा है। अगर स्टांप ड्यूटी और

मकान के पंजीकरण के मूल दस्तावेज नहीं मिल रहे हों तो विक्रेता को निश्चित तौर पर क्षतिपूर्ति बॉन्ड देना होता है। किसी भी मामले में सही स्टांप ड्यूटी का भुगतान करने के बाद पंजीकरण जरूर कराना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति मॉर्टगेज संपत्ति को नहीं बेच सकता है। अगर खरीददार पहली किस्त का भुगतान करने से पहले 100 फीसदी पेपरवर्क चाहता है तो आप बिना लोन चुकाए सौदे को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ऐसा फ्लैट/मकान खरीदने से पहले या तो पूरा ऋण चुकता किया जाना चाहिए या फिर वैधानिक तरीके से लोन ट्रांसफर करा लेना चाहिए। जहां तक हो सके पक्की रजिस्ट्री के साथ मकान/फ्लैट की खरीद–फरोख्त करनी चाहिए। केवल पावर आफ अटार्नी या बिल के आधार पर भू–संपदा की खरीद सदैव जोखिम पूर्ण होती है। पावर आफ अटार्नी या बिल दोबारा किसी अन्य के नाम बनाए जा सकते हैं। नया बिल बनाने पर पुराना बिल अपने आप अमान्य हो जाता है।

कर की देनदारीः अगर आप मकान बेच रहे हैं और इससे आपको लाभ होता है तो आपको इस लाभ पर एक हिस्सा कर के रूप में चुकाना होता है। इसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। अगर आप इस कर से छूट पाना चाहते हैं तो आप इस पैसे को दूसरे मकान में निवेश करें। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। किसी मकान की बिक्री पर हुए दीर्घावधि कैपिटल गेन पर कर छूट का दावा आयकर की धारा 54 के तहत किया जाता सकता है। अगर आप धारा 54 के तहत पूरी छूट चाहते हैं तो आपको बिक्री से मिली रकम का निवेश आवासीय मकान में करना चाहिए, अगर मकान बिक्री के समय आपके पास एक से अधिक मकान हों तो आप धारा 54 एफ के तहत छूट का दावा नहीं कर सकते हैं। दोनों मामलों में नया मकान बिक्री की तारीख से दो साल के भीतर खरीदना एवं अपने भूखंड पर तीन साल में मकान निर्मित करना जरूरी होता है। आप इस रकम का इस्तेमाल रिहायशी संपत्ति में ही कर सकते हैं, न कि वाणिज्यिक संपत्ति या खाली प्लॉट में। कैपिटल गेंस टैक्स से बचत के लिए एक मकान/फ्लैट में निवेश करें या कैपिटल गेंस टैक्स सेविंग बॉन्ड्स में करें।

इसके अलावा यदि फ्लैट/मकान दो–तीन साल से अधिक पुराना है तो उसे खरीदने से पहले उस पर बकाए ऋण के अलावा स्थानीय प्रापर्टी टैक्स, बिजली के बकाए बिलों एवं पानी के बकाए बिलों की भी पूरी अपटूडेट जांच कर लें। कई बार देखने में आता है कि फ्लैट/मकान खरीदने के पश्चात पहले वाले मकान के स्वामी द्वारा खर्च किए गए बिजली, पानी के लाखों के बिल आते हैं जिन्हें न चाहते हुए भी चुकाना पड़ता है क्योंकि बिल जमा न करने पर बिजली/पानी की सेवाएं काट दिए जाने का डर रहता है। इसी तरह पुराने मकानों/फ्लैटों में आम तौर पर संपत्ति कर या अन्य स्थानीय कर बकाए होते हैं जो बाद में उसमें रहने वाले को चुकाने पड़ते हैं।

खरीदने की प्रक्रिया पूरी करें: कब्जा (पजेशन) के लिए तैयार मकान को ही लेने में रूचि लें। बिल्डर आपको मकान देने में कुछ समय ले सकता है लेकिन इसमें कोई कानूनी समय–सीमा नहीं है। समझौता कागजात में जो समय–सीमा दी जाती है, उस पर आमतौर पर बिल्डर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करते हैं। ऐसे में हमेशा 'रेडी टू पजेशन' मकान लेने पर विचार करें। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आपको मजबूरी में किराए पर मकान लेना होगा जो काफी मंहगा पड़ सकता है। अतः संपत्ति खरीद–फरोख्त के समय हमेशा कागजी कार्रवाई को प्राथमिकता दें। इससे आने वाली किसी भी मुश्किल से आप बचे रह सकेंगे और अगर मकान खरीद पूरी तरह सुलझा हुआ हो तभी तो आप कहते हैं कि हमें मिला अपने सपनों का आशियां। अंत में हम आपको इस गीत को गुन–गुनाने के लिए छोड़ जाते हैं जिसे गाया है महान कलाकर के.एल.सहगल ने और फिल्म है सन् 1937 की प्रेसिडेंट –

"एक बंगला बने न्यारा/रहे कुनबा जिसमें सारा/सोने का बंगला/चंदन का जंगला/विश्वकर्मा के द्वारा/अति सुंदर प्यारा प्यारा/एक बंगला............

भारतीय मुद्रा के निर्माण की कहानी

श्रीमती उमा सोमदेवे

रुपया शब्द का उद्गम संस्कृत के शब्द रुप् या रुप्याह् में निहित है, जिसका अर्थ चाँदी होता है और रूप्यकम् का अर्थ चाँदी का सिक्का है।

रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शेर शाह सूरी ने भारत में अपने शासन 1540–1545 के दौरान किया था। शेर शाह सूरी ने अपने शासन काल में जो रुपया चलाया वह एक चाँदी का सिक्का था जिसका भार 178 ग्रेन (11.534 ग्राम) के लगभग था। उसने तांबे का सिक्का जिसे दाम तथा सोने का सिक्का जिसे मोहर कहा जाता था, को भी चलाया। कालांतर में मुगल शासन के दौरान पूरे उपमहाद्वीप में मौद्रिक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तीनों धातुओं के सिक्कों का मानकीकरण किया गया।

शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान आरम्भ किया गया 'रुपया' आज तक प्रचलन में है। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान भी यह प्रचलन में रहा, इस दौरान इसका भार 11.66 ग्राम था और इसके भार का 91.7 प्रतिशत तक शुद्ध चाँदी थी। 19वीं शताब्दी के अंत में रुपया प्रथागत ब्रिटिश मुद्रा विनिमय दर, के अनुसार एक शिलिंग और चार पेंस के बराबर था। वहीं यह एक पाउण्ड स्टर्लिंग का 1/15 भाग था। 19वीं सदी मे जब दुनिया में सबसे सशक्त अर्थव्यवस्थाएं स्वर्ण मानक पर आधारित थीं तब चाँदी से बने रुपये के मूल्य में भीषण गिरावट आई। संयुक्त राज्य अमेरिका और विभिन्न यूरोपीय उपनिवेशों में विशाल मात्रा में चाँदी के स्त्रोत मिलने के परिणामस्वरूप चाँदी का मूल्य सोने के अपेक्षा बहुत गिर गया। अचानक भारत की मानक मुद्रा से अब बाहर की दुनिया से अधिक खरीद नहीं की जा सकती थी। इस घटना को 'रुपये की गिरावट' के रूप में जाना जाता है। पहले रुपया (११.६६ ग्राम) 16 आने या 64 पैसे या 192 पाई में बाँटा जाता था। रुपये का दशमलवीकरण 1957 में भारत मे, 1869 में सीलोन (श्रीलंका) में और 1961 में पाकिस्तान में हुआ। इस प्रकार भारतीय रुपया 100 पैसे में विभाजित हो गया। भारत में पैसे को पहले नया पैसा नाम से जाना जाता था। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा जारी की जाती है, जबकि पाकिस्तान में यह स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान के द्वारा नियंत्रित होता है।

अगर आप अपने बचपन के शारीरिक स्वरूप को याद करना चाहे तो बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपके गुल्लक में रखे सिक्कों का बचपन कैसा रहा होगा। सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब, कैसे और क्यों हुआ? इस प्रश्न के तह में जायेंगे तो हमें पता चलेगा कि पूर्व में हमारे देश में वस्तु विनिमय प्रणाली थी। परंतु इसमें काफी जटिलताएं थीं। जैसे वस्तु के योग्य मूल्य न मिलना, संचयन तथा अन्य राज्यों से व्यापार करने में कठिनाई इत्यादि। किन्तु इन कठिनाइयों को आसान करने के लिए अचानक मुद्राओं का निर्माण हो गया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसका क्रमिक विकास हुआ। प्रारंभ में छोटे राज्य थे जहां वस्तु विनिमय अर्थात एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान–प्रदान संभव था। परंतु कालांतर में जब बड़े–बड़े राज्यों का निर्माण हुआ तो यह प्रणाली समाप्त होती गई और इस कमी को पूरा करने के लिए मुद्रा को जन्म दिया गया। यहां एक प्रश्न यह भी आता है कि प्रथम सिक्कों का निर्माण किसने करवाया अथवा सिक्कों के निर्माता कौन थे? इस संदर्भ में इतिहासकार के. वी. आर. आयंगर का मानना है कि प्राचीन भारत में मुद्राएं राजसत्ता के प्रतीक के रूप में ग्रहण की जाती थीं। परंतु प्रारंभ में किस व्यक्ति अथवा संस्था ने इन्हें जन्म दिया, यह ज्ञात नहीं है। अनुमान यह किया जाता है कि व्यापारी वर्ग ने आदान–प्रदान की सुविधा हेतु सर्वप्रथम सिक्के तैयार करवाए।

संभवतः प्रारंभ में राज्य इसके प्रति उदासीन थे। परंतु परवर्ती युगों में इस पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि मुद्रा निर्माण पर पूर्णतः राज्य का अधिकार था। इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत में मुद्राओं का प्रचलन विदेशी प्रभाव का परिणाम है। वहीं कुछ इसे इसी धरती की उपज मानते हैं। विल्सन और प्रिंसेप जैसे विद्वानों का मानना है कि भारत भूमि पर सिक्कों का आविर्भाव यूनानी आक्रमण के पश्चात हुआ। वहीं जान एलन उनकी इस अवधारणा को गलत बताते हुए कहते हैं कि 'प्रारम्भिक भारतीय सिक्के जैसे 'कार्षापण' अथवा 'आहत' और यूनानी सिक्कों के मध्य कोई सम्पर्क नहीं था।

उत्पत्ति स्थान के अलावा मुद्रा के जन्म काल में भी विद्वानों में मतभेद हैं। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि भारत में सिक्के 800 ई. पू. प्रकाश में आये। वहीं डा. डी. आर. भण्डारकर तथा विटरनित्ज जैसे विद्वान भारत में सिक्कों की प्राचीनता 3000 ई. पू. के आस–पास बताते हैं। जन्म स्थान और काल में बेशक विवाद हो लेकिन सिक्कों के निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली धातु के संबंध में कोई विवाद नहीं है। सिक्कों के निर्माण के लिए अनेक धातुएं प्रयोग में लाई जाती थीं। इनमें सोना, चांदी तथा

तांबा प्रमुख धातुएं थीं। सोना तो भारत में विपुल मात्रा में था। तांबा भी अयस्क के रूप में प्राप्त होता था। परंतु चांदी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध थी इसलिए इसका आयात किया जाता था। सातवाहन वंश ने मुद्रा निर्माण में एक नया प्रयोग किया। उन्होंने मुद्रा निर्माण के लिए सीसे का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। विद्वान पेरीप्लस का विवरण है कि भारतीय लोग सीसे का बाहर से आयात करते थे। इतिहासकार प्लिनी ने इसका समर्थन करते हुए कहा है कि हिन्द यवन शासकों ने एक और धातु मुद्रा निर्माण हेतु प्रयुक्त किया जिसे निकिल के नाम से जाना जाता है। कभी–कभी सिक्कों के निर्माण हेतु पोटीन, कांस्य तथा पीतल का भी प्रयोग किया जाता था। कई बार मुद्रा निर्माण में मिश्रित धातुओं का भी प्रयोग किया जाता था। धातुओं को कठोर बनाने में और

गिरती हुई अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इनका उपयोग सिक्कों में किया जाने लगा। पोटीन कई धातुओं के मिश्रण से बनता था इसलिए इसे भ्रष्ट धातु कहा जाता था। कहीं–कहीं लोहे के सिक्के भी प्रचलन में थे। इसके अलावा मुद्रा के रूप में कौड़ियों का प्रचलन भी व्यापक क्षेत्र में था।

मुद्रा निर्माण विधि : प्राचीन भारत में तीन प्रकार से मुद्राओं का निर्माण किया जाता था:

1. **आहत अथवा छापा विधि** – इस विधि से मुद्रा तैयार करने के लिए पहले विभिन्न प्रकार की धातुओं की पतली चादर तैयार की जाती थी। फिर उनके मानक तौल के अनुसार कई चौकोर टुकड़े किये जाते थे। उन टुकड़ों पर कुछ चिह्नों, नामों या शब्दों को अंकित किया जाता था। इसके लिए उन पर या तो आहत किया जाता था या फिर किसी मुहर से ठप्पा लगाया जाता था। आहत मुद्राओं की सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये विभिन्न आकार के मिलते थे। इनका कोई एक समरूप आकार नहीं था। इसका सबसे बड़ा कारण था भारानुसार इनकी कटाई–छंटाई। विभिन्न भारों के अनुसार इनका भारक भी भिन्न बन जाता था।

2. **ढलाई विधि** – यह दूसरी विधि ज्यादा परिष्कृत थी। इसमें एक बार में कई सिक्कों का निर्माण किया जाता था। जिससे समय व श्रम दोनों की ही बचत होती थी। रोहतक, तक्षशिला, मथुरा, सुनेत, अतंरजीखेड़ा, नालंदा इत्यादि स्थानों की खुदाई में मिले सिक्के इसकी प्रमाणिकता को सिद्ध करते हैं। ढलाई विधि में सिक्के सांचे की मदद से बनाये जाते थे। सर्वप्रथम सांचे तैयार करके भट्ठी में रख दिए जाते थे। पकने के उपरान्त इनके मध्य छिद्र से धातु को डाला जाता था। धातु नलिका से उचित स्थल पर पहुंचकर प्रस्तावित आकार में फैल जाती थी। भट्ठी के शीतल होने पर सांचे को विनष्ट कर दिया जाता था। उसी सांचे में चिह्न तथा लेख भी लिखे होते थे जो धातु पर अंकित हो जाते थे। यही पद्धति सिक्के के दोनों सतहों पर अंकन हेतु प्रयोग में लाई जाती थी।

3. **ठप्पा–प्रहार–विधि**– ईस्वी संवत् आते–आते मुद्रा निर्माण में ठप्पा प्रहार विधि काफी लोकप्रिय हो गई। इस विधि में गर्म धातु के टुकड़े पर ठप्पे के दबाव से लेख तथा प्रतीक चिह्न अंकित किए जाते थे। इस विधि के प्रमाण हमें केवल साहित्यिक संदर्भों में ही मिलते हैं। क्योंकि अभी तक एक भी डाई प्राप्त नहीं हुई है।

टकसाल (मुद्रा निर्माण केंद्र) प्राचीन भारत के राज्यों को जब मुद्रा का महत्व ज्ञात हुआ और विनिमय एवं व्यापार के लिए मुद्रा की आवश्यकता महसूस हुई तो उन्होंने व्यापक पैमाने पर मुद्रा निर्माण हेतु टकसाल का निर्माण करवाया। ये टकसाल अधिकतर राजधानी में होते थे। परन्तु कुछ राज्यों में इनका निर्माण प्रमुख व्यापारिक शहरों में भी होता था। इतिहासकारों द्वारा रोहतक, तक्षशिला, मथुरा, सांची, अतरंजीखेड़ा, काशी, सुनेत, नालंदा, कौशंबी, कोण्डपुर, शिशुपालगढ इत्यादि जगहों पर टकसाल होने की संभावना व्यक्त की गई है।

मुद्राओं पर अंकित लिपि : प्राचीन भारत के सिक्कों पर मुख्यतया ब्राह्मी, खरोष्ठी एवं ग्रीक लिपि का प्रयोग किया जाता था। यही भाषाओं में यूनानी, प्राकृत, संस्कृत, द्रविण भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। सिक्कों पर इनके अलावा अनेक चिह्नों का भी प्रयोग किया जाता था जिससे इनके स्थान, समय और विशेषता का विभाजन किया जाता था। कई सिक्कों पर राजकीय चिह्न होते थे तो कुछ पर शासकाकृति का अंकन मिलता था। कुछ सिक्कों पर किसी विशिष्ट देवता या पशु के चिह्न भी अंकित होते थे।

अप्प दीपो भव

एक दिन आसन्न मृत्यु अवस्था में पड़े भगवान बुद्ध से उनके एक शिष्य भद्रक ने पूछा "भंते जब आप हमारे साथ नहीं होंगे तो हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? कौन हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा?" बुद्ध ने कहा "भद्रक! ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे ही भीतर है, उसे बाहर मत खोजो। जो अज्ञानी जन ज्ञान को तीर्थों, देवस्थानों, गुफाओं में भटककर खोजने का प्रयास करते हैं, उनके हाथों में सिवाय निराशा के कुछ नहीं लगता। इसके विपरीत मन, वचन, कर्म से एकनिष्ठ होकर साधना करने वालों की आत्मा स्वतः ज्ञानालोक्ति हो जाती है।" "अप्प दीपो भव" (अपने दीपक स्वयं बनों) – बुद्ध का यह अंतिम उपदेश था।

मां ज्ञान सुमन

हिंदी की सार्वभौमिकता

धीरज कुमार, उप प्रबंधक

धार्मिक, दार्शनिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एक पुरातन देश है, किंतु राजनीतिक दृष्टि से यह एक आधुनिक राष्ट्र है जो इंडिया के रूप में एक नए स्वरूप में 17वीं शती में ब्रिटेन के शासनकाल में खड़ा हुआ। ब्रितानिया शासन की ज्यादतियों और अपने वजूद के लिए हुए संघर्ष के रूप में स्वतंत्रता–संग्राम के संदर्भ में हिंदी भाषा एवं अन्य प्रादेशिक भारतीय भाषाओं ने राष्ट्रीय स्वाभिमान और आजादी के बिगुल का शंखनाद घर–घर तक पहुँचाया भारतीय भाषाओं के द्वारा स्वदेश प्रेम और स्वराज के भाव की मानसिकता को सांस्कृतिक और राजनीतिक आयाम दिया। इन सभी भारतीय भाषाओं में हिंदी भाषा सर्वोपरि थी। वर्तमान परिवेश में राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय अभिव्यक्ति और राष्ट्रीय स्वशासन के साथ अंतरंग और अविच्छिन्न रूप से जोड़ दिया।

हिंदी विश्व भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली पाँच भाषाओं में से एक है। भारत में मुश्किल से पाँच प्रतिशत लोग अंग्रेजी बोलते व समझते हैं। कुछ लोगों का मानना है यह प्रतिशत दो से ज्यादा नहीं है। सवा सौ करोड़ की आबादी वाले देश में दो प्रतिशत जानने वालों की संख्या 2.5 करोड़ होती है और अंग्रेजी प्रकाशकों के लिए यही बहुत है। यही दो प्रतिशत बाकी भाषाओं पर अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं पर अंग्रेजी के इस दबदबे का कारण जहां भारतीयों की गुलाम मानसिकता है वहीं उससे भी ज्यादा भारतीय विचारों को लगातार दबाना और चंद कुलीनों के आधिपत्य को बरकरार रखना है।

आंकड़ों के हिसाब से हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा मानी जाती है जबकि हकीकत यह है कि अंग्रेजी के बाद हिंदी ही विश्व की दूसरे नंबर पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। चीनी भाषा को दूसरे स्थान पर माना गया है पर शुद्ध चीनी भाषा जानने वालों की संख्या हिंदी जानने वालों से काफी कम हैं। एक ओर जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशियों में हिंदी भाषा सीखने और जानने वालों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर आश्चर्य जनक बात यह है कि इसके ठीक विपरीत हमारे अपने देश में बच्चों को पहली कक्षा से ही हिंदी का क ख ग एवं अंग्रेजी का एबीसी सिखाया जाता है। अधिकतर अभिभावक हिंदी के नाम पर नाक–भौंह सिकोड़ना शुरू कर देते हैं।

भारत में अपनी भाषा की दुर्दशा के लिए सबसे पहले तो हमारा भाषाई दृष्टिकोण जिम्मेदार है जिसके तहत हमने अंग्रेजी को एक संभ्रांत वर्ग की भाषा बना रखा है। हम अंग्रेजी के प्रति दुर्भावना न रखें, पर अपनी राष्ट्रभाषा को उसका उचित सम्मान तो दें जिसकी वह हकदार हैं। जवाहरलाल नेहरू ने साठ साल पहले यह बात कही थी कि मैं अंग्रेजी का इसलिए विरोधी हूँ क्योंकि अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति अपने को दूसरों से बड़ा समझने लगता है और उसका दूसरा वर्ग–स बन जाता है। यही इलीट क्लास होती है। बहुत से परिवारों में बच्चे अपने माँ बाप से अंग्रेजी में बात करते हैं और नौकर या आया से हिंदी में क्योंकि उन्हें यह लगता है कि यह उसी कामगार तबके की भाषा है। इसका एक दूसरा अहम कारण यह भी है कि बच्चों को नर्सरी स्कूल में भेजने से पहले भी यह जरूरी हो जाता है कि इंटरव्यू में पूछे गए अंग्रेजी सवालों का वे सही उत्तर दे सकें, एकाध नर्सरी राइम्स सुना सकें। माता–पिता उन्हें इस इंटरव्यू के लिए तैयार करने में अपनी सारी ऊर्जा समाप्त कर डालते हैं।

यहाँ सबसे बड़ी बाधा हिंदी के प्रति तथाकथित कुलीनों की नफरत है। आप बंगाली, तमिल या गुजराती जैसी भाषाओं पर नाज कर सकते हैं पर हिंदी पर नहीं। क्योंकि कुलीनों की प्यारी अंग्रेजी को सबसे ज्यादा खतरा हिंदी से है। भारत में अंग्रेजी की मौजूदा स्थिति के बदौलत ही उन्हें इतनी ताकत मिली है और वे इसे इतनी आसानी से नहीं खोना चाहते। भारत के साहित्य में विशाल लेखकों के उपन्यास, कहानी, गद्य एवं पद्य आदि यह प्रमाणित करता है कि हिंदी अत्यंत समृद्ध भाषा है। आज भी अनेक विद्वान एवं लेखकगण हिंदी के उत्थान हेतु इस दिशा में प्रयत्नशील हैं।

जब संविधान पारित हुआ तब यह आशा और प्रत्याशा जागृत थी कि भारतीय भाषाओं का विस्तार होगा, राजभाषा हिंदी के प्रयोग में द्रुत गति से प्रगति होगी और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होगी।

संविधान के अनुच्छेद 350 में निर्दिष्ट है कि किसी शिकायत के निवारण के लिए प्रत्येक व्यक्ति संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में प्रतिवेदन देने का अधिकार होगा। 1956 में अनुच्छेद 350 क संविधान में अंतः स्थापित हुआ और यह निर्दिष्ट हुआ कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाए। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति गठित करने का निर्देश दिया गया। प्रयोजन यह था कि संघ के शासकीय

प्रयोजनों के लिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग हो, संघ और राज्यों के बीच राजभाषा का प्रयोग बढ़े, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को सीमित या समाप्त किया जाए। हिंदी भाषा के विकास के लिए यह विशेष निर्देश अनुच्छेद 351 में दिया गया कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके एवं उसका शब्द भंडार समृद्ध और संवर्धित हो।

साहित्य की प्रासंगिकता : साहित्य का बोध दृष्टि, एक जुझारू आत्मविश्वास देता है। आज जब हर विषय में विविधताएँ बढ़ रही हैं, तो हिंदी साहित्य में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं के पास साहित्य में भी भिन्नतापूर्ण चुनाव की गुंजाइश भी होनी चाहिए – यथाः पत्रकारिता, अनुवाद, पटकथा लेखन, विज्ञापन कॉपीराइटिंग, सामान्य ज्ञान, रचनात्मक लेखन आदि इन सब को भी साहित्य की शाखाओं में शामिल किया जाना चाहिये। कबीर, निराला, प्रेमचंद, यशपाल, मुक्तिबोध, धूमिल आदि की रचनाओं को एक नए दृष्टिकोण से पढ़ाए जाने चाहिये जिससे भाव–सौंदर्य या भाषागत सौंदर्य के साथ–साथ इनके कथ्य के माध्यम से जीवन की सच्चाइयों से छात्रों का साक्षात्कार हो सके और उन्हें स्वयं को अभिव्यक्त करने के गुर सिखाने की कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिये।

हिंदी के पाठ्यक्रमों में और पढ़ाने के तरीकों में अगर कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किए गए तो हिंदी की एकेडेमिक डिग्री धारक भी किसी भी दूसरे व्यवसाय की तरह केवल प्राध्यापकी को ही रोटी–रोजी कमाने का जरिया समझते रहेंगे। इस प्रकार से उनकी अपनी भाषा के प्रति प्रतिबद्धता और संलग्नता सिरे से गायब दिखाई देगी और हम हर साल केवल 14 सितंबर को साल में एक बार हिंदी को लेकर सामूहिक विलाप करते दिखाई देंगे केवल सहस्त्राब्दी उत्सवों के आयोजन में सरकारी अनुदान पर सम्मानों के मैडल बाँटते रह जाएगें।

अब समय आ गया है कि भारत सरकार द्वारा हिंदी के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को सुधारने के लिए प्रासंगिक एवं प्रभावी कदम उठाये। देश के सभी सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों के पठन–पाठन की व्यवस्था हिंदी माध्यम में भी की जाये जिससे विद्यार्थियों को अपने शैक्षिक कैरियर के बाद व्यावसायिक संभावनाओं की तलाश में केवल विदेशों में ना जाना पड़े। आंकड़े बताते हैं कि आज भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में परीक्षा देने वालों की संख्या अंग्रेजी के बाद में हिंदी भाषियों की है।

यदि आज शिक्षा के सभी स्तरों पर हिंदी को मजबूत नहीं किया गया तो आनेवाले समय में हमारे विद्यार्थी दुनिया में कमजोर साबित होंगे क्योंकि भारत में अंग्रेजी बोलने वालों के आंकड़े अत्यल्प है एवं जिस भाषा पर आपका अधिकार होता है उस भाषा के माध्यम से अर्जित शिक्षा एवं उसका उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको कामयाबी प्रदान करता है।

लघु कथा

सादे जीवन का रहस्य

सृष्टि गुप्ता
सहायक प्रबंधक

पिछले कुछ वर्षों में भारत देश ने अच्छी निरंतर आर्थिक वृद्धि पाई है। लोगों के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन आ गए हैं। शहर में रहने वालों की जिंदगी की रफ्तार काफी तेज हो गई। इस वजह से लोगों के परस्पर रिश्तों में दरार भी देखी जाती है। स्वास्थ संबंधी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। पर्यावरण में होते बदलाव भी चिंताजनक हैं। हर वर्ग पश्चिमी सभ्यता को अंधाधुंध अपना रहे हैं। पर ऐसे विशाल देश में कई ऐसी जनजातियां भी हैं जिनका जीवन व्यतीत करने का तरीका बहुत भिन्न है। ऐसा बहुत कुछ है जो हम उनसे सीखते हैं। मुझे इसका एहसास हुआ जब मैंने दो महीने आंध्र प्रदेश के एक गांव में बिताया जहां पर कई जनजातियां रहती हैं।

वे दो महीने मेरी जिन्दगी के बहुत ही खास पलों में से हैं। जितना मैं उस दौरान सीख पाई उतना तो कई वर्षों की पढ़ाई में भी नहीं जान पाई थी। वह एक बहुत ही अलग अनुभव था। आश्चर्य की बात तो यह है कि हम अक्सर उन लोगों को गंवार, जंगली, पिछड़ा हुआ समझते हैं। सच तो शायद यह है कि आदिवासियों के तरीके हमारी समझ से परे हैं। वो कई चीजों में इतने प्रतिभाशाली व संभव है पर हमारी समझ पश्चिमी प्रभावों की वजह से उसे देख नहीं पाती।

उन दो महीनों में मैंने देखा कि जीवन के हर क्षेत्र में उनके तरीके बहुत भिन्न और अच्छे हैं। उन लोगों का अपने पर्यावरण से एक खास रिश्ता होता है। जीवन व्यापन करने की जरूरी चीजे उन्हें अपने जंगलों से मिलती हैं। साथ ही उनकी संस्कृति, गानों और वस्त्रों आदि से भी मालूम होता है कि वो अपने पर्यावरण को कितना महत्व देते हैं। इसलिए आदिवासी क्षेत्रों की हवा–पानी काफी निर्मल व स्वच्छ होती है।

खेती करने के तरीके भी दूसरों के लिए एक मिसाल हैं। आदिवासी अपने खेतों को प्राकृतिक तरीकों से सहेज कर रखते हैं। जब मैंने वहां उगाए हुए फल खाए तो मुझे उनके स्वाद में खास अंतर महसूस हुआ। शहर में तो हर चीज में मिलावट होती है जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।

महिलाओं का स्थान आदिवासी समाज में बराबरी का होता है। मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ कि वहां कई ऐसी जनजातियां थी जिनकी भाषा में बलात्कार के लिए शब्द ही नहीं है। महिलाएं बहुत सुरक्षित रहती हैं। आदमी लोग घर के कार्यों में भी हाथ बंटाते हैं।

आदिवासी लोग बहुत ही सरल स्वाभाव के होते हैं। छल–कपट उनके समाज से कासों दूर होता है। वह एक–दूसरे के साथ प्रेम व सद्भाव से रहते हैं। व्यापार में भी लालच नहीं दिखता। मैंने वहां बाजारों में अलग माहौल देखा। लोग अपनी जरूरत के लिए व्यापार करते हैं न कि धन इकट्ठा करने के लिए।

वहां रहने के बाद मुझे यह विश्वास हुआ कि कई बड़ी एवं छोटी चीजें हम आदिवासियों से सीख सकते हैं। हमारी कई कठिन समस्याओं का समाधान उनकी सरलता में पाया जा सकता है।

नीतियां एवं प्रगति

स्तुति ऋचा, उपप्रबंधक

समुद्र की लहरों के किनारे बसे, मुंबई के एक पांच सितारा होटल में संभ्रांत एवं संपन्न परिवारों का खाना–पीना चल रहा था, पास ही उनके बच्चे खेल रहे थे, वहीं पास में राष्ट्रीय कला एकादमी में साहित्यकारों का सम्मेलन, विवेचना चल रही थी, गाड़ियों का तांता सा बंधा हुआ था। लेकिन इन सभी आने–जाने वालों को होटल के पास ही एक फुटपाथ पर सो रही औरत और उसके बच्चों के पास से सावधानी से गुजरना पड़ता था। उन दो बच्चों और उनकी मां के पास किसी भी सरकारी योजना के तहत घर मुहैया कराने वाली नीति का कोई प्रभाव नहीं था। अभी भी वह सूखा सा पीपल का पेड़ ही उन्हें घर का एहसास दिलाता था, उसी फुटपाथ पर वह औरत कुछ चीजें बेच कर गुजारा करती है।

हर साल 8–9 नवंबर आता है और बीत जाता है लेकिन फिर भी हर दूसरा भारतीय बच्चा कुपोषित है, पांच वर्ष की आयु तक के बच्चे आज भी दस्त और कुपोषण से मरने को विवश हैं। पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की संख्या 80 प्रतिशत है। इस तरह के आंकड़े वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं, जैसे बारिश के दिनों में उफनती हुई कोई नदी।

मुंबई जो अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र है, वहीं झुग्गी–झोपड़ियां भी हैं जिनके पास शौचालय नहीं है और वह खुली नालियां या ऐसी किसी जगह पर शौच करने जाते हैं। मुंबई की आधी जनसंख्या झुग्गी में रहती है, यही हाल भारत के तमाम महानगरों की झुग्गी–बस्तियों का है। वे सरकार की कई नीतियों से बेखबर, अप्रभावित हैं। ऐसे लोगों की संख्या भारत के ''इंडिया शाईनिंग'' या भारत निर्माण के नारों के बाद से बढ़ी है। यह देन एक विदेशी प्रचार कंपनी की कृति है। इस के माध्यम से भारत के प्रगतिशील अर्थव्यवस्था को बढ़ाया गया था।

कई सारी नीतियां जो क्षेत्रीय और छोटे कारोबार की रक्षा करते थे, उन पर पूर्ण विराम लगा कर कई विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। कोका–कोला, पिज्जा हट, विदेशी बीज कंपनियों इन सबों के लिए भारत एक नया गंतव्य है, जो नए अवसरों से भरा पड़ा है। यह नई इंडिया, तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर चीन को पछाड़ना चाहता है और एक ऐसे समाज का निर्माण कराना चाहता है। जहां पर मध्यम वर्ग के पास अधिकार होंगे, अवसर होंगे। एक बेहतर जीवन होगा, लेकिन कई लोग इस मध्यम वर्ग की रेखा से परे हैं, क्या वो भी इन नीतियों से लाभान्वित होगें? एक ऐसा भी वर्ग है, जो मतदाता है और जो सबसे ज्यादा अपने मताधिकार का उपयोग करता है, लेकिन वह अदृश्य है। वह इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है लेकिन मूक है।

जब वर्ष 2002 में राष्ट्रीय पावर ग्रिड अचानक से बंद हुआ, तो 700 लाख लोग बिना बिजली के हो गए, इसका उल्लेख समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर किया गया, साथ ही भारत की कई नई मिसाईलों का भी उल्लेख हुआ। मंगल ग्रह पर भारत द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यान ने भी प्रशंसा प्राप्त की। यह भी कहा गया है कि यह हर भारतीय के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। अब भारत विश्व स्तरीय मिसाइलों के समूह का एक मुख्य सदस्य बन चुका है। लेकिन यह सारी प्रसन्नता फीकी पड़ जाती है जब हर दिन बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के सामने सरकार की अक्षमता गांवों की मूल–भूत सुविधाएं मुहैया कराने के समक्ष असफल हो जाती है। एक ओर भारत तकनीकी रूप से मजबूत हो रहा है, वहीं गांवों में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा एक स्वप्न सा है। यहां भूमि जीवन है और सरकारी नीतियों द्वारा विदेशी कंपनियों का खुलता बाजार एक शत्रु है। बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियां बीज, अनाज, खाद सब पर अपनी पैठ बनाती जा रही हैं। किसानों और भारतीय कृषि को खोखला करती जा रही हैं। किसान ऋण चक्र में फँसने को विवश है, आत्महत्या के लिए विवश है। लगभग 2.5 लाख से ज्यादा किसानों ने 1990 से अब तक आत्महत्या की है और यह एक केवल छोटा हिस्सा है क्योंकि कई आत्महत्याओं को दुर्घटना का रूप देकर सरकारी महकमों द्वारा बंद कर दिया जाता है। महाराष्ट्र के एक जिले में हर सप्ताह लगभग एक दर्जन कृषक आत्महत्या करते हैं।

ऐसा जान पड़ता है कि सरकारी नीतियों ने अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है, उपजाऊ भूमि औने–पौने दामों पर खरीद कर उसे महंगी कीमतों पर ऊंची इमारतों को खड़ा करने के लिए या किसी कारखाने के निर्माण के लिए बेचा जा रहा है। एक प्रदेश के अंदर लगभग हजारों गांवों को उजाड़ कर फार्मूला वन रेस ट्रेक और छोटे–छोटे कई 'टाउनशिप' का निर्माण किया गया। किसानों ने इसका विरोध किया, पुलिस द्वारा इस विरोध को काबू में लाने के लिए उपयोग में लाए गए तरीकों से चार किसानों की मृत्यु हुई और

कई घायल हुए। लेकिन भारतीय संविधान की समानता की नीति पर सबसे बड़ा प्रहार अपने ही लोगों द्वारा किया जा रहा है, क्या इस प्रहार से भातर चमक उठेगा और प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा? इसका उत्तर काफी जटिल है और शायद इसलिए यह प्रश्न आज भी अपना उत्तर नहीं ढूंढ पा रहा जिस प्रकार सरकारी नीतियों से परे वह औरत अपने सिर के ऊपर छत तलाश कर रही है।

हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा पारित कुछ कानून एक आशा बंधाते हैं कि शायद भ्रष्टाचार में कुछ लगाम लगे और लोगों तक सरकारी सुविधाएं पहुंच सकेंगी। अब वे केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहेंगी। यह भी उम्मीद जगी है कि किसानों की जमीनें जबरन एवं औने–पौने दामों में नहीं हथियाई जाएंगी, बल्कि उस पूरे इलाके की सर्व सम्मति एवं उपयुक्त मूल्य तय होने के बाद ही उनकी जमीन हस्तांतरित होगी। एक कहावत है कि "आशा पर आसमान टिका है" हम सभी देशवासी यही आशा करते हैं कि जल्द ही एक सुबह ऐसी आएगी, जहां हर हाथ को काम और हर परिवार को एक आश्रय मिल सकेगा। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सरकारी नीतियां साकार रूप लेगी और एक छत की तलाश को पूरा करने में सहायक होंगी।

लघु कथा

वचनों का महत्व

वर्षा जैन
सहायक प्रबन्धक

एक आदमी बहुत गरीब था और वह कोई भी काम नहीं करना चाहता था। उसकी पत्नी को घर चलाने के लिए स्वयं ही काम करना पड़ता था। एक दिन उसने अपने पति को पचास रुपये दिए और कहा कि इन पैसों से कुछ अच्छा काम करके आओ।

पति बहुत उलझन में आ गया और घर से निकल गया। वह सोचते हुए चला जा रहा था कि, उसे एक आदमी मिला जो कि अच्छे वचन बेच रहा था। हर वचन खरीदने के दस रुपये लगते थे। व्यक्ति ने वचन खरीदने का सोचा। उसने पहला वचन खरीदा। उसके पहले वचन में निकला कि "जो भी काम करो, निष्काम करो।" यह सुन व्यक्ति को अच्छा लगा और उसने चार और वचन खरीदने के बारे में सोचा। दूसरा वचन आया कि "पत्नी को कभी सच बात मत बताना।" तीसरा वचन निकला कि "राजा से हमेशा सच बोलना।" चौथा वचन था कि "पर्दापोशी करना" और पांचवा वचन निकला कि "जब भी प्रवचन सुनने का मौका मिले तो उसे मत गंवाना।" इन वचनों को सुनकर व्यक्ति खुश तो हुआ। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसके सारे पैसे खत्म हो गए थे और उसने कुछ अच्छा काम भी नहीं किया।

वह निराश होकर जंगल की ओर चलने लगा। चलते–चलते उसे सड़क पर एक मृत औरत पड़ी दिखाई दी। उसे उस औरत का मृत शरीर देखकर बहुत दुख हुआ और उसने कुछ भी सोचे बिना औरत का क्रियाकर्म करने की ठान ली। कुछ आस–पास के व्यक्तियों के सहयोग के साथ उसने वह काम पूर्ण किया। उस औरत के शरीर के पास ही एक थैला पड़ा हुआ था। व्यक्ति ने जानकारी निकालने के लिए उसे खोला तो उसे पता चला कि उस औरत ने लिखा था कि जो उसका क्रियाकर्म करेगा, उसे उस थैली में रखे सोने के मोहरें लेने का अधिकार होगा। व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो गया और सोने के मोहरें लेकर, घर की ओर चल दिया। घर पर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मोहरें दिखाई और सच न बताते हुए कहा कि उसे वह मोहरें जंगल में मिली, जब वह निराश होकर पत्थरों पर सिर मार रहा था।

यह बात धीरे–धीरे पूरे शहर भर में फैल गई और लोग जंगल जाकर उस पत्थर को ढूंढने लगे। आखिरकार राजा को यह बात पता चल गई और उसने मामले के बारे में पता करने के लिए व्यक्ति को अपने महल में बुलाया। व्यक्ति डरता हुआ राजा के महल पहुंचा। राजा ने उसे अपने कक्ष में बुलाया और सब बात सच–सच बताने को कहा। व्यक्ति ने अपने तीसरे वचन की पूर्ति करते हुए, राजा को सब सच्ची बात बता दी। राजा ने उस व्यक्ति की सच्चाई और उस औरत के प्रति उसकी उदारता देखकर खुश हो गया और उसे अपना मंत्री बनाने का आदेश दे दिया। व्यक्ति को उन दोनों वचनों की याद आई और उसने सोचा कि वह सदैव अच्छे कर्म ही करेगा और उन वचनों पर चलेगा।

कुछ दिन पूर्व, एक दिन रात को वह महल के बाहर घूम रहा था। उसने देखा कि रानी और महल का घुड़सवार एक साथ सो रहे थे। उसने तुरंत अपनी चादर लाकर उन पर उढ़ा दी, ताकि किसी को इस बात का पता ना चल पाए। अगले दिन जब रानी सुबह उठी तो उसने अपने ऊपर चादर ढकी देखी और फौरन पहचान गई कि वह चादर उसके मंत्री की है। उसने कसाई को बुलवाया और आदेश दिया कि जो व्यक्ति पहले उसके पास आएगा, उसका सिर काट दें और एक बक्से में डालकर महल भेज दे।

रानी ने मंत्री को कसाई के पास जाकर एक बक्सा लाने को कहा। मंत्री रानी का आदेश पालन कर, कसाई के पास जाने लगा। रास्ते में चलते हुए उसे कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया। वह देखने चला गया कि क्या हो रहा है। उसे समझ आया कि लोग एक महान संत के प्रवचन सुनने के लिए उत्सुक खड़े थे। उसने सोचा के कसाई के पास जाने की कोई जल्दी तो है नहीं, तो प्रवचन सुनकर ही क्यों ना चला जाए। वह प्रवचन का आनंद उठाने के लिए बैठ गया। एक घण्टा बीत गया पर कसाई के पास कोई नहीं आया।

थोड़ी देर बात रानी का भाई कसाई के पास गया पता करने गया कि काम हुआ की नहीं? कसाई ने सोचा शायद यह वही आदमी है जिसके बारे में रानी ने उसे कहा था। उसने रानी के भाई का सिर काटकर बक्से में रख दिया। कसाई वह बक्सा महल पहुंचाने की वाला था कि उसे मंत्री आता हुआ नजर आया। मंत्री ने कसाई से वह बक्सा लिया और महल लौट गया। महल पहुंचकर जब रानी ने मंत्री को देखा तो वह आचंम्भे में आ गई। बक्से में सिर देखकर बेहोश हो गई।

इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे व सत्य वचनों का जीवन में कितना बड़ा महत्व होता है। अगर व्यक्ति सत्य वचनों पर चले तो उसका जीवन बहुत ही सुंदर बन सकता है।

भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी

सौरभ शेखर झा, अनुवादक एवं पत्रकार

भूमंडलीकरण ने विगत दो दशकों में भारत जैसे महादेश के समक्ष जो नई चुनौतियाँ खड़ी की हैं उनमें सूचना विस्फोट से उत्पन्न हुई अफरा–तफरी और उसे सँभालने के लिए जनसंचार माध्यमों के पल–प्रतिपल बदलते रूपों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें संदेह नहीं कि वर्तमान संदर्भ में भूमंडलीकरण का अर्थ व्यापक तौर पर बाजारीकरण है। भारत दुनियाभर के उत्पाद निर्माताओं के लिए एक बड़ा खरीदार और उपभोक्ता बाजार है। बेशक, हमारे पास भी अपने काफी उत्पाद हैं और हम भी उन्हें बदले में दुनियाभर के बाजार में उतार रहे हैं क्योंकि बाजार केवल खरीदने की ही नहीं, बेचने की भी जगह होता है। इस क्रय–विक्रय की अंतर्राष्ट्रीय वेला में संचार माध्यमों का केंद्रीय महत्व है क्योंकि वे ही किसी भी उत्पाद को खरीदने के लिए उपभोक्ता के मन में ललक पैदा करते हैं। यह उत्पाद वस्तु से लेकर विचार तक कुछ भी हो सकता है। यही कारण है कि आज भूमंडलीकरण की भाषा का प्रसार हो रहा है तथा मातृबोलियाँ सिकुड़ और मर रही हैं। आज के भाषा संकट को इस रूप में देखा जा रहा है कि भारतीय भाषाओं के समक्ष उच्चरित रूप भर बनकर रह जाने का खतरा उपस्थित है क्योंकि संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण उत्तरआधुनिक माध्यम टी.वी. अपने विज्ञापनों से लेकर करोड़पति बनाने वाले अतिशय लोकप्रिय कार्यक्रमों तक में हिंदी में बोलता भर है, लिखता अंग्रेजी में ही है। इसके बावजूद यह सच है कि इसी माध्यम के सहारे हिंदी अखिल भारतीय ही नहीं बल्कि वैश्विक विस्तार के नए आयाम छू रही है। विज्ञापनों की भाषा और प्रोमोशन वीडियो की भाषा के रूप में सामने आनेवाली हिंदी शुद्धतावादियों को भले ही न पच रही हो, युवा वर्ग ने उसे देश भर में अपने सक्रिय भाषा कोष में शामिल कर लिया है। इसे हिंदी के संदर्भ में संचार माध्यम की बड़ी देन कहा जा सकता है।

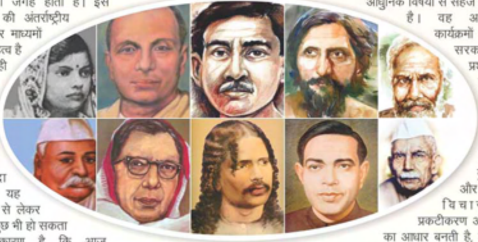

सूचना संचार प्रणाली किसी भी व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अंग्रेज रहे हों या हिटलर जैसे तानाशाह, सबको यह मालूम था कि सैन्य शक्ति के अलावा असली सत्ता जनसंचार में निहित होती है। आज भी भूमंडलीकरण की व्यवस्था की जान इसी में बसती है। दूसरी तरफ समाज के दर्पण के रूप में साहित्य भी तो संचार माध्यम ही है जो सूचनाओं का व्यापक संप्रेषण करता है। साहित्य की तुलना में संचार माध्यमों का ताना–बाना अधिक जटिल और व्यापक है क्योंकि वे तुरंत और दूरगामी असर करते हैं। भूमंडलीकरण ने उन्हें अनेक चैनल ही उपलब्ध नहीं कराए हैं, इंटरनेट और वेबसाइट के रूप में अंतर्राष्ट्रीयता के नए अस्त्र–शस्त्र भी मुहैया कराए हैं। परिणामस्वरूप संचार माध्यमों की त्वरा के अनुरूप भाषा में भी नए शब्दों, वाक्यों, अभिव्यक्तियों और वाक्य संयोजन की विधियों का समावेश हुआ है। इस सबसे हिंदी भाषा के सामर्थ्य में वृद्धि हुई है। संचार माध्यम यदि आज के आदमी को पूरी दुनिया से जोड़ते हैं तो वे ऐसा भाषा के द्वारा ही करते हैं। अतः संचार माध्यम की भाषा के रूप में प्रयुक्त होने पर हिंदी समस्त ज्ञान–विज्ञान और आधुनिक विषयों से सहज ही जुड़ गई है। वह अदालतनुमा कार्यक्रमों के रूप में सरकार और प्रशासन से प्रश्न पूछती है, विश्व जनमत का निर्माण करने के लिए बुद्धिजीवियों और जनता के विचारों के प्रकटीकरण और प्रसारण का आधार बनती है, सच्चाई का बयान करके समाज को अफवाहों से बचाती है, विकास योजनाओं के संबंध में जन शिक्षण का दायित्व निभाती है, घटनाचक्र और समाचारों का गहन विश्लेषण करती है तथा वस्तु की प्रकृति के अनुकूल विज्ञापन की रचना करके उपभोक्ता को उसकी अपनी भाषा में बाजार से चुनाव की सुविधा मुहैया कराती है। आज व्यवहार क्षेत्र की व्यापकता के कारण संचार माध्यमों के सहारे हिंदी भाषा की भी संप्रेषण क्षमता का बहुमुखी विकास हो रहा है। हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय ही नहीं, विविध अंतर्राष्ट्रीय चैनलों में हिंदी आज सब प्रकार के आधुनिक संदर्भों को व्यक्त करने के अपने सामर्थ्य को विश्व के समक्ष प्रमाणित कर रही है। अतः कहा जा सकता है कि वैश्विक संदर्भ में हिंदी की वास्तविक शक्ति को उभारने में संचार माध्यमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक हिंदी दुनिया में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा थी परंतु आज स्थिति यह है कि वह दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है तथा यदि हिंदी जानने–समझने वाले हिंदीतरभाषी देशी–विदेशी हिंदी भाषा प्रयोक्ताओं को भी इसके साथ जोड़ लिया जाए तो हो सकता है कि हिंदी दुनिया की प्रथम सर्वाधिक व्यवहृत भाषा सिद्ध हो। हिंदी के इस वैश्विक विस्तार का बड़ा श्रेय

भूमंडलीकरण और संचार माध्यमों के विस्तार को जाता है। यह कहना गलत न होगा कि संचार माध्यमों ने हिंदी के जिस विविधतापूर्ण सर्वसमर्थ नए रूप का विकास किया है, उसने भाषासमृद्ध समाज के साथ–साथ भाषावंचित समाज के सदस्यों को भी वैश्विक संदर्भो से जोड़ने का काम किया है। यह नई हिंदी कुछ प्रतिशत अभिजात वर्ग के दिमागी शगल की भाषा नहीं बल्कि अनेकानेक बोलियों में व्यक्त होने वाले ग्रामीण भारत की नई संपर्क भाषा है। इस भारत तक पहुँचने के लिए बड़ी से बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी हिंदी और भारतीय भाषाओं का सहारा लेना पड़ रहा है।

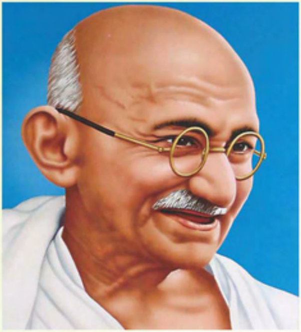

हिंदी के इस रूप विस्तार के मूल में यह तथ्य निहित है कि गतिशीलता हिंदी का बुनियादी चरित्र है और हिंदी अपनी लचीली प्रकृति के कारण स्वयं को सामाजिक आवश्यकताओं के लिए आसानी से बदल लेती है। इसी कारण हिंदी के अनेक ऐसे क्षेत्रीय रूप विकसित हो गए हैं जिन पर उन क्षेत्रों की भाषा का प्रभाव साफ–साफ दिखाई देता है। ऐसे अवसरों पर हिंदी व्याकरण और संरचना के प्रति अतिरिक्त सचेत नहीं रहती बल्कि पूरी सदिच्छा और उदारता के साथ इस प्रभाव को आत्मसात कर लेती है। यही प्रवृत्ति हिंदी के निरंतर विकास का आधार है और जब तक यह प्रवृत्ति है तब तक हिंदी का विकास रुक नहीं सकता। बाजारीकरण की अन्य कितने भी कारणों से निंदा की जा सकती हो लेकिन यह मानना होगा कि उसने हिंदी के लिए अनुकूल चुनौती प्रस्तुत की। बाजारीकरण ने आर्थिक उदारीकरण, सूचनाक्रांति तथा जीवनशैली के वैश्वीकरण की जो स्थितियाँ भारत की जनता के सामने रखी, इसमें संदेह नहीं कि उनमें पड़कर हिंदी भाषा के अभिव्यक्ति कौशल का विकास ही हुआ। अभिव्यक्ति कौशल के विकास का अर्थ भाषा का विकास ही है। यहाँ यह भी जोड़ा जा सकता है कि बाजारीकरण के साथ विकसित होती हुई हिंदी की अभिव्यक्ति क्षमता भारतीयता के साथ जुड़ी हुई है। आज प्रचार माध्यमों की भाषा हिंदी होने के कारण वे भारतीय परिवार और सामाजिक संरचना की उपेक्षा नहीं कर सकते। इसका अभिप्राय है कि हिंदी का यह नया रूप बाजार सापेक्ष होते हुए भी संस्कृति निरपेक्ष नहीं है। विज्ञापनों से लेकर धारावाहिकों तक के विश्लेषण द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि संचार माध्यमों की हिंदी अंग्रेजी और अंग्रेजियत की छाया से मुक्त है और अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है।

बाजार और हिंदी की इस अनुकूलता का एक बड़ा उदाहरण यह हो सकता है कि पिछले पाँच–सात वर्षों में संचार माध्यमों पर हिंदी के विज्ञापनों के अनुपात में सत्तर प्रतिशत उछाल आया है। इसका कारण भी साफ है। भारत रूपी इस बड़े बाजार में सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग मध्य और निम्नवित्त समाज का है जिसकी समझ और आस्था अंग्रेजी की अपेक्षा अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा से अधिक प्रभावित होती है। इस नए भाषिक परिवेश में विभिन्न संचार माध्यमों की भूमिका केंद्रीय हो गई है। हम देख सकते हैं कि इधर हिंदी पत्रकारिता का स्वरूप बहुत बदल गया है। अनेक पत्रिकाएँ यद्यपि बंद हुई हैं परंतु अनेक नई पत्रिकाएँ नए रूपाकार में शुरू भी हुई हैं। आज हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदी और हिंदीतर राज्यों का अंतर मिटता जा रहा है। हिंदी पत्र–पत्रिकाओं का पाठक वर्ग तो संपूर्ण देश में है ही, उनका प्रकाशन भी देशभर से हो रहा है। डिजिटल टेकनीक और बहुरंगे चित्रों के प्रकाशन की सुविधा ने हिंदी पत्रकारिता जगत को आमूल परिवर्तित कर दिया है।

कवि रघुवीर सहाय ने कविता के जरिए 25–30 साल पहले कहा था– हिंदी है मालिक की / तब आजादी से लड़ने की भाषा फिर क्या होगी? / हिंदी की माँग / अब दलालों की अपने दास–मालिकों से / एक माँग है / बेहतर बर्ताव की / अधिकार की नहीं.' तब समकालीन भूमंडलीकरण का उड़नखटोला भारत नहीं पहुँचा था। पर ये पंक्तियाँ मौजूदा समय में हिंदी की सूरते–हाल बखूबी बयां करती है। करोड़ो वंचितों, दलितों, स्त्रियों के संघर्ष की भाषा होने के कारण ही महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने आजादी के आंदोलन के दौर में हिंदी के पक्ष में पुरजोर ढंग से वकालत की थी। उन्होनें हिंदी को स्वराज से जोड़ा। आज हिंदी संघर्ष की भाषा होने की ताकत खोती जा रही है। आम जन से भाषा की दूरी बढ़ती जा रही है। हिंदी पर बाजार और संचार के माध्यमों का दबाव है। दशकों से सत्ता की घोर उपेक्षा झेल रही हिंदी को लेकर भारतीय समाज में गहरी उदासीनता है।

भूमंडलीकरण एक ऐसा कनखजूरा है जिसके बावन हाथ हैं। वर्तमान जीवन का कोई पहलू, कोई कोना इससे अछूता नहीं है। 90 के दशक में भारत में उदारीकरण, बाजारीकरण और भूमंडलीकरण की प्रकिया ने अपने साथ संचार क्रांति लेकर आया, या कहना चाहिए कि संचार माध्यमों के रथ पर चढ़ कर ही भूमंडलीकरण ने भारत में अपना पाँव फैलाया. वर्तमान में केबल, इंटरनेट, मोबाइल के माध्यम से एक नई हिंदी गढ़ी जा रही है। यह हिंदी फिल्मों, धारावाहिकों, विज्ञापनों, समाचार पत्रों और खबरिया चैनलों के माध्यम से तेजी से फैल रही है। सच है कि देश–विदेश में हिंदी की पहुँच इससे काफी बढ़ी है. सच है कि 'विज्ञापन की हिंदी' सहज ही लोगों के दिल में जगह बना लेती है, लेकिन यह भाषा भूमंडलीकरण के साथ फैल रही उपभोक्ता संस्कृति की है, विमर्श की नहीं। इस भाषा में

लोक–राग और रंग नहीं है जहाँ से हिंदी अपनी जीवनशक्ति पाती रही है।

किसी भी भाषा के विकास और प्रचार–प्रसार में संचार माध्यमों का विशिष्ट योगदान रहा है। हिंदी इसका अपवाद नहीं है। उन्नीसवीं सदी के आखिरी तथा बीसवीं सदी के शुरूआती दशकों में हिंदी भाषा, विशेष रूप से हिंदी गद्य के विकास और परिमार्जन में हिंदी के पत्र–पत्रिकाओं के योगदान का ऐतिहासिक महत्व है। पर पिछले दशकों में हिंदी के स्वरूप में काफी तेजी से बदलाव हुआ है। खास तौर पर हिंदी अखबारों में, जिसकी पहुँच भारत के कोने–कोने में बढ़ती जा रही है। 90 के दशक में तकनीक उपलब्धता, फैलते बाजार तथा

सरकार की उदारीकरण की नीतियों के कारण देश में हिंदी के दर्जनों खबरिया चैनलों का प्रवेश हुआ। हिंदी अखबारों की भाषा पर इन चैनलों का खासा प्रभाव दिखता है।

80 के दशक के किसी भी अखबार की सुर्खियां स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ और अभिधापरक हुआ करती थी। अखबार की सुर्खियों से खबरों का आभास अच्छी तरह मिल जाता था। अंग्रेजी के उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल होता था जो सहज और सरल हों, जिससे पूरी पंक्ति के प्रवाह में बाधा नहीं पड़ती हो। प्रभाष जोशी, राजेंद्र माथुर और सुरेंद्र प्रताप सिंह जैसे पत्रकारों ने इस दशक में ऐसी भाषा का प्रयोग शुरू किया जिसकी पहुँच हिंदी के बहुसंख्य पाठकों तक थी। इन पत्रकारों ने बोलियों और लोक से जुड़ी हुई भाषा का इस्तेमाल किया जिससे अखबार की भाषा लोगों के सरोकारों से जुड़ी। लेकिन आज अखबारों की सुर्खियां चुटीली, मुहावरेदार और अंग्रेजी की छौंक लिए होती है। कई बार शीर्षक और खबर में तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है। बजट और चुनाव जैसी महत्वपूर्ण खबरों को भी मनोरंजक भाषा में प्रस्तुत करने का चलन जोर पकड़ रहा है। हिंदी समाचार पत्रों के कई संपादक इस भाषा के पक्ष में दलील देते हुए मिलते हैं। पर सवाल है कि हिंदी समाज का वह कौन सा वर्ग है जो इस भाषा को अपना कर गौरवान्वित हो रहा है, और जिसके प्रतिनिधि होने का दावा हिंदी के अखबार आज कर रहे हैं?

भाषा महज अभिव्यक्ति का साधन ही नहीं है। भाषा में मनुष्य की अस्मिता स्वर पाती है। उसमें सामाजिक–साँस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति होती है। समय के साथ होने वाले सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तनों की अनुगूँज उसमें सुनाई पड़ती है। भूमण्डलीकरण के बाद हिंदी के अखबारों में भाषा का रूप जितनी तेजी से बदला है उतनी तेजी से हिंदी मानस की सामाजिक–सांस्कृतिक चेतना नहीं बदली है। नतीजतन यह बदलाव अनायास न होकर सायास है। एक खास उभर रहे उपभोक्ता वर्ग को ध्यान में रखकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह शहरी नव धनाढ्य वर्ग है जिसकी आय में अप्रत्याशित वृद्धि उदारीकरण, बाजारीकरण और भूमण्डलीकरण के दौर में हुई है। यही वर्ग खुद को इस भाषा में अभिव्यक्त कर रहा है। इस वर्ग में हिंदी क्षेत्र के बहुसंख्यक किसान, मजदूर, स्त्री तथा दलित नहीं आते। हिंदी के विद्वान–आलोचक राम विलास शर्मा ने ठीक ही लिखा है कि 'समाज में वर्ग पहले से ही होते हैं। भाषा में कठिन और अस्वभाविक शब्दों के प्रयोग से वे नहीं बनते किंतु इन शब्दों के गढ़ने और उनका व्यवहार करने के बारे में वर्गों की अपनी नीति होती है।'

हिंदी के साथ शुरू से ही यह विडंबना रही है कि कुछ निहित राजनीतिक स्वार्थों के चलते कभी इसे उर्दू, कभी तमिल तो कभी अंग्रेजी के बरक्स खड़ा किया जाता रहा। स्वाभाविक हिंदी जिसे बहुसंख्य जनता बोलती–बरतती है, का विकास इससे बाधित हुआ। राजभाषा हिंदी को वर्षों तक ठस, संस्कृतनिष्ठ, उर्दू–फारसी शब्दों से परहेज के तहत तैयार किया गया। कागज पर भले ही राष्ट्रभाषा–राजभाषा हिंदी का विशाल भवन तैयार किया जाता रहा, सच्चाई यह है कि हिंदी की जमीन लगातार कमजोर होती गई। राजनीतिक स्वार्थपरता, सवर्ण मानसिकता तथा राष्ट्रभाषा–राजभाषा के तिकड़म में सबसे ज्यादा दुर्गति हिंदी की हुई। 1960 के दशक में उत्तर भारत में 'अंग्रेजी हटाओ', और दक्षिण भारत में 'हिंदी हटाओ' के राजनीतिक अभियान में भाषा किस कदर प्रभावित हुई इसे हिंदी कवि धूमिल ने इन पंक्तियों में व्यक्त किया था– 'तुम्हारा ये तमिल दुःख' मेरी इस 'भोजपुरी पीड़ा का भाई है' भाषा उस तिकड़मी दरिंदे का कौर है।' हिंदी की अस्मिता विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों से मिलकर बनी है। कबीर से लेकर प्रेमचंद और बाबा नागार्जुन का साहित्य इसका दृष्टांत है। हिंदी भाषा का विकास और प्रसार इन्हीं बोलियों, क्षेत्रीय भाषाओं के साथ संवाद के माध्यम से संभव है। तब कहीं जाकर सही मायनों में हिंदी अखिल भारतीय भाषा होने का दावा कर सकती है। सरकारी संस्थानों ने, जिनका काम हिंदी के प्रचार–प्रसार में सहयोग देना है, हिंदी का प्रचार–प्रसार कम, अपकार ज्यादा किया है। सरकार और उसकी सहयोगी संस्था हर साल बस हिंदी दिवस मना कर अपने कर्तव्य की इति श्री समझ लेती है।

शेष अगले अंक में ....

व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रूख को बदल सकता है। हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्म के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आंख के बदले में आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं।

महात्मा गांधी

चमत्कारी बाबा-2

डा॰ जी.एन. सोमटेवे, सहा. महाप्रबंधक

आवास भारती के अप्रैल से जून, 2012 प्रकाशित अंक में आपने पढ़ा है कि मेरे एक अनन्य मित्र श्री धर्मानंद जी का स्वरूप धंधानंद की तरह फलने–फुलने लगा था। उन्होंने काफी बड़ा नाम कमाया। हजारों शिष्य तैयार कर लिए और अपार संपत्ति खड़ी कर ली थी। बड़े–बड़े आश्रम, गाडियां, चेले और चेलियों की लंबी कतारें सब कुछ प्राप्त कर लेने के साथ–साथ शरीर भी भीमकाय कर लिया था। साधारण व्यक्ति उनके सामने खड़ा होने को डरने लगा था। पिछले महीने मैं गांव गया था। समाचार मिला कि धर्मानंद जी अस्वस्थ हैं। मैं उन्हें देखने चल पड़ा किंतु मुझे बतलाया गया कि वे अस्वस्थ जरूर हैं मगर सेंट्रेल जेल में हैं और तेजी से स्वास्थ खो रहे हैं। इधर गांव में भी उनके आश्रम में लूट मची हुई है तथा अन्य आश्रमों की कमोबेश यही स्थिति है। वे कुख्यात हो चुके हैं।

इस संबंध में विस्तार से जानने के लिए मैं उनके घर गया। वहां की हालत देख मेरा ह्रदय द्रवित हो गया तथा वहां की अव्यवस्था देख दंग रह गया। पत्नी, बच्चे सब गायब थे घर में केवल उनकी बूढ़ी मां एवं रिश्ते के एक चाचा उपस्थित थे। दोनों प्राणी बीमार अवस्था में जर्जर नजर आए। माता जो कुछ बता पाई वह काफी गंभीर और दुखदायी था। कहने और लिखने को बड़ा कष्ट हो रहा है। मैं भारी मन से घर लौटा। जैसे कि हमेशा होता है मेरे भतीजे ने पिछले एक साल के स्थानीय समाचार पत्र के बंडल मेरे समक्ष ला कर रख दिये जिसमें श्री धर्मानंद जी के हजारों कारनामें पढ़ने को मिले।

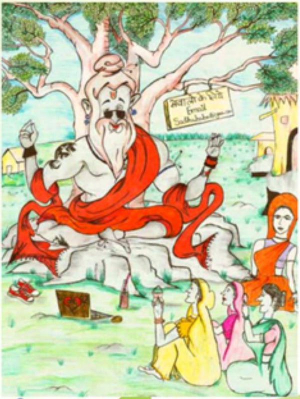

सारांश रूप में उन सभी कारनामों को आपके समक्ष रखते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है। जैसे कि पिछले लेख में आपने पढ़ा कि धर्मानंद जी को शर्तिया पुत्र उत्पन्न करने की विधि किन्ही दैवीयोग से प्राप्त हुई थी उसका अत्याधिक प्रयोग ही धर्मानंद जी को ले डूबा। इसे विडंबना ही समझे कि धर्मानंद जी समयाभाव की वजह से रात्रि में ही औषधियां देते थे। रात्रि कालिन चिकित्सा ने धर्मानंद जी को दिन में तारे दिखा दिए और वे कहीं के न रहे।

धनार्जन और ख्याति प्राप्त करने के पश्चात धर्मानंद जी ने देशी–विदेशी मदिरा के ठेकों को खरीदना प्रारंभ कर दिया था तथा परमसुख एवं दीर्घ आयु प्राप्त करने के लिए उन्हें किसी आसुरी शक्तियों के मार्ग दर्शानुसार कम उम्र की स्त्री से शादी कर परलोक सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन इसी सलाह को प्राथमिकता देने की वजह से परलोक सुधारना तो अलग रहा अब परलोक सिधारने जैसी स्थिति हो गई है। देशी–विदेशी मदिरा के ठेके विभिन्न दलों को चंदा देने के काम आते थे। वे भ्रष्ट कर्मचारियों की वजह से डूब गए। पुलिस द्वारा दर्ज अनेक प्राथमिकी रिपोर्ट की वजह से चल अचल संपत्ति की लूट मच गई और धर्मानंद जी कंगाल हो गये। जेल से जमानत मिलना या रिहाई होना असंभव है इसलिए किसी तरह प्राण त्याग देने की विचारधारा पर भी धर्मानंद जी कार्य कर रहे हैं। शारीरिक चोटों (पुलिसिया मार और प्रताड़ना) की वजह से मर्मांतक पीड़ा हो रही है जिस पर मलहम लगाने वाला कोई नहीं है। बैंक की भाषा में सत्य कहें तो लगभग अनपढ़ होने की वजह से धर्मानंदजी आवक और जावक (एएलएम) प्रणाली में तालमेल न बिठा सके और उनका ख्यातिनुमा भारी भरकम जहाज समुद्र में डुब गया और वे खुद किनारे पर भी न लग सके। दिल के अरमा दिल में ही रह गए। धर्मानंदजी न घर के रहे न घाट के। अगली बार जब मैं घर जाऊंगा तो शायद पता चले कि धर्मानंद नर्क सिधार चुके हैं।

घर लौटने के रास्ते भर मैं यह सोचता रहा कि मेरे देशवासियों को क्या हो गया है? इतने आधुनिक युग में भी हम जादू–टोना, टोटका, अंधविश्वास, झाड़–फूंक पर क्यों विश्वास करते हैं? शायद इसलिए कि यह सारी चीजें हमें विरासत में मिली हैं और अंग्रेजों ने इसे और सहारा दिया। अंग्रेज भूत–प्रेत और अच्छी–बुरी आत्माओं पर ज्यादा विश्वास करते हैं। उनके लिए ईश्वर के साथ–साथ शैतान भी महत्वपूर्ण हैं। ओशो ने इन सब चीजों को बकवास कहा दुनिया के सामने सच का सच और झूठ का झूठ रख दिया। कहीं कोई गुंजाइश न रखी। किसी को भी मुगालता पालने की जरूरत नहीं। दुनिया में ऐसी किसी सिद्धि की उपलब्धता की कोई आदमी बात करता है तो वह सबसे बड़ा झूठा आदमी है। कलयुग में ऐसा कुछ संभव नहीं। ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त करने की बात तो बड़ी दूर की है। आदमी इंसान बन जाएं यही बड़ी बात है। ओशो ने इसलिए नवसन्यास की कल्पना को जन्म दिया। आप गृहस्थ रहे मगर पूरे होश में सन्यासग्रस्त, पूरी तरह आध्यात्मिक जीवन जीएं।

एक जमाना था साधु परंपरा पूजनीय थी। साधु का सम्मान ईश्वर समान था। साधु संस्कृति और समाज के लिए मार्गदर्शक हुआ करते थे। आज

साधु व संयासियों के मायने बदल गए हैं। सुना है फकीर दरवेश अपना सारा जीवन रात–रात भर जागकर समाज और जनता की खुशहाली के लिए ईश्वर से दुआ मांगते थे। प्रार्थना करते थे कि जनता का सर्वोपरि कल्याण हो। इसलिए साधु व संयासियों जैसी मान्यता पीर–पगारों, सूफी, दरवेशों और बाबाओं को मिली है। पूजा स्थल में शीश नवाने के लिए किसी विशेष जाति धर्म का होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आज ठीक इसके उल्टे, धर्म के नाम पर पाखंड परोसने वाले बाबाओं ने हद कर दी। देश–विदेश में साधुगीरी कलंकित हो गई। महज कथावाचकों को धर्मात्मा समझ लिया गया। लोगों ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि फलां बाबा की योग्यता क्या है? उनकी शिक्षा और चरित्र क्या है? महज अंधविश्वासियों, मुर्खों, न के बराबर पढ़े हुए ढोंगियों के इशारों पर नाचना शुरू कर दिया और ऐसे ढोंगी बाबाओं ने समाज से अकूत रुपया इकट्ठा किया। उसी पैसे से कुछ चेरीटी धमार्थ सेवाएं कर लोगों को भ्रमित करने लगे। लोग कब बौद्धिक मंथन करेंगे और इन पाखंडियों का साथ कब छोड़ेगें यह ईश्वर को ही मालूम है।

मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि एक साधारण लगभग अशिक्षित, बीमार व्यक्ति ने 15 साल पहले चांदनी चौक से 2 रुपये की 'घरेलू डाक्टर' नामक पुस्तिका खरीदी और चूर्ण तथा काढ़ा आदि बनाकर लोगों को देने लगा। आगे उछल कूद कर अवैज्ञानिक पद्धति से व्यायाम सिखाने लगा। तमाशाईयों की भीड़ जुटने लगी। फिर निशुल्क शिविर आयोजन के नाम पर 500–1000 की टिकटे बांटकर घूम–घूम कर शो करने लगा। उसे एक अनपढ़ परदेसी का साथ मिला जिसने अपने आप को आयुर्वेदाचार्य घोषित करवाया। व्यायाम और जड़ी–बूटियां ऐसी रंग में रंगी कि उसके वारेन्यारे हो गए। सारा देश व्यायाम करने जुट गया और वह इंसान करोड़पति तो क्या अरबपति हो गया। देशी व्यापारियों ने भी खूब साथ दिया उसका। सारे देश में जड़ी–जड़ी और बूटी–बूटी हो गई। पेड़–पौधों और वनस्पतियों की शामत आ गई। सारा वनस्पति जगत महाविनाश के गर्त में झोक दिया गया।

पैसा आते ही उस आदमी ने व्यापारी बन फैक्ट्रियां डाली और बाद में जनता के विभिन्न संघटन खड़े कर दिये और मंच से शुद्ध राजनीति प्रवचन प्रारंभ कर दिया। वह इंसान कथित साधु से राजनीतिज्ञ हो गया। आयुर्वेद विद्यालय खोल अपने अनपढ़ आयुर्वेदाचार्य को प्रधान बनवा दिया। वाह! वाह! उसके क्या कहने। लेकिन कुछ उसके ऐसे भी चेले थे उसकी असलियत पता चली तो उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। अच्छा किया। कालांतर में उस व्यापारी का भी मान–सम्मान कम हुआ लोग उससे जुड़ने की बजाय दूर जाने लगे है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इन बाबाओं के लिए एक रेगुलेटरी आयोग बने जो इनके कार्यकलापों पर अंकुश लगाएं। वैज्ञानिक कहां सोए पड़े हैं? एक अच्छे बाबा का क्लोन उपयोग में क्यों नहीं लाते? ऐसे अनेक बाबा बनाकर मेट्रो स्टेशनों, हवाई अड्डों, सरकारी भवनों, चौक–चौराहों पर स्कैनिंग की मशीन की जगह खड़ा क्यों नहीं कर देते? एक्सरे मशीनों, एमआरआई मशीनों, पैथोलॉजिकल लैबों की जगह क्यों नहीं लिटा देते? वे बिना बिजली खर्च किए सामानों और लोगों की चेकिंग कर लेते, बिना रेडिएशन फैलाए काम किया करते? उनके द्वारा उत्सर्जित 'रेडिएशन' से किसी का क्या नुकसान होता?

सोचता हूं कितना अच्छा है बाबाओं का धंधा? 'न हर्र लगे, न फिटकरी, रंग चोखा' कहावत ऐसे ही बाबाओं को देखकर बनी होगी। पूंजी कुछ नहीं, बस लाभ ही लाभ। करने के नाम पर बस इतना करना है कि घर से चोरी–चकारी, लड़ाई–झगड़ा कर भाग जाना है। अपनी दाढ़ी बढ़ा लेनी है। गेरुआ, पीत या श्वेत वस्त्र धारण कर लेना है। बचपन में सुनी–सुनाई रामायण–महाभारत और पंचतंत्र की कहानियों और 'गर्दभ राग' की पूंजी के बल पर लाखों भक्तों की भीड़ को बेवकूफ बना देना है। बस्स! मुझे लगता है कि जब पढ़ाई–लिखाई से बिलकुल विमुख व्यक्ति बाबा बन सकते हैं तो मेरे जैसे पीएचडी धारी क्यों नहीं बन सकते? मेरे पास तो योग, आयुर्वेद, पंचकर्म, अध्यात्म, भूतप्रेत विद्या वगैरह का व्यापक ज्ञान है। इसके बल पर तो मैं अंत में बड़ा बाबा बन सकता हूं। बस मुझे अपना नाम बदलना होगा। मैं धवल वस्त्र धारण करूंगा और अपनी वेबसाइट बनाकर लोगों की समस्या सुलझाऊंगा।

मैं संन्यासी की तरह जीवन बिताऊंगा और अंदर–अंदर छप्पन प्रकार के भोग–भाग का मजा लूंगा। मोटर साइकिल की सुविधा भी नहीं पाने वाला मैं बड़ी एयरकंडीशंड गाड़ी की सुविधा पाने वाला बन जाऊंगा। महानगर में एक कमरे को तरसता मैं 10–20 एकड़ भूमि पाने वाला बन जाऊंगा। मंतरी–संतरी को देखकर सटकने वाला मैं मंतरी–संतरी को अपने चरणों में लौटाने वाला बन जाऊंगा। दिन–रात कलम घिसने वाला मैं कलम से कान खोदने का काम करने लग जाऊंगा। नवग्रह जैसे हमेशा एक दूसरे के घरों में ताकझाक करते हैं उसी तरह मैं भी हर शिष्य के जीवन में दखलअंदाजी करूंगा।

मुझे प्रूफ रीडिंग जैसे निष्कपट काम को करने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। मैं तो दूसरों की जिंदगी के प्रूफ सुधारने लग जाऊंगा। '........ बेटा! तुम्हारा चंद्रमा बहुत बुरी जगह फंस गया है, उसे निकालने के लिए बस एक लोहे की कील तुम्हें अपनी किसी गुप्त जगह रखनी है।' '......... तुम्हें काले कपड़े पहन कर शनि महाराज के मंदिर में एक पाव तेल चढ़ा देना है।' '............तुम्हें एक पऊआ देसी–भैरव देवता पर।' '............तुम्हें काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलानी है।' '..........तुम्हें भूरी चींटियों के बिल में मिसरी का घोल।' 'तुम्हें 27 दिन तक पत्नी से अलग रहना है।' '.. .....तुम कुछ मत करो, बस अपने गले में भभूत की ताबीज बनाकर पहन लो।' '..........तुम सोमवार का व्रत शुरू कर दो।' '.......तुम रविवार का।' तुम्हारा भला होगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं, इन बातों से किसी का भला हो या न हो, मेरा भला तो हो ही जाएगा। मेरी साढ़े साती दूर हो जाएगी, मेरा मंगल अपने उचित स्थान पर पहुंच जाएगा, राहु–केतु रास्ता बदल लेगा, बृहस्पति अपनी भृकुटि सीधी कर लेगा, शुक्र अपनी धुरी पर शुक्र मनाएगा। अंत में, मैं यह भी सोचता हूं कि मैंने विधिवत आयुर्वेद की पढ़ाई की है, मैं स्वयं वनवासी हूं, टोटकों से, भभूत से वाकिफ हूं, कानून में पीएचडी हूं यदि बाबा बन जाऊं तो पीएचडी बाबा खूब चलेगा। पैसे के बल पर एक–दो धार्मिक चैनल खरीद लूंगा और उन्हें खुद के ही प्रचार में लगा दूंगा। आंख बंद कर अंतरयामी मुद्रा में अपने कालर्स का बाहर–भीतर बताता रहूंगा। मजमे, संगोष्ठी, सेमिनार, प्रदर्शन, शिविर लगाऊंगा। खुब वाहवाही लुटवाऊंगा। जनता का क्या, वो तो बाबाओं के पीछे–पीछे दुख निवारण करने की गुहार करते हुए चलती ही है। मेरे साथ लाखों न चले हजारों तो चल ही पड़ेंगें।

(यह एक लेख है, वास्तविकता से इसका कोई सम्बंध नहीं है)

अफवाहों के दुष्परिणाम

राम नारायण चौधरी, उप प्रबंधक

प्राचीन काल की बात है, एक बार जंगल में एक गधा थकावट के बाद विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था। उसी समय, गधे के दिमाग में एक प्रश्न आया, यदि धरती फट जाय तो क्या होगा? शायद मैं भी जमीन के अंदर मिट्टी में दबकर दफन हो जाऊं......। संयोगवश उसी समय काफी जोर से धड़ाम की आवाज आई, गधे को लगा वास्तव में धरती फट गई। वह चिल्लाते हुए भागा, "भागो–भागो धरती फट रही है।" यह देखकर कुछ दूरी पर दूसरे गधे ने इनकी हमाशा और घबराहट का कारण, रास्ते में पूछा, भाई, क्या हो गया तुझे? गधे ने दूसरे गधे से कहा, सोचो मत, प्रश्न के उत्तर का समय नहीं है। यदि जान बचानी है तो मेरे साथ तुम भी भागो, धरती पीछे से फटती आ रही है। दूसरे गधे ने बिना सोचे, समझे और देखे गधे के साथ भागे जा रहे थे। और जंगल में चिल्ला रहे थे, "यदि जान बचानी है तो भागो, धरती फटती आ रही है।" यह खबर विशाल दावानल की तरह जंगल में फैलती गयी और देखते ही देखते जंगल में चारों तरफ हाहाकार तथा बेचैनी का माहौल छा गया। जंगल के सभी छोटे–बड़े कम होशियार और ज्यादा होशियार वाले जानवरों ने अपनी–अपनी जान बचाने के लिए जंगल से दूर भागने लगे। भागने वालों में सियार, बदंर, भालू, हिरण, चिता, कुत्ता, चीतल, सांभर, लंगूर आदि सभी जानवर थे।

सभी जानवर फटाफट एक निर्णय पर पहुंचे कि इस समाचार को जंगल के राजा शेर को तुरंत बताया जाए। राजा और शक्तिशाली होने के नाते वे हम लोगों के लिए कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालेगें, जिससे हम सभी की जान बचने की संभावना बढ़ जाएगी। तय योजना के अनुसार, सभी जानवरों ने इनकी सूचना माद में विश्राम कर रहे शेर को तुरंत दी।

शेर के पूछने पर सभी एक दूसरे को घूरने लगे। निष्कर्ष यह निकला कि ये बाते सबसे पहले गधे ने दूसरे गधे को कहा कि जान बचानी है तो भागो, पीछे से धरती फट रही है। महाराज सोचने का वक्त ही हम लोगों को नहीं मिला। शेर ये सब राम कहानी समझ गया और सभी को डांटते हुए कहा कि कृपया शांत हो जाओ। गधे से कहा, भाई तुम चलो और दिखाओं कि धरती कहां फट रही है। चलते–चलते देखा कि धरती कहीं भी नहीं फट रही है और जहां गधा विश्राम कर रहा था उसके बगल में ही नारियल का एग बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ से हवा को पचंड बहाव से नारियल का गुच्छा नीचे रखे विशाल पत्थर पर गिरा और कई नारियलों को एक साथ फटने से तीव्र आवाज आई थी। साथ ही पत्थर के खिसकने से मिट्टी तथा धूलकण के दृश्य दिखें थे। इस प्रकार गधे की मुर्खता तथा अफवाहों के लिए शेर ने उन्हें काफी डाट लगाई। साथ ही सियार, बदंर, भालू, कुत्ता जैसे चतुर जानवरों को समझायां कम से कम तुम में से कोई भी दिमाग लगाया होता। गधे की बात को जरा परखने की कोशिश करता तो ये नौबत नहीं आती और तुम में से कईयों को गंभीर चोटे नही आती।

शिक्षा : इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हम लोग भी कई बार अफवाहों के शिकार हो जाते है। इसमें मूर्ख के साथ–साथ पढ़े लिखे लोग भी शामिल होते हैं। किसी कंपनी के एजेन्टों द्वारा ज्यादा रिटर्न की अफवाह को सत्य मानकर जवी की सारी कमाई उसमें निवेश कर देते है तथा जीवन की सारी कमाई उसमें निवेश कर देते है तथा जीवन भर की जुड़ी मेहनत की गाढ़ी कमाई क्षणभर में गंवा देते हैं। एक झूठी अफवाह की वजह से ही पत्थर की मूर्ति को भगवान समझकर दूध पिलाने लगते हैं। साजिश के तहत जमीन से खोदी गई पत्थर की मूर्ति को भगवान समझकर हजारो–लाखों का चढ़ावा चढ़ाने लगते हैं। इस गोरख धंधा में लगे लोग हमारी भावना से खेलकर करोड़पति हो जाते हैं। इसी तरह की अफवाहों की वजह से आशाराम, नारायण साई, निर्मल बाबा जैसे लोगों का विशाल साम्राज्य खड़ा हो जाता है जिससे चुनौती लेना, प्रशासन के लिए भी सिर दर्द बन जाता है। शायद अफवाहों का बाजार गर्म नहीं होता तो गोधरा तथा मुजफ्फर नगर जैसे विशाल दंगे नही होते। इन कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब भी इस तरह की घटनाएं हमारे समक्ष प्रतीत हो तो हमें अपने ज्ञानेन्द्रियां एवे विवेक का पूर्णतः इस्तेमाल करनी चाहिए। हर कसौटी पर खरा उतनरने के बाद ही अपना कदम उठाए। विडम्बना है कि अफवाहों की वजह से ही आज हम लोगों के बीच की एकता क्षीण होती जा रही है। अपने भी पराये लगने लगते हैं। अन्यथा हम छलते जाएंगे, आपस में लड़ते रहेगें। याद कीजिए कि पुर्नजागरण से पूर्व यूरोप में ईसाई मदो द्वारा स्वर्ग में पहुंचाने के प्रमाण–पत्र जीवित रहते हुए बेची जाती थी। शिक्षित लोगों ने इसे तर्क की कसौटी पर कसा तो यह पैसा उगाने की अफवाह के अलावा कुछ भी नहीं था। शिक्षित एवं जागरूक वर्ग ने इसके खिलाफ आवाज उठायी और अंततः इससे मुक्ति पाई। हम भी जीवन पथ पर इन अफवाहों का सामना करते आये हैं और आगे भी करेगें। बस हमें ज्ञानेन्द्रियों तथा विवेक का सही दिशा में प्रयोग करना है यदि हम समाज, देश के साथ–साथ अपनी भी भलाई चाहते हैं। तो हमें जंगल के उस शेर की तरह बनना होगा।

पंकज चड्ढा, प्रबंधक

आखिरी उपदेश (1)

भाषा की उत्पत्ति कब, कहां और कैसे हुई, इस बारे में बहुत सारे मत हैं। विकासवाद में विश्वास करने वाले लोगों का मानना है कि मानव ने पहले अपना संपर्क इशारों एवं संकेतों से किया होगा और धीरे–धीरे पशुओं, पेड़ों, वनस्पतियों एवं व्यक्तियों को नाम दिए गए होगें। फिर इन्हें पुकार कर एक दूसरे से बताने के प्रयास किए गए होंगे। यानि कि संख्या के बाद विशेषण एवं क्रियावाचक शब्दों की उत्पत्ति हुई होगी। एक भाषा का रूप लेते–लेते इन शब्दों को हजारों–लाखों साल की यात्रा करनी पड़ी होगी। इसके विपरीत एक वर्ग ऐसा भी है जो मानता है कि भाषा ईश्वर का दिया गया वरदान है। संस्कृत को इसी प्रकार की भाषा माना जाता है और उसे देववाणी या दिव्यवाणी कहा जाता है। खैर भाषा के जन्म में मतैक्य हो न हो पर इस बात में कोई दूसरा मत नहीं होगा कि आज भाषा के माध्यम से न सिर्फ विचारों का आदान–प्रदान होता है बल्कि इसका अच्छे एवं बुरे कामों में भी बराबर प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लोग दूसरों की तारीफ करने की बजाए बुराई करने में अधिक समय लगाते हैं। इससे समाज विकृत होता है। लोग इससे बचें, अतः समय–समय पर लोक कक्षाओं के माध्यम से समाज को सन्मार्ग पर लाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। इसे ठीक से समझने के लिए ये दो उदाहरण काफी हैं।

गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों में आज काफी उत्साह था , उनकी बारह वर्षों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी और अब वो अपने घरों को लौट सकते थे। गुरु जी भी अपने शिष्यों की शिक्षा–दीक्षा से प्रसन्न थे और गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिष्यों को आखिरी उपदेश देने की तैयारी कर रहे थे।

उन्होंने ऊँची आवाज में कहा ," आप सभी एक जगह एकत्रित हो जाएं , मुझे आपको आखिरी उपदेश देना है।"

गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सभी शिष्य एक जगह एकत्रित हो गए। गुरु जी ने अपने हाथ में कुछ लकड़ी के खिलौने पकड़े हुए थे , उन्होंने शिष्यों को खिलौने दिखाते हुए कहा ," आप को इन तीनो खिलौनों में अंतर ढूँढने हैं।"

सभी शिष्य ध्यानपूर्वक खिलौनों को देखने लगे , तीनों लकड़ी से बने बिल्कुल एक समान दिखने वाले गुड्डे थे। सभी चकित थे की भला इनमे क्या अंतर हो सकता है ?

तभी किसी ने कहा , " अरे , ये देखो इस गुड्डे के कान में एक छेद है।" यह संकेत काफी था ,जल्द ही शिष्यों ने पता लगा लिया और गुरु जी से बोले –

"गुरु जी इन गुड्डों में बस इतना ही अंतर है कि –
एक के दोनों कान में छेद है
दूसरे के एक कान और एक मुंह में छेद है ,
और तीसरे के सिर्फ एक कान में छेद है "

गुरु जी बोले , " बिल्कुल सही , और उन्होंने धातु का एक पतला तार देते हुए उसे कान के छेद में डालने के लिए कहा।"

शिष्यों ने वैसा ही किया। तार पहले गुड्डे के एक कान से होता हुआ दूसरे कान से निकल गया , दूसरे गुड्डे के कान से होते हुए मुंह से निकल गया और तीसरे के कान में घुसा पर कहीं से निकल नहीं पाया। तब गुरु जी ने शिष्यों से गुड्डे अपने हाथ में लेते हुए कहा , " प्रिय शिष्यों , इन तीन गुड्डों की तरह ही आपके जीवन में तीन तरह के व्यक्ति आयेंगे।

पहला गुड्डा ऐसे व्यक्तियों को दर्शाता है जो आपकी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देंगे , आप ऐसे लोगों से कभी अपनी समस्या साझा ना करें। ये लोग गंभीर नहीं होते और समाज के सदुपदेशों पर ध्यान नहीं देते हैं।

दूसरा गुड्डा ऐसे लोगों को दर्शाता है जो आपकी बात सुनते हैं और उसे दूसरों के सामने जा कर बोलते हैं , इनसे बचें और कभी अपनी महत्त्वपूर्ण बातें इन्हें ना बताएँ। ऐसे लोग चुगली करने में माहिर होते हैं और किसी बात को छिपा या पचा नहीं पाते, बल्कि दूसरों से बक देते हैं। इनसे सावधान रहना चाहिए।

और तीसरा गुड्डा ऐसे लोगों का प्रतीक है जिनपर आप भरोसा कर सकते हैं , और उनसे किसी भी तरह का विचार– विमर्श कर सकते हैं , सलाह ले सकते हैं , यही वो लोग हैं जो आपकी ताकत है और इन्हें आपको कभी नहीं खोना चाहिए।" जीवन में ऐसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए। ये लोग गुणों पर ध्यान देते हैं, अवगुणों पर नहीं। ये जीवन में सच्चे मित्र एवं हितैषी साबित होते हैं।

सच्चा मार्ग (2)

एक शिष्य ने अपने गुरु से दीक्षा ली और उपासना में लग गया। कुछ दिनों के बाद वह गुरु से बोला, 'गुरुदेव, दीक्षा तो मैंने ले ली किंतु न जाने क्यों मेरा मन शांत नहीं रह पाता है, न ही आराधना में लग पाता है।' गुरु ने शिष्य को ध्यान से देखा। उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि उसका मन एकाग्र क्यों नहीं हो पाता है।

गुरु ने कहा– "वत्स, यहां रहकर तुमने शास्त्रों का समुचित ज्ञान प्राप्त कर लिया, किंतु कुछ उपयोगी शिक्षा शेष रह गई है। इसके लिए तुम मेरे साथ चलो।" शिष्य गुरु के साथ चल पड़ा। गुरु बिल्कुल खाली हाथ थे लेकिन शिष्य के पास एक पोटली थी जिस पर बराबर उसका ध्यान लगा हुआ था। गुरु शिष्य की नजरों को लगातार परख रहे थे।

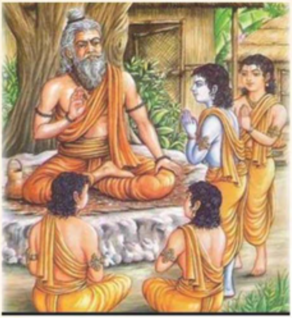

गुरु उसे गुरुकुल से दूर एक खेत के पास ले गए। वहां एक किसान खेतों को पानी दे रहा था। गुरु और शिष्य उसे गौर से देखते रहे। पर किसान ने एक बार भी उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देखा। जैसे उसे इस बात का अहसास ही न हुआ हो कि पास में कोई खड़ा भी है।

वहां से आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि एक लुहार भट्ठी में कोयला डाल कर उसमें लोहे को गर्म कर रहा था। लोहा लाल होता जा रहा था। लुहार अपने काम में इस कदर मगन था कि उसने गुरु–शिष्य की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। गुरु ने शिष्य को चलने का इशारा किया। फिर दोनों आगे बढ़े।

आगे थोड़ी दूर एक व्यक्ति जूता बना रहा था। चमड़े को काटने, छीलने और सिलने में उसके हाथ काफी सफाई के साथ चल रहे थे। गुरु ने शिष्य को आगे चलने को कहा। शिष्य समझ नहीं सका कि आखिर गुरु का इरादा क्या है?

एक जगह नदी देखकर गुरु ने अपने शिष्य से कहा, 'बहुत प्यास लगी है जरा पानी तो लेकर आना।' गुरु का आदेश सुनकर शिष्य पोटली को साथ लेकर पानी लेने के लिए जाने लगा तो गुरु बोले, "अरे यह पोटली लेकर क्यों जा रहे हो? अगर पानी में डूब गई तो... इसे मुझे दे जाओ।" संकोच के साथ शिष्य ने पोटली गुरु को थमाई और नदी की ओर मुड़ गया। तभी उसे नदी में कुछ फेंके जाने की आवाज आई। उसने देखा कि उसकी पोटली पानी में तैरती जा रही है। यह देखकर वह बदहवास सा गुरु के पास आया और बोला, 'गुरुदेव, मेरी पोटली! उसमें सोने की हजार अशर्फियां थीं।'

इस पर गुरु मुस्करा कर बोले, "वत्स, तुम्हारा मन एकाग्र इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि ध्यान करते समय तुम अशर्फियों के लोभ से घिर जाते थे।" गुरु ने शिष्य से कहा– "वत्स, मेरे पास रहकर तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया लेकिन व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा बाकी थी। तुमने किसान, लुहार और जूता बना रहे व्यक्ति को देखा। ये अपने काम में संलग्न थे। बिना इस बात के अहसास कि पास में कोई खड़ा भी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी काम निःस्वार्थ भाव से करना चाहिए। किसी प्रकार का लोभ, लालच एवं स्वार्थ आपको सच्चा साधक बनने में बाधा पैदा करते हैं। किसान, लुहार एवं चर्मकार अपने काम में किसी परिणाम की चिंता किए बिना संलग्न थे, क्योंकि वे कर्म को पूजा मानकर काम कर रहे थे। उन्हें मालूम है कि फल देना तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए जब हम परिणाम का लालच किए बिना कोई कार्य करते हैं तो एक साधक की स्थिति में होते हैं। हमारा मन उस काम में एकाग्र हो जाता है। तुम जो भी काम करो, उसके लिए तुम्हें अपने ध्यान में ऐसी ही तल्लीनता आवश्यक है, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी" यह सुनकर शिष्य लज्जित हो गया। उसने गुरू के चरणों में सिर झुका दिया और गुरू का धन्यवाद किया कि आपने मेरी आंख खोल दी। आपने मुझे सच्चा मार्ग दिखा दिया है। अब मैं नहीं भटकूंगा।

मकान

मैं यह नहीं कहता हूं कि एक आदमी मकान न बनाए। मैं यह कहता हूं कि मकान बनाते वक्त भी जीने की असुरक्षा खत्म नहीं होती, असुरक्षा अपनी जगह खड़ी है; मकान रहे तो, मकान न रहे तो। ज्यादा से ज्यादा फर्क पड़ता है, व इतना कि जिसके पास मकान नहीं है उसे असुरक्षा प्रतीत होती है और जिनके पास मकान है उसे प्रतीत नहीं होती, लेकिन वह खड़ी अपनी जगह है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ गया।

ओशो

परमाणु ऊर्जा - कितनी सुरक्षित

डॉ० वृंदावन चंद्र पाढ़ी

भारत ने वर्ष 2030 तक 7,00,000 मेगावाट विद्युत शक्ति उत्पादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें से 592000 मेगावाट विद्युत तापविद्युत से और 84,000 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित की जाएगी। परमाणु ऊर्जा के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका से परमाणु संधि होने के पश्चात भारत ने 63,000 मेगावाट विद्युत परमाणु ऊर्जा से उत्पादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

वर्तमान समय में दुनिया भर के 29 देशों में 432 परमाणु ऊर्जा संयंत्र विद्यमान हैं। इनमें से अमेरिका 104, कनाडा–18, मैक्सिको–2, फ्रांस–58, ब्रिटेन–19, जर्मनी–17, स्वीडन–10, रूस–32, स्पेन–8, रोमानिया–1, यूक्रेन–15, पाकिस्तान–3, जापान–54, दक्षिण कोरिया–20 तथा भारत के पास 20 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत वर्ष 2030 तक 90 अतिरिक्त परमाणु संयंत्र लगाने के लिए कटिबद्ध है।

भारत ने 2030 तक 40 परमाणु संयंत्र लगाने के प्रस्ताव दिए हैं। इस समय 17 परमाणु संयंत्र कार्यरत हैं (इनमें 15 भारतीय प्रौद्योगिकीयुक्त तथा 2 रूसी तकनीकी सहायता से युक्त हैं)। भारत अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 16 नए परमाणु परियोजना केन्द्र स्थापित करेगा जिसकी लागत 23000/– करोड़ रुपये होगी। इनमें से 8 संयंत्र 700 मेगावाट भारीजल संयंत्र के होंगे और अन्य 8 हल्के (लाइट) जल संयंत्र के होंगे।

भारत–यूएसए समझौते (करार) की धारा 123 के तहत भारत लाइट वाटर रियेक्टर आयातित करेगा। जिसका परिणाम यह होगा कि अमेरिका के पास जो परमाणु संयंत्र बेकार पड़ें हैं, उन्हें भारत में जगह मिल जाएगी। समझौते के अनुसार भारत–अमेरिका से यूरेनियम की खरीद भी करेगा, लेकिन ईंधन आपूर्ति की निरंतरता की कोई भी गारंटी नहीं है। इसके साथ ही इन संयंत्रों के उत्पादों (वाई–प्रोडक्ट) प्लेटेनियम यानि कि कचरे के निपटान की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही भारत के पास समझौते में ऐसी कोई शर्त या विकल्प नहीं है, जिससे कि किसी असंभावी दुर्घटना की स्थिति में पीछे हट जाए और न ही भारत के पास दुर्घटना की स्थिति में पूर्ण क्षतिपूर्ति की गारंटी है। भारत सरकार ने यूएसए के साथ परमाणु समझौता करते समय देश हित की उपेक्षा की है।

यहां पर यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारत ने 270 मेगावाट एवं 500 मेगावाट के परमाणु संयंत्रों को स्थापित करने की अपनी निजी प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। ऐसे छोटे संयंत्रों को किसी भी आपातकालिक स्थिति में संभालना एवं प्रबंधित करना भी सहज एवं आसान होता है।

परमाणु ऊर्जा को 2 जुलाई, 1984 तक रूस के चेरनेबल परमाणु दुर्घटना के होने से पहले तक एक अति सुरक्षित एवं असीमित ऊर्जा स्रोत का विकल्प एवं साधन माना जाता था। लेकिन इस दुर्घटना में चारों संयंत्रों में विस्फोट हुआ और लगभग 30 किमी. के दायरे तक रेडियेशन फैल गया। यहां पर 32 लोगों की मौत हो गई तथा 200 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। चेरनेबल परमाणु दुर्घटना के बाद से अब तक 10 से अधिक दुर्घटनाएं घट चुकी हैं जिसमें तमाम जीवन एवं संपदा विनष्ट हुई हैं। लेकिन 11 मार्च, 2011 तक, फुकुशिमा जापान की दुर्घटना तक किसी ने इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी थी, जब जापान तट में 8.9 रिक्टर स्केल पर आए भूकंप के कारण और सुनामी के परिणाम स्वरूप सेनडाई शहर विनष्ट हुआ और 10 लाख लोग प्रभावित हुए। सुनामी के कारण 33 फुट ऊंची उठी लहरों ने न सिर्फ सेनडाई शहर को धो डाला, बल्कि फुकुशिमा डायची परमाणु संयंत्र को विनष्ट कर दिया। इस दुर्घटना में 15846 लोगों की मृत्यु हुई, 10,000 लोग लापता हो गए और 5 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए। बहुत सारे जलयान तथा चार रेलगाड़ियां लुप्त हो गई तथा 21 किमी. लम्बा समुद्र तट विनष्ट हो गया। इस भूकंप की संघनता हिरोशिमा में डाले गए बंब से आठ हजार गुना अधिक थी। धरती पर 448 किमी. लम्बी दरार पड़ी तथा जापान द्वीप (की भूमि) 8 फीट पूर्व की ओर खिसक गया। इस भूकंप के कारण परमाणु संयंत्र की चार स्तरीय नियंत्रक सुरक्षा व्यवस्था ढह गई और संयंत्र पूर्णतः विनष्ट हो गया तथा 60 किमी. के दायरे तक रेडियेशन का फैलाव हुआ। इस समूचे घटना–क्रम में हुई हानि को 15900 करोड़ अमेरिकी डालर में आंका गया। इसके पुनः निर्माण में लगभग 40 वर्षों का समय लगेगा।

फुकुशिमा डायची दुर्घटना के पश्चात अधिकतर राष्ट्रों ने अपनी परमाणु नीति में बदलाव किए। जापान ने तय किया कि 2030 तक अपने सभी परमाणु संयंत्रों को बंद कर देगा। इसी प्रकार से जर्मनी ने 2020 तथा स्विजरलैंड ने 2034 तक अपने परमाणु संयंत्रों को बंद करने का निर्णय लिया है। फ्रांस की कुल ऊर्जा में 70 प्रतिशत ऊर्जा परमाणु संयंत्रों से आती है जो अब घटाकर 50 प्रतिशत लाना चाहता है। यूएसए ने अपनी परमाणु ऊर्जा का 65 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है और 1979 से थ्री माइल आइसलैंड की घटना के पश्चात कोई नया परमाणु संयंत्र स्थापित नहीं किया है।

एक ओर जहां अधिकतर राष्ट्र अपने परमाणु संयंत्रों को बंद करने की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं भारत, चीन एवं पाकिस्तान नए परमाणु संयंत्र प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं। चीन अपने 16 राज्यों में 43 नए परमाणु संयंत्र निर्मित कर रहा है। इसके साथ ही चीनी सहायता के द्वारा पाकिस्तान दो परमाणु रियेक्टर स्थापित कर रहा है। पाकिस्तान ने 350 बिलियन डालर की लागत के 6 अन्य रियेक्टरों के निर्माण का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया हैं। भारत 16 रियेक्टर निर्मित करने की दिशा में अग्रसर है जिसमें आठ हैवीवाटर तथा आठ लाइट वाटर रियेक्टर हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के पूरा होने पर विद्युत उत्पादन 10080 मेगावाट तक हो जाएगा।

भारत सरकार रूस के रोसोटम की सहायता से तमिलनाडु के कुडुंकुलम में पांच रियेक्टर निर्मित कर 4000 मेगावाट विद्युतशक्ति उत्पादित करेगा। इस संयंत्र को पहले 2008 में पूरा होना था फिर 2010 में पूरा होना था और अब तक यह अभी भी अपूर्ण है। यह पाया गया है कि रूस के जियो पोडोलास्क के द्वारा आपूर्त किए गए वॉल्व को जियो के प्रमुख के नव अफलातून (नियापटिज्म) के कारण दोष पूर्ण पाया गया। भारत में दोषपूर्ण वाल्व के साथ भारत, चीन, बुल्गारिया एवं इरान में निर्मित किए गए परमाणु संयंत्र अभी तक अक्रियाशील पड़े हैं।

महाराष्ट्र के जैतापुर में फ्रैंच फर्म एरिवा ने 1650 मेगावाट की 6 इकाइयों वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्मित किए हैं। एक पावर प्लांट परिसर की लागत लगभग 2 लाख करोड़ रु0 आती है और हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि विनष्ट हो जाती है। सुप्रसिद्ध अलफांसो में आम की पट्टी पूर्णतः नष्ट हो जाएगी। संयंत्र द्वारा उत्पादित गरम जल नदी एवं झील के पानी का ताप बढ़ा कर जलीय जीव-जंतुओं को विनष्ट करेगा। परिणामस्वरूप पर्यावरण क्षति एवं जलवायु परिवर्तन के कारण तापवृद्धि होगी। कोंकण खाड़ी की जैव विविधता नष्ट हो जाएगी। इसके साथ ही एरिवा के विकसित दाब युक्त रियेक्टर की प्रौद्योगिकी बिल्कुल नई है। जिसे अन्यत्र कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया अतः इसमें उच्च जोखिम निहित है। इस क्षेत्र में विद्यमान विद्युत संयंत्रों से 15680 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जा रही है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में तीन बाक्साइट खनन संयंत्र कार्यशील हैं। पूर्व विद्युत सचिव जैतापुर श्री (डा0) ई.एल. प्रसन्ना के अनुसार जैतापुर वेस्ट-ईस्ट फाल्ट लाइन (भ्रंश रेखा) पर स्थित है अतः भूकंप के लिए अधिक जोखिम पूर्ण है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के द्वारा परमाणु ऊर्जा समझौते (करार) के विनाशकारी दुष्परिणामों के बारे में सुप्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक श्री वी.के. कृष्णा अय्यर ने प्रधानमंत्री को चेतावनी दी है। डा0 अय्यर परमाणु रियेक्टर के स्थापन हेतु परिचर्चा के लिए मास्को गए थे आपने जोरदारी के साथ डबल क्रास रियेक्टर की खरीद का विरोध किया और यह भी कहा कि परमाणु रियेक्टर के साथ एक बड़े शमशान का भी प्रबंध कर लिया जाए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी भारत सरकार को आगाह किया कि यदि परमाणु संयंत्र में कोई भी सुरक्षा की खामियां है तो तुरंत बंद या रद्द किया जाना चाहिए। भाभा परमाणु परियोजना के पूर्व निदेशक डा0 ए.एस. प्रसाद ने सावधान करते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार के साथ हुआ 123वां समझौता हमारे अपने संसाधनों एवं आत्मनिर्भरता पर हमारी अपनी निर्भरता को रोकने के लिए अवरोधक है। डा0 पी.के. आयंगर, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रधान ने कहा कि हमारे नेतागण अपना निजी परमाणु संयंत्र स्थापित करने एवं अपने संसाधनों के उपयोग करने को प्रतिस्थापित करने की बजाय यूरेनियम जैसे ईंधन के आयात को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्पोरेशन के पूर्व निदेशक डा0 ए. गोपालाकृष्णन के अनुसार भारत ने एक बहुत बड़ी गलती की है और इसके दुष्परिणाम बहुत ही घातक हो सकते हैं। डा0 गोपालाकृष्णन ने भारत सरकार के मुखिया को अनेक पत्र लिख कर इस परमाणु समझौते के गंभीर दुष्परिणामों की ओर ध्यानाकृष्ट किया है।

हमारी भारत सरकार ने परमाणु वैज्ञानिकों की सलाह-मशविरों को दर किनार करते हुए सितंबर, 2013 में यूएसए के साथ परमाणु संयंत्र हेतु अनुबंध को अंतिम रूप दे दिया जिसके अनुसार आंध्र प्रदेश के कोवाडा में तथा मिट्ठी विरिदी गुजरात में परमाणु संयंत्र लगाए जाने हैं। इन परमाणु संयंत्रों को लगाने का काम बिना किसी निविदा को आमंत्रित किए सीधे जनरल इलेक्ट्रिक एण्ड वेस्टिंग हाउस को दे दिया गया। जीई इकोनामिक ने 'बायलिंग वाटर रियेक्टर' को सरलीकृत किया है और 'वेस्टिंग हाउस' का एपी 1000 दाबयुक्त लाइट वाटर रियेक्टर दोनों ही नई प्रौद्योगिकियां है और इसके पहले कहीं भी प्रयुक्त नहीं की गई हैं। इस सबसे तो यही लगता है कि भारत ऐसी नवीन एवं खतरानक प्रौद्योगिकियों के परीक्षण के लिए पश्चिम देशों हेतु 'परीक्षण स्थल' बन चुका है।

परमाणु विद्युत संयंत्र के 1000 मेगावाट के संयंत्र हेतु भारी मात्रा में 30 हजार एकड़ की भूमि की जरूरत होती है। इस प्रकार से 63000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा के लिए 22 लाख एकड़ उर्वर भूमि का उपयोग हो

जाएगा। यहां तक की इसकी उत्पादन लागत बहुत अधिक है। भारी जल संयंत्र का मामला ही लें इसमें 12 से 13 करोड़ रु० प्रति मेगावाट (60–80 रु० प्रति वाट) की लागत आएगी। यदि लाइट वाटर (हल्के जल) रियेक्टर की बात करें तो इससे उत्पादित विद्युत की कीमत 50 रु० प्रति वाट आएगी। परमाणु ऊर्जा की 63000 मेगावाट विद्युत की कीमत 819000 करोड़ रु० होगी। इसके अलावा परमाणु विद्युत संयंत्रों का जीवन काल लगभग 60 वर्ष का होता है। यूएस ने भारत को 40 वर्षों के लिए लायसेंस दिया है, इसके बाद पूर्ण मूल्यांकन करके अगले 20 वर्षों का पुनर्नवीकरण किया जाएगा। इस प्रकार भारत 63000 परमाणु विद्युत उत्पादन हेतु 60 वर्षों में 819000 करोड़ रु० व्यय करेगा। इस तरह से परमाणु विद्युत संयंत्र न केवल अत्यंत मंहगे हैं, बल्कि इसके लिए भारी मात्रा में उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होगी जो कृषि उत्पादन से वंचित होगी। यदि दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना घट जाती है तो सैकड़ों किमी० के दायरे में रेडियेशन फैलेगा और आधी शताब्दी तक प्रभाव रहेगा तथा कई पीढ़ियों तक प्रभावित करता रहेगा।

आस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों के अनुसार भारत के पास ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने से कहीं अधिक भूमि उपलब्ध है। सौर ऊर्जा परियोजना हेतु ताप विद्युत, जलविद्युत और यहां तक कि परमाणु ऊर्जा परियोजना से भी कम भूमि की आवश्यकता होती है। जल विद्युत हेतु प्रत्येक नदी घाटी परियेाजना हेतु औसतन 31340 व्यक्ति विस्थापित होते हैं और 8748 हेक्टेयर भूमि जल प्लावित हो (डूब) जाती है। प्रत्येक एक मेगावाट ताप विद्युत हेतु 4 से 5 एकड़ तथा परमाणु विद्युत हेतु प्रति मेगावाट हेतु 35 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार से कोयला खदानों हेतु जमीन, कोयला भंडारण हेतु जमीन, राख के लिए तालाब, अपशिष्ट जल हेतु तालाब, आवास परिसर तथा बाजार परिसार हेतु जमीनों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सौर ऊर्जा हेतु फोटो वोलैटिक परियोजनाओं हेतु बहुत कम भूमि की आवश्यकता होती है। परंपरागत सोलर परियोजना के लिए प्रति 2 किलोवॉट उत्पादन हेतु 500 वर्गफुट भूमि की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि प्रत्येक 2 किलोवॉट हेतु सोलर ट्रीज (वृक्ष) का उपयोग किया जाए तो केवल 5 वर्ग फुट भूमि की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही इनके बीच में खाली पड़ी जमीन कृषि कार्य/फसलों के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। सौर ऊर्जा वैज्ञानिक अतुल चाकसी के अनुसार यदि सोलर पैनलों को 425 मिलियन घरों के ऊपर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो उनसे उत्पादित ऊर्जा की मात्रा 1900 मेगावाट के समतुल्य होगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर के प्रोफेसर हीरा मितवाचन तथा जयराम श्रीनिवास के अनुसार हमारी कृषि हेतु 4.1: बेकार पड़ी भूमि का उपयोग कर वर्ष 2070 तक 3400 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है। लेकिन छतों पर सोलर पैनल एवं सौर वृक्ष (सोलर ट्रीज) स्थापित करने से हमारी भूमि की आवश्यकता 3.1: तक घट सकती है।

यह बिल्कुल उपयुक्त समय है जब हमारे राजनेताओं एवं प्रशासकों को अमेरिकी परमाणु समझौते की वास्तविकता एवं दुष्परिणामों को समझना चाहिए; क्योंकि अमेरिकी कूटनीति परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर भारत की अपनी आत्मनिर्भरता को खत्म कर यूएसए पर निर्भरता को बढ़ावा दे रही है। हमें इस अमेरिकी साजिश यानि कि कपटसंधि को समझना एवं बचना चाहिए तथा परमाणु रहित विश्व की ओर बढ़ना चाहिए।

डा० भदन्त आनन्द कौशल्यायन

डा0 भदन्त आनन्द कौशल्यायन (05 जनवरी, 1905 – 22 जून, 1988) बौद्ध भिक्षु, पालि भाषा के मूर्धन्य विद्वान तथा लेखक थे। इसके साथ ही वे पूरे जीवन घूम-घूमकर राष्ट्रभाषा हिंदी का भी प्रचार प्रसार करते रहे। वे 10 साल राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के प्रधानमंत्री रहे। वे बीसवीं शती में बौद्ध धर्म के सर्वश्रेष्ठ क्रियाशील व्यक्तियों में गिने जाते हैं।

उनका जन्म 05 जनवरी, 1905 को अविभाजित पंजाब प्रान्त के मोहाली के निकट सोहना नामक गांव में एक खत्री परिवार में हुआ था। उनके पिता लाला रामशरण दास अम्बाला में अध्यापक थे। उनके बचपन का नाम हरिनाम था। 1920 में भदन्त जी ने 10वी की परीक्षा पास की, 1924 में 19 साल की आयु में भदन्त जी ने स्नातक की परीक्षा पास की। जब वे लाहौर में थे तब वे उर्दू में भी लिखते थे।

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी भदन्त जी ने सक्रिय रूप से भाग लिया। महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब डा0 भीमराव आंबेडकर, महापंडित राहुल संकृत्यायन, भिक्षु जगदीश कश्यप, भिक्षु धर्मरक्षित आदि लोगों के साथ मिलकर वे भारत की आज़ादी की जंग में सक्रिय रहे। वे श्रीलंका में जाकर बौद्ध भिक्षु हुए। वे श्रीलंका की विद्यालंकर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष भी रहे।

भदन्त जी ने जातक की अत्थाकथाओं का 6 खंडों में पालि भाषा से हिंदी में अनुवाद किया। धम्मपद का हिंदी अनुवाद के अलावा अनेक पालि भाषा की किताबों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। साथ ही अनेक मौलिक ग्रन्थ भी रचे जैसे – अगर बाबा न होते, जातक कहानियां, भिक्षु के पत्र, दर्शन : वेद से मार्क्स तक, राम की कहानी राम की जुबानी, मनुस्मृति क्यों जलाई, बौद्ध धर्म एक बुद्धिवादी अध्ययन, बौद्ध जीवन पद्धति, जो भुला न सका, 31 दिन में पालि, पालि शब्दकोष, सारिपुत्र मौद्राल्ययान की सांची, अनागरिक धरमपाल आदि। 22 जून, 1988 को भदन्त जी का नागपुर में महापरिनिर्वाण हो गया।

मनोविक्षिप्ति

डॉ० वर्षा सोमटेके, एम.बी.बी.एस

गंताक से आगे :

किसी मनोचिकित्सक द्वारा किसी मानसिक रोगी के साथ सम्बन्धपूर्वक बातचीत एवं सलाह मनोचिकित्सा या मनश्चिकित्सा कहलाती है। यह लोगों की व्यवहार सम्बन्धी विविध समस्याओं में बहुत उपयोगी होती है। मनोचिकित्सक कई तरह की तकनीकें प्रयोग करते हैं, जैसे– प्रायोगिक सम्बन्ध–निर्माण, संवाद, संचार तथा व्यवहार–परिवर्तन आदि। इनसे रोगी का मानसिक–स्वास्थ्य एवं सामूहिक–सम्बन्ध सुधरते हैं। डॉ. विक्टर फ्रैंकलिन ने गहन अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि पूरा मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा की पद्धति जीवन की सार्थकता के विचार पर ही आधारित होती हैं। मनोचिकित्सा शास्त्र में किसी रोगी की बुनियादी दिक्कतों को समझने की कोशिश की जाती है। आधुनिक समाज में हम वास्तविक खुशियों से दूर होते जा रहे हैं। आधुनिकता का सही मतलब हम नहीं समझते हैं। जीवन के लिए क्या और कितना जरूरी है। क्या गैर–जरूरी है। आंख मूंद कर, तर्क किए बगैर हम चीजों का अनुसरण करने लग जाते हैं। जीवन का लुत्फ उठाना और पीड़ा की उपेक्षा करना ही केवल मनुष्य को प्रेरित नहीं करती है।

मनोचिकित्सा या एक मनोचिकित्सक के साथ व्यक्तिगत परामर्श, एक साभिप्राय अंतर्वैयक्तिक सम्बन्ध होता है, जिसका प्रयोग प्रशिक्षित मनोचिकित्सक एक ग्राहक या रोगी की जीवनयापन संबंधी समस्याओं के निवारण में सहायता के लिए करते हैं। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति में अपने कल्याण के प्रति भावना को बढ़ाना होता है। मनोचिकित्सक अनुभवजनित सम्बन्ध निर्माण, संवाद, संचार और व्यवहार पर आधारित तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रयोग करते हैं, इन तकनीकों की संरचना ग्राहक या रोगी के मानसिक स्वास्थ्य अथवा समूह के साथ उसके व्यवहार में सुधार करने वाली होती है, मनोचिकित्सा भिन्न प्रकार की योग्यताओं से युक्त चिकित्सकों द्वारा अभ्यास में लायी जा सकती है, जिसमे मनोरोग चिकित्सा, नैदानिक मनोविज्ञान, सलाहात्मक मनोविज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श, नैदानिक या मनोरोग संबंधी सामाजिक कार्य, विवाह और परिवार संबंधी मनोचिकित्सा, पुनर्सुधार परामर्श, संगीत मनोचिकित्सा, व्यवसाय संबंधी मनोचिकित्सा, मनोरोग संबंधी परिचर्या, मनोविश्लेषण और अन्य सम्मिलित हैं। यह अधिकार क्षेत्र के आधार पर वैध रूप से नियमित, ऐच्छिक रूप से नियमित या अनियमित हो सकता है।

इंग्लैण्ड में, मनोचिकित्सा स्वेच्छा से विनियमित है। मनोचिकित्सकों और परामर्शदाताओं की राष्ट्रीय सूची की देखरेख तीन प्रमुख समुच्चयिक हस्तियों द्वारा होती है। द युनाइटेड किंगडम काउंसिल फॉर साइकोथेरेपी, द ब्रिटिश एसोसियेशन फॉर काउंसिलिंग एंड साइकोथेरेपी और द ब्रिटिश साइकोएनालिटिकल काउंसिल – जिसका पूर्व नाम ब्रिटिश साइकोथेरेपिस्ट कन्फेडेरेशन) कई छोटे व्यवसायिक व्यक्ति और संस्थान, जैसे की द एसोसियेशन ऑफ चाइल्डसाइकोथेरेपिस्ट और द ब्रिटिश एसोशियेशन ऑफ साइकोथेरेपिस्त अमेरिका की हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल ने हाल ही में मनोचिकित्सकों और परामर्शदाताओं के संभावित संवैधानिक नियमों पर विचार विमर्श किया है।

साइकोथेरेपी शब्द की व्युत्पत्ति, प्राचीन ग्रीक शब्द साइकी से हुयी है, जिसका अर्थ होता है श्वास या आत्मा और थेरैपिया या थेरेपिउईन का अर्थ होता है, परिचर्या करना या उपचार करना। इसके प्रथम प्रयोग का उल्लेख 1890 के आसपास है। इसे एक विशिष्ट सिद्धांत या प्रतिमान पर आधारित माध्यम के प्रयोग द्वारा चिंता से आराम या, एक व्यक्ति में किसी दूसरे के द्वारा विकलान्गता के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और इस उपचार का संपादन करने वाले प्रतिनिधि के पास इसके निष्पादन के लिए किसी प्रकार का प्रशिक्षण भी होता है। अंत के दोनों बिंदु ही मनोचिकित्सा को परामर्श और देखरेख के अन्य प्रारूपों से अलग करते हैं।

मनोचिकित्सा के अधिकांश प्रारूपों में बातचीत का प्रयोग होता है। कुछ संचार के तमाम अन्य माध्यमों का प्रयोग करते हैं जैसे, लिखित शब्द, कलात्मक कार्य, ड्रामा, कथा वर्णन या संगीत। माता–पिता और उनके बच्चों के साथ मनोचिकित्सा में प्रायः नाटक, ड्रामा (अर्थात भूमिका निभाना), और कला करना आदि शामिल होता है जोकि पारस्परिक क्रिया की अमौखिक और विस्थापित विधि से सह–निर्मित वर्णन के साथ किया जाता है। मनोचिकित्सा एक कुशल चिकित्सक और उसके रोगी (ग्राहक) के मध्य एक नियोजित समागम के भीतर की जाती है। उद्देश्य मूलक सैद्धांतिक मनोचिकित्सा की शुरुआत 19 वीं शताब्दी में मनोविश्लेषण से हुयी; और तब ही से, अनेकों अन्य माध्यम विकसित हो रहे हैं और लगातार बन रहे हैं।

इस चिकित्सा का उपयोग अनेकों प्रकार की रोग विषयक आधारों पर निदानयोग्य और/या अस्तित्वपरक संकट के विशिष्ट या अविशिष्ट प्रत्यक्षीकरण की प्रतिक्रिया के रूप में किया जाता है। रोजमर्रा की समस्याओं के इलाज को साधारणतया परामर्श के नाम से जाना जाता है। हालांकि, परामर्श शब्द का प्रयोग कभी–कभी 'मनोचिकित्सा' के लिए भी किया जाता है। एक और जहां कुछ मनोचिकित्सकीय मध्यवर्तन रोगी का चिकित्सकीय प्रतिदर्श के आधार पर उपचार करने के लिए बनाये गए हैं, वहीं दूसरी और कई मनोचिकित्सकीय माध्यम 'बीमारी/इलाज' के मात्र लक्षण आधारित माध्यम का ही अनुसरण नहीं करते। कुछ चिकित्सक, जैसे कि मानववादी चिकित्सक, स्वयं को अधिकांशतः सुसाध्यक/सहायक की भूमिका में अधिक देखते हैं। मनोचिकित्सा के दौरान प्रायः संवेदनशील और अधिक निजी विषयों पर चर्चा की जाती है, सामान्य रूप से चिकित्सक से ऐसी आशा की जाती है और इसके लिए वह कानूनी रूप से बाध्य भी होता है कि, वह अपने ग्राहक या रोगी की गोपनीयता का सम्मान करेगा। गोपनीयता की अत्यावश्यक महत्ता मनोचिकित्सकीय संस्थाओं की मनोचिकित्सा की अनेकों प्रमुख व्यापक प्रणालियाँ हैं:

क. मनोवैश्लेषिक – यह पहला उपचार था जिसे मनोचिकत्सा के नाम से जाना गया। यह रोगी के सभी विचारों की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है, जिसमे, कल्पनाएं, और स्वप्न शामिल होते हैं, जिसके द्वारा विश्लेषक उस अचेतन संघर्ष का निरूपण करता है जो रोगी में लाक्षणिक और व्यवहारगत

समस्या का कारण हैं।

ख. व्यवहार सम्बन्धी चिकित्सा/प्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण अनिकूलन में कठिनाई के अभ्यास को बदलने पर केंद्रित रहता है जिससे भावात्मक प्रतिक्रियाओं, संज्ञान और दूसरों के साथ पारस्परिक क्रिया में सुधार किया जा सके।

ग. संज्ञानात्मक व्यवहार – आम तौर पर व्यवहार करना चाहता है बेकार लक्ष्य को प्रभावित करने की विनाशकारी नकारात्मक भावनाओं और समस्याग्रस्त प्रतिक्रियाओं के साथ और विश्वासों की पहचान मलादाप्तिवे अनुभूति, मूल्यांकन, संज्ञानात्मक स्वभावजन्य – यह सामान्यतया अनुकूलन में कठिनाई पैदा करने वाले संज्ञानों, मूल्यांकन, विनाशकारी नकारात्मक भावनाओं और समस्यात्मक दुष्क्रियाशील व्यवहार को प्रभावित करने का उद्देश्य रखने वाले भावनाओं और प्रतिक्रिया की खोज करती है।

घ. मनोवेगीय – गहन मनोविज्ञान का एक रूप है, जिसका प्राथमिक कार्य एक ग्राहक/रोगी के मानसिक चिंता को कम करने के प्रयास में मन के अचेतन विचारों को प्रकट करना है। हालांकि इसकी जड़ें मनोविश्लेषण में हैं, फिर भी मनोवेगीय चिकित्सा स्वाभाव से परंपरागत मनोविश्लेषण की तुलना में संक्षिप्त और अल्प गहन है।

ङ. अस्तित्वपरक – यह इस अस्तित्वपरक मत पर आधारित है कि मानव इस दुनिया में अकेला है। यह एकांकीपन निरर्थकता की भावना को जन्म देता है, जिस पर विजय पाने का एक मात्र तरीका स्वयं की मान्यताओं एवं उद्देश्य के निर्माण में है। अस्तित्वपरक चिकित्सा दार्शनिक दृष्टि से तथ्यवाद से सम्बंधित है।

च. मानववादी – यह व्यवहारवाद और मनोविश्लेषण की प्रतिक्रिया के रूप में अवतरित हुए और इसीलिए मनोविज्ञान के विकास में इन्हें तीसरी शक्ति के नाम से जाना जाता है। यह स्पष्ट रूप से व्यक्ति विशेष के विकास के मानवीय सन्दर्भ से सम्बंधित है जिसमे यह विस्तृत अर्थ, दृढ़निश्चय के बहिष्कार और निदान के स्थान पर सकारात्मक विकास के लिए चिंता पर अधिक जोर देता है। यह अन्तर्निहित शक्ति को अधिकतम सीमा तक बढाने की स्वाभाविक मानवीय क्षमता में विश्वास रखता है। मानववादी चिकित्सा का कार्य एक सम्बन्धमूलक वातावरण का निर्माण है जिससे कि इस प्रवृत्ति का विकास हो सके। मानववादी मनोविज्ञान की जड़ें दार्शनिक रूप से अस्तित्ववाद में निहित हैं।

छ. संक्षिप्त – "संक्षिप्त चिकित्सा" मनोचिकित्सा के अनेकों माध्यमों के लिए एक अधिसमुच्चयिक शब्दावली है। यह चिकित्सा के अन्य मतों से इस मामले में भिन्न है कि यह (1) विशिष्ट समस्याओं और (2) सीधे हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित करने पर अधिक जोर देता है। यह समस्या पर आधारित न होकर समाधान पर आधारित है। इसमें चिंता का विषय यह नहीं होता कि कोई समस्या किस प्रकार पैदा हुई, अपितु इस बात पर चिंता की जाती है कि वह कौन से कारण हैं जो इस समस्या को बनाये रखने और परिवर्तित न होने देने के लिए जिम्मेदार हैं।

ज. सर्वांगी – प्रायः चिकित्सा के अन्य रूपों के केंद्र में रहने के कारण यह व्यक्ति स्तर पर लोगों से सम्बंधित नहीं है, लेकिन यह निम्न परिस्थितियों में लोगों से सम्बद्ध रहती है जब वह किसी रिश्ते से जुड़े हों, समूहों की पारस्परिक क्रिया में, उनकी शैली और गतिशीलता आदि में, (जिसमे परिवार के स्तर पर चिकित्सा और विवाह सम्बन्धी परामर्श भी शामिल है)। सामुदायिक मनोविज्ञान सर्वंगी मनोविज्ञान का ही एक प्रकार है।

झ. परावैयक्तिक – यह चेतना के आत्मिक बोध के सम्बन्ध में रोगी की सहायता करता है।

इस समय अनेकों प्रकार के मनोचिकित्सकीय माध्यम या मत प्रचलन में हैं. 1980 तक 250 से भी अधिक माध्यम थे; 1996 तक यह 450 से भी अधिक हो गए। सैद्धांतिक पृष्ठभूमि की व्यापक विविधता के साथ नए और संकर माध्यमों का विकास जारी है। अनेकों चिकित्सक अपने कार्य में कई शैलियों का प्रयोग करते हैं और रोगी (ग्राहक) की आवश्यकता के अनुसार अपनी शैली बदलते रहते हैं।

एक अनौपचारिक मायने में मनोचिकित्सा के लिए उम्र के माध्यम से अभ्यास कर दिया गया है कहा जा सकता है, व्यक्तियों के रूप में दूसरों से मनोवैज्ञानिक सलाह और आश्वासन प्राप्त किया। अनौपचारिक रूप से, यह कहा जा सकता है कि मनोचिकित्सा का अभ्यास कई युगों से चल रहा है, जैसा कि लोग अन्य लोगों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक परामर्श और आश्वासन प्राप्त करते आये हैं। दर्शन का हेलेनवादी मत और चिकित्सा को मानने वाले दार्शनिक और चिकित्सक लगभग चौथी शताब्दी ईपू और चौथी शताब्दी ईसा पश्चात से प्राचीन ग्रीक और रोमवासियों के बीच इस मनोचिकित्सा का अभ्यास करते आये हैं. ग्रीक चिकित्सक हिप्पोक्रेट (460–377 बीसी) मानसिक अस्वस्थता को एक ऐसी घटना के रूप में देखता था जिसका अध्ययन और उपचार प्रयोगसिद्ध आधार पर किया जा सकता है। उद्देश्यपूर्ण, सिद्धांत आधारित मनोचिकित्सा का सर्वप्रथम विकास संभवतया मध्य पूर्व में नौवीं शताब्दी में पर्शिया के चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक विचारक हेजेस (एडी 852–932) द्वारा हुआ था, जो एक समय में बगदाद अस्पताल के प्रमुख चिकित्सक थे। उस समय यूरोप में, गंभीर मानसिक विकार को सामान्य तया पैशाचिक या चिकित्सीय अवस्था के रूप में देखा जाता था जिसमे दंड या कारावास की आवश्यकता होती थी, अट्ठारहवीं शताब्दी में नैतिक उपचार शैली के आगमन से पूर्व तक यही स्थिति थी। इसने मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप की सम्भावना की ओर ध्यान आकर्षित किया – जिसमे तर्क, नैतिक प्रोत्साहन, और सामुदायिक क्रियाएं – "उन्मादी" का पुनर्सुधार, शामिल था।

संभवतः मनोविश्लेषण मनोचिकित्सा का प्रथम विशिष्ट मत था, जिसका विकास सिगमंड फ्रायड और अन्य ने 1900 की शुरुआत में किया था। एक स्नायुविज्ञानी के रूप में प्रशिक्षित फ्रायड ने उन समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया जिनके लिए कोई ज्ञेय चेतन आधार नहीं था, और यह सिद्धान्तीकरण किया कि उनकी इन समस्याओं के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण हैं जो अवचेतन मस्तिष्क और बचपन के अनुभवों से पैदा हुए हैं।

1950 के दशक में शुरू कार्ल रोजर्स ने व्यक्ति–केन्द्रित मनोचिकित्सा को मुख्यधारा केंद्र बनाया। स्व और स्व की श्रेष्ठता का रूपांतरण और विश्लेषण, आदि तकनीकों का विकास किया गया। कई सिद्धांतवादी,

जिसमे एन्ना फ्रायड, एल्फ्रेड एडलर, कार्ल जंग, केरन हौर्नी, ओट्टो रैंक, एरिक एरिक्सन, मिलैनी क्लेन, और हेंज कोहुत शामिल थे, ने फ्रायड के मौलिक विचारों पर सिद्धांतों का निर्माण किया और कई बार उनसे भिन्न अपनी स्वयं की मनोचिकत्सा की विभेदित प्रणालियों का निर्माण किया। इन सभी को बाद में मनोवेगीय की श्रेणी में रखा गया था, जिसका अर्थ किसी भी उस अवस्था से है जिसमे मन का चेतन/अवचेतन प्रभाव बाह्य सम्बन्धों और स्वयं पर पड़े। यह सत्र कई सैकड़ों वर्षों तक चला। 1920 में व्यवहारवाद की शुरुआत हुयी, और एक चिकित्सा के रूप में व्यवहार रूपांतर 1950 और 1960 में प्रसिद्ध हो गया। प्रमुख योगदान करने वालों में साउथ अफ्रीका में जोसेफ वोल्प, ब्रिटेन में एम.बी.शिप्रियो और हैंस सेंक, और संयुक्त राज्य में जोन बी. वाटसन और बी.एफ. स्किनर थे। व्यवहार संबंधी चिकित्सा की शैली औपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग और सोशल लर्निंग के सिद्धांतों पर आधारित थी जिससे सुस्पष्ट लक्षणों में चिकत्सकीय परिवर्तन लाया जा सके। इस शैली का प्रयोग भीतियों और अन्य विकारों के लिए प्रचलित हो गया।

मनोचिकित्सक प्रायः प्रशिक्षित, प्रमाणिक, और अनुज्ञापत्र धारक होते हैं और कार्यक्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रमाणीकरणों व अनुज्ञापत्र रखते हैं. मनोचिकित्सा का कार्य नैदानिक मनोचिकित्सक, परामर्श मनोचिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, परिवार–विवाह परामर्शदाता, वयस्क एवम बाल मनोचिकित्सक और अभिव्यक्तिपरक चिकित्सक, प्रशिक्षित परिचारिकाओं, मनोचिकित्सक, मनोविश्लेषक, मानसिक स्वास्थ परामर्शदाता, विद्यालयीय परामर्शदाता, या अन्य मानसिक स्वास्थ विषयों के पेशेवरों द्वारा किया जा सकता है।

मनोचिकित्सकों के पास चिकित्सकीय योग्यता होती है और वह औषध विधि चकित्सा का भी प्रबंध कर सकते हैं। एक मनोचिकित्सक के प्राथमिक प्रशिक्षण में 'जैव–मनो–सामाजिक' प्रतिदर्श, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में चिकित्सकीय प्रशिक्षण और व्यवहारिक मनोचिकित्सा का प्रयोग होता है। मनोचिकित्सकीय प्रशिक्षण चिकित्सा विद्यालय में प्रारंभ होता है। पहले बीमार व्यक्तियों के साथ रोगी– चिकित्सक के सम्बन्ध के रूप में, और बाद में विशेषज्ञों के लिए मनोचिकित्सकीय कार्यकाल में केंद्र साधारणतया संकलक होता है किन्तु इसमें जैविक, सांस्कृतिक, और सामाजिक पक्ष शामिल होते हैं. वह चिकित्सकीय प्रशिक्षण के आरम्भ से ही रोगियों को समझने में तीव्र होते हैं. मनोवैज्ञानिक विद्यालय में अपने शुरूआती वर्ष अधिकांशतः बौद्धिक प्रशिक्षण को प्राप्त करने में और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को सीखने में लगाते हैं जो, कुछ सीमा तक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और अनुसंधान के लिए प्रयुक्त होते हैं, और वह मनोचिकित्सा में गहन प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं लेकिन औपचरिक प्रशिक्षण के अंत में मनोवैज्ञानिकों को लोगों के साथ जो अनुभव प्राप्त होता है वह इसकी तुलना में कहीं अधिक होता है. चिकित्सा में परास्नातक छात्र आवासीय प्रशिक्षण में प्रवेश के समय भी शैक्षिक ज्ञान के मामले में मनोवैज्ञानिकों से पीछे रह जाते हैं. तमाम वर्षो के दौरान मनोवैज्ञानिकों को नैदानिक अनुभन प्राप्त होता है और चिकित्सा में परास्नातक (एमडी) आमतौर पर बौद्धिक स्टार पर विधान करते हैं जिससे कि दोनों के मध्य प्रतिस्पर्धा में एक प्रकार से समानता आ जाती है।

अनुभवी मनोचिकित्सकों के अभ्यासों में, चिकित्सा विशेष रूप से किसी एक विशुद्ध प्रकार की नहीं होती, अपितु कई विचार–पद्धतियों और दृष्टिकोणों के द्वारा पक्ष को निरुपित करती है। मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों, निजविकास सुकारक, व्यवसायिक चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा अन्य मनोवेगीय सिद्धांत और तकनीक भी विकसित एवम प्रयोग किये गए हैं। समुदाय चिकित्सा के लिए भी तकनीक विकसित की गयी हैं। कार्य का उद्देश्य प्रायः व्यवहार होता है, कई शैलियों में भावनाओं और विचारों पर कार्य करने को अधिक महत्व दिया जाता है। मनोचिकित्सा के मनोवेगीय विचार–पद्धति, जो आज जुंग के सिद्धांत और साइकोड्रामा तथा साथ ही साथ मनोविश्लेषिक विचार–पद्धति को भी सम्मिलित करती है, के बारे में यह विशेष रूप से सत्य है। जेसटाल्ट पद्धति मनोविश्लेषण का विस्तृत निरीक्षण है। अपने प्रारंभिक विकास के दौरान इसे इसके संस्थापकों फ्रेडरिक और लारा पर्लस द्वारा 'कंस्ट्रक्शन थेरेपी' कहा जाता था. हालांकि, इसके सैद्धांतिक प्रभावों का मिश्रण, जेसटाल्ट मनोवैज्ञानिकों के कार्यों के बीच सर्वाधिक व्यवस्थित पाया गया इस प्रकार जिस समय तक 'जेसटाल्ट थेरेपी, मानव व्यक्तित्व में उत्साह व विकास' को लिखा गया, तब तक यह पद्धति 'जेसटाल्ट थेरेपी' के रूप में प्रसिद हो चुकी थी। जेसटाल्ट थेरेपी सर्वाधिक भार वहन करने वाली चार अत्यावश्यक सैद्धांतिक दीवारों में सबसे ऊपर स्थित है। कुछ ने इसे अस्तित्ववादी तथ्यवाद के रूप में मन है जबकि अन्य ने इसका वर्णण तथ्यवादात्मक व्यवहारवाद के रूप मे किया है। जेसटाल्ट थेरेपी एक मानववादी, समग्र, और आनुभविक पद्धति है जो सिर्फ बातचीत पर निर्भर नहीं है, अपितु क्रियात्मक और प्रत्यक्ष परिस्थितियों से सम्बंधित बातचीत से अपेक्षाकृत भिन्न वर्तमान अनुभव के द्वारा जीवन के तमाम प्रसंगों में जागरूकता को बढावा देती है।

आधुनिक नैदानिक अभ्यास में समूहों के चिकित्सकीय प्रयोग की जड़ें 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पायी जा सकती हैं, जब अमेरिकी छाती चिकित्सक प्रेट ने बोस्टन में कार्य करने के दौरान, क्षयरोग से ग्रस्त 15–20 रोगियों, जिन्हें की अरोग्यनिवास में उपचार के लिए बहिष्कृत कर दिया गया था। हालाँकि समूह चिकित्सा, शब्द का प्रथम प्रयोग 1920 के आसपास जेकोब एल. मोरेनो द्वारा किया गया है, जिनका प्रमुख योगदान साइकोड्रामा के विकास में था, जिसमे पुनः व्यवस्थापन के द्वारा व्यक्ति विशेष की समस्याओं का पता लगाने के लिए, समूहों का प्रयोग पात्र व दर्शक दोनों रूपों में किया जाता था। अस्पताल और आंत्य–रोगियों के सम्बन्ध में समूहों के और अधिक वैश्केशिक और अन्वेषात्मक प्रयोग का अग्रणी कार्य कुछ यूरोपीय मनोविश्लेषकों द्वारा किया गया था, जोकि यू. एस.ए. में आकर बस गए, जैसे पॉल शिल्डर, जोकि गंभीर रूप से विक्षिप्त और हल्के विकारग्रस्त आंत्य–रोगियों का इलाज छोटे समूहों के रूप में न्यू यार्क के बैलेव्यु अस्पताल में करते थे। समूहों की शक्ति का सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ, जहां अनेकों मनोविश्लेषकों और मनोचिकित्सकों ने युद्ध कार्यालय चयन समिति के सामने समूह पद्धति के महत्व को सिद्ध कर दिया था। उस समय कई अग्रदूतों को समूह की लकीर पर सेना चिकित्सा ईकाई चलाने का एक अवसर दिया गया था। जिसमे प्रमुखतः विल्फ्रेड बियोन और रिकमैन थे, इनके अतिरिक्त एस.एच. फोल्क्स, मैन और ब्रिदगर भी शामिल थे। बर्मिंघम के नॉर्थफील्ड अस्पताल ने इसे अपना नाम दिया जो बाद में दो 'नॉर्थफील्ड प्रयोग' के नाम से प्रचलित हुआ, जिसने दोनों पद्धतियों, सामाजिक पद्धति, चिकित्सकीय सामुदायिक आंदोलन, और विक्षिप्त एवम व्यक्तित्व विकार में छोटे समूहों के प्रयोग, के बीच युद्ध के समय से ही विकास को वेग प्रदान किया। आज समूह पद्धति का प्रयोग नैदानिक और निजी अभ्यास परिस्थितियों में किया जाता है। यह देखा गया है कि यह व्यक्तिपरक पद्धति के सामान ही या उससे अधिक प्रभावशाली है।

लोकपाल सिटीजन चार्टर और निवेश

रंजन कुमार बरुन, क्षेत्रीय प्रबंधक

यह बात सच होकर भी सच नहीं लगती कि पिछले 46 सालों से लंबित लोकपाल आखिरकार संसद में पारित हो गया। अब तक यह पारित क्यों नहीं हुआ और अब क्यों हुआ, यह बात किसी से छुपी नहीं है। आज यह सच है कि लोकपाल पारित हो गया है तो नौकरशाही, राजनीतिक वर्ग और शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के बीच यह संदेश पहुंचा है कि जनता और शासक अब भ्रष्टाचार बरदाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम नहीं उठाए तो उनकी राजनीति अब नहीं चलने वाली। यह संदेश अब ऊपर से लेकर निचले स्तर के कार्मिकों में भी जा रहा है। शोध बताते हैं कि इसका सीधा असर यह होगा कि कार्मिकों का एक वर्ग, जो नियम–कानूनों से डरता है, वह इससे दूर भागेगा। इसके फलस्वरूप वह अपना कार्य ईमानदारी से करेगा, जिसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। हालांकि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी पैठ चुकी है कि उन्हें उखाड़ने में काफी वक्त लगेगा। जो जनता इससे आजिज थी, अब उसे भी थोड़ा असहज लगेगा क्योंकि पहले पैसे दे कर गलत तरीके से राशनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटिंग लिस्ट में नाम चढ़वाने की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन फिर भी यह एक कारगर हथियार है।

लोकपाल कानून की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह शीर्ष स्तर पर होने वाले राजनीतिक और नौकरशाही के भ्रष्टाचार के खिलाफ नकेल कसने के लिए लाया गया है। भ्रष्टाचार को लेकर हुए अध्ययन बताते हैं कि भ्रष्टाचार की वैतरणी ऊपर से बहती है और नीचे वाले बिना सोचे–समझे उसमें डुबकी लगाते हैं। यदि लोकपाल बड़ी मछलियों पर हाथ डालता है तो निचले स्तर के कार्मिकों पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। बड़ों के हश्र से

वे सबक लेंगे। ज्यादातर कार्मिक सुधरे हैं, वे जेल जाने से डरने लगे हैं। आम लोगों को इससे थोड़ी राहत मिली है। दरअसल भ्रष्टाचार के मामलों में यह पाया गया है कि शीर्ष अधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो वह निचले कार्मिकों की मदद से ही गलत दस्तावेज तैयार करता है। इसी प्रकार नीचे का कर्मचारी अपने नीचे के लोगों की मदद से भ्रष्टाचार करता है।

लोकपाल कानून के दायरे में प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय मंत्री भी शामिल हैं। सांसदों को भी इसमें जनसेवक माना गया है। अभी तक संसद और अदालतें यह तय नहीं कर पाई थी कि सांसद जनसेवक हैं या नहीं। इसी प्रकार बड़े अधिकारियों के नीचे कार्य करने वाले छोटे अधिकारी इसलिए फंस जाते हैं, क्योंकि उनके बड़े अधिकारी उन्हें फाइलों में गलत टिप्पणी लिखने को कहते हैं, लेकिन अब जब एक ऐसी संस्था बनेगी, जो सभी के खिलाफ भी कार्रवाई करने में सक्षम हो तो ऐसे में अधिकारियों को अपनी चिंता रहेगी। उन्हें लगेगा कि मंत्री खुद को नहीं बचा सकते तो उन्हें क्या

बचाएंगे। सचिव अपने मंत्रियों को और छोटे अफसर बड़े अफसरों को गलत कार्य के लिए ना कहना सीखेंगे। उन्हें याद रखना होगा कि जिस फाइल पर वे आज हस्ताक्षर कर रहे हैं, कल वह लोकपाल की टेबल तक पहुंच सकती है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अफसरशाहों को यह भी संदेश दिया है कि वे मौखिक आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानि कि सब कुछ लिखित में होगा।

भारत एक विशाल आबादी वाला देश है, लेकिन आबादी के एक बड़े हिस्से को आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं मयस्सर नहीं हैं। कारण साफ है कि भारी–भरकम रक्षा बजट के बाद जो राशि सरकार के खजाने में बचती है, वह विकास कार्य पर खर्च की जाती है, लेकिन आज भी सामाजिक योजनाओं पर खर्च होने वाली राशि का 60–70 फीसदी हिस्सा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए एक बार कहा था कि रुपये में से 15 पैसे ही विकास पर खर्च होते हैं। लोकपाल के भय से स्थितियां सुधरने के बाद कम से कम 50 पैसे लोगों के पास तो पहुंच ही सकेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि एक तो बजट कम है और जो है, वह भी विकास पर खर्च नहीं होता। यदि भ्रष्टाचार खत्म हो तो विकास के लिए आवंटित राशि का अधिकतम इस्तेमाल होगा और बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने में मदद मिलेगी।

भ्रष्टाचार को लेकर देश–दुनिया में हुए कई आंकलन बताते हैं कि बड़े पैमाने पर होने वाली टैक्स चोरी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ है। यदि टैक्स चोरी रुकती है तो ज्यादा राजस्व आएगा और उसका इस्तेमाल सामाजिक योजनाओं में ही होगा। इससे बजट में आवंटन भी बढ़ाया जा सकेगा, लेकिन यह सब इतनी जल्दी होने वाला नहीं है, इसलिए

लोकपाल को अभी लंबी लड़ाई लड़नी होगी।

देश में रोजगार के क्षेत्र में लगातार गिरावट आ रही है। हाल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारी गिरावट आई है। इससे विदेशी निवेशकों में अनुचित संदेश गया। नतीजा यह हुआ कि विदेशी निवेश को ब्रेक लग गया। आज सरकार निवेश बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून के साथ–साथ यदि उसका प्रभावी क्रियान्वयन होता है तथा राजनीतिक तंत्र और नौकरशाही की जवाबदेही तय होती है तो निवेशकों का भरोसा लौटेगा। विदेशी निवेश बढ़ने से छोटे–बड़े सभी किस्म के रोजगार बढ़ेंगे और आम लोगों को फायदा होगा। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की मानें तो विदेशी ही नहीं, भारतीय निवेशकों में भी लोकपाल के पारित होने से भरोसा जगा है।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें चढ़ने में जहां मांग एवं आपूर्ति में असंतुलन का सिद्धांत कार्य करता है, वहीं इसके लिए काफी हद तक भ्रष्टाचार भी जिम्मेदार है। जैसेकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि भारत में अकेले ट्रकों को प्रति वर्ष 22,200 करोड़ रुपये की घूस चुकानी पड़ती है या घूस पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा वसूल की जाती है। यह घूस वे किसी पुलिस एवं परिवहन महकमे को किसी सेवा के बदले नहीं चुकाते, बल्कि सब कुछ सही होने के बावजूद देनी ही पड़ती है। जाहिर है कि ट्रक मालिक इस राशि को अपनी जेब से नहीं चुकाते। यह घूस ट्रकों के सामान के किराये में ही जुड़ती है। फलतः वस्तुएं महंगी होती हैं। इसी प्रकार बिजनेस घराने, कंपनियां, उद्योगपति राजनैतिक दलों एवं सरकारों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से चंदा देते हैं कई बार यह राशि सीधे उन पार्टी नेताओं की जेब में चली जाती है, तभी उन्हें सूबों में कारखाने लगाने की

अनुमति मिलती है। यह नज़राने की रकम सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी चुकानी पड़ती है, इसलिए कारखाने का उत्पाद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाई गई राशि की वजह से महंगा हो जाता है। नतीजा साफ है कि महंगाई बढ़ जाती है। लोकपाल के साथ–साथ सरकार चुनाव सुधार में भी आगे बढ़े तो इस दिशा में व्यापक बदलाव आ सकता है।

जिस दिन विधेयक पारित हो रहा था तो एक पार्टी ने यह मुद्दा उठाया था कि लोकपाल के डर से अधिकारियों में निर्णय लेने को लेकर डर पैदा होगा। इसका नतीजा यह होगा कि रक्षा सौदे लटकते रहेंगे। परियोजनाओं के टेंडर लटकते रहेंगे। इससे उनकी लागत में बढ़ोत्तरी होती रहेगी और राजस्व की भारी क्षति होगी। इसकी कई वजहें हैं। सौदों एवं बड़ी परियोजनाओं को भ्रष्ट तरीकों से हथियाने के लिए कई लॉबियां सक्रिय रहती हैं। जो लॉबी विफल रहती है, वह शिकायत कर जांच बिठा देती है। जांच चलती रहती है और सौदे में विलंब होता है। यदि शुरू से ही स्पष्ट हो जाए कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं निष्पक्ष रहेगी तो न ऐसी लॉबियां काम कर पाएंगी और न ही अधिकारी निर्णय लेने में हिचकेंगे। सही निर्णय लेने में किसी अधिकारी को किस बात का डर होगा। डर तो गलत फैसले लेने में होता है।

यहां यह जिक्र करना भी जरूरी है कि आज भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए मजबूत तंत्र की कमी है। पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधी शाखाएं ज्यादातर संसाधनों की कमी से जूझ रही हैं और छोटे–छोटे मामलों में ही वे कार्रवाई कर पाती हैं। राज्य सरकारों के हस्तक्षेप के कारण उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते रहते हैं। दूसरी ओर केन्द्रीय एजेंसी सीबीआई अधिकतर राजनीतिक मुकदमों में उलझी रहती है। सरकारी कार्मिकों के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ही एक विकल्प है। लेकिन सीवीसी भी बड़े पैमाने पर शिकायतों के निपटारे में विफल रहा है। उसकी दूसरी असफलता यह रही है कि वह बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाल पाया। इसलिए लोकपाल के रूप में आम लोगों को शिकायत के लिए एक प्रभावी एवं निष्पक्ष मंच मिलेगा। अब यह समय बताएगा कि वह कितना प्रभावी होगा।

लोकपाल कानून के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। संतोष की बात यह है कि अब लोकपाल पारित हो गया है। हमने एक महत्वपूर्ण कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ बढ़ाया है। लेकिन वह अंतिम नहीं है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अभी काफी कुछ किया जाना है। इस कानून में काफी चीजें अच्छी हैं। एक निष्पक्ष संस्था बनाने की कोशिश की गई है। लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रिया को बेहतर बनाया गया है, लेकिन सीबीआई पर कुछ नये बोझ डाल दिए गए हैं। यह एक मजबूत लोकपाल है।

जब तक सिटिजन चार्टर कानून नहीं बनेगा, तब तक सरकारी सेवाओं के प्रति जवाबदेही तय नहीं होगी। यह विधेयक सुनिश्चित कराता है कि प्रत्येक सरकारी सेवा प्रदान करने की एम समय सीमा तय हो। जन्म प्रमाण पत्र कितने दिन में मिलेगा? ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन में बनेगा? जाति प्रमाण पत्र बनाने में कितने दिन लगेंगे? प्रत्येक सरकारी सेवा के लिए समय तय होना चाहिए। फिर इससे संबंधित शिकायतों के निराकरण की भी समय सीमा होनी चाहिए। इसी प्रकार जब तक भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले कार्मिकों की पहचान गोपनीय नहीं रखी जाएगी या उन्हें कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा, वे शिकायत के लिए आगे नहीं आएंगे।

यकीनन, यह एक कड़ा संदेश है। भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों को अब यह समझ जाना चाहिए, उन्हें सुधर जाना चाहिए। लेकिन बात इतनी नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हर नागरिक और संगठन को अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी।

नेल्सन मंडेला

अमर सिंह सवान, राजभाषा अधिकारी

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बीसवी सदी के पांचवे दशक के अंत तक जब लगभग सारे देश पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों से आजाद हो चुके थे, तब भी कुछेक देशों में साम्राज्यवादी ताकतें अपनी अलग पहचान के साथ हावी थी। ऐसा ही एक देश था दक्षिण अफ्रीका जहां पर अभी भी एक नस्लवादी सरकार का अधिपत्य था। जहां गोरे–काले का भेद बहुत जोरो पर था। गोरे लोगों ने सारी सत्ता हथिया रखी थी और काले लोगों के साथ गुलामों की भांति व्यवहार करते थे। यह वही देश है जहां भारत के महात्मा गांधी ने अपने साथ भेदभाव के चलते सत्याग्रह की शुरूआत की थी।

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के निधन की खबर ने हम सभी को स्तब्ध एवं विषाद से भर दिया, क्योंकि उनकी मृत्यु के साथ एक सच्चा महान गांधीवादी महापुरूष इस धरती से विदा हो गया। यह समूचे विश्व के लिए एक ऐसी क्षति कही जा सकती है जिसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है।

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में उनका आगमन ऐसे समय में हुआ जब वह देश किसी भी दिशा में भटक सकता था। आज हम जिस दक्षिण अफ्रीका से रूबरू हैं वह काफी हद तक एक व्यक्ति के दार्शनिक विचारों और निजी पहल का नतीजा है। वरना वह बहुत आसानी से एक और जिंबाब्वे अथवा सोमालिया में तब्दील हो सकता था।

1993 तक दक्षिण अफ्रीका में वहां नस्लभेदी युग की यादें ताजा थी। नस्लभेद का अंत हो चुका था, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर बने शौचालयों पर अभी भी 'श्वेत' तथा 'ब्लैक' लिखा दिख जाता था। नेल्सन मंडेला रिहा हो चुके थे लेकिन देश में सरकार अभी भी श्वेतों की ही थी। स्वाजीलैंड की सीमा से लेगे कांग्वाने में जनजातीय इलाके में अश्वेत लोगों के लिए बनाए गए अनेक स्वायत्त संरक्षित क्षेत्र शामिल थे। जो अब यह पुमालांगा प्रांत का हिस्सा हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद दक्षिण अफ्रीका के कई इलाकों में भी पर्याप्त तनाव रहता था।

नेल्सन मंडेला का राष्ट्रपति बनने के समय तक बाहरी दुनिया के लिए दक्षिण अफ्रीका का आंतरिक तनाव श्वेतों और अश्वेतों का तनाव था जबकि वहां की जमीनी हकीकत इससे काफी अलग और जटिल थी। श्वेत आबादी दो धड़ों में बंटी हुई थी। एक हिस्सा बदलाव चाहता था जबकि दूसरा किसी भी कीमत पर बदलाव नहीं चाहता था और वह किसी न किसी तरह यह अलगाव कायम रखना चाहता था। इसके अलावा ब्रिटिश मूल के अंग्रेजीदां श्वेतों तथा अफ्रीकी भाषाएं बोलने वाले डच मूल के श्वेतों के बीच भी आपसी संदेह एवं आशंकाएं प्रबल

थी। सन 1880–81 और 1899–1902 के बोअर युद्ध के जख्म तक पूरी तरह भरे नहीं थे।

इसी तरह देश की अश्वेत आबादी भी जनजातियों में बंटी हुई थी। जुलू राष्ट्रवादी इंकाथा फ्रीडम पार्टी को अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस (नेल्सन मंडेला और एएनसी के कई नेता प्रतिद्वंद्वी झोसा जनजाति से थे) पर कतई भरोसा नहीं था। नस्लभेदी सरकार के पतन के बाद इन प्रतिद्वंद्वी समूहों में जमकर मारकाट एवं रक्तपात होने लगा। केवल एक घटना बाओपतोंग्न नरसंहार में ही लगभग 40 लोग मारे गए थे और करीब इतने ही घायल हुए थे। वर्ष 1993 की गर्मियों तक सभी पक्ष हथियार एकत्रित करने में लग गए थे। नजदीकी देश मोजाम्बिक से हथियारों की तस्करी की जाती थी। कई मौकों पर पिकअप ट्रकों

को बंदूक की नोक पर अपहृत भी कर लिया जाता था। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जो भारत की तरह ही बहुत ही विविधताओं वाला देश कहा जा सकता है। आज भी वहां भारतीयों समेत तमाम अन्य मिश्रित जाति व नस्ल के समूह रहते हैं। देश के पश्चिमी आधे हिस्से में मिश्रित समूहों के लोग बड़ी संख्या में मौजूद है लेकिन वे सांस्कृतिक और राजनीतिक द्विविधा में लटके हुए है। भारतीयों की आबादी यूं तो बिखरी हुई थी लेकिन देश के पूर्वी इलाके में स्थित शहर डरबन में उनका जमावड़ा अच्छा खासा है। उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंके जाने की ऐतिहासिक घटना पास में स्थित पीटरमारिट्जबर्ग में ही हुई थी।

हालांकि भारतीय मूल के कारोबारियों को नस्लभेदी शासन के दौरान भेदभाव का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उनका देश के खुदरा और थोक कारोबार के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा था और यही वजह थी कि भारतीय समुदाय खासा समृद्ध था। शायद यही कारण था कि स्थानीय लोग एवं अन्य सभी समुदाय उनसे खफा थे। हकीकत में वह एक ऐसा दौर था जब भारतवंशियों पर हर समूह यह संदेह करता है कि भारतीय उसके प्रतिदंद्वी समूह को आर्थिक सहायता मुहैया कराते हैं।

उस दौरान जोहानीसबर्ग में विटवाटर्सरैंड विश्वविद्यालय में दंगे हुए भारतीय लोगों ने भी राजनीतिक रैलियों में हिस्सेदारी की और इस बीच लगातार गोलीबारी को भी झेलना पड़ा। यहां तक कि केम्पटन पार्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जहां बहुपक्षीय बातचीत चल रही थी, एक श्वेत समूह अल्पकालिक तौर पर काबिज होने में भी कामयाब रहा। यह वह दौर था जब दक्षिण अफ्रीका उबल रहा था। वहां कई ऐसे श्वेत परिवार थे जो देश छोड़ने की योजना बना रहे थे और अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रलिया में बसने की तैयारी कर रहे थे।

उस वक्त के हालातों से तो यह स्पष्ट हो जाता है कि दक्षिण अफ्रीका कितनी आसानी से हिंसा और बंटवारे के भंवर में उलझ सकता था। वह देश छोटे–छोटे टुकड़ों में बट सकता था और यदि ऐसा होता तो ऐसा होने में जो रक्त–पात होता, उसकी कल्पना कर ही रूह कांप जाती है। भारत–पाकिस्तान का बंटवारा विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी जिसे शायद अफ्रीका में पुनः दोहराए जाने से रोकने में नेल्सन मंडेला का बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है। ऐसे में यह नेल्सन मंडेला की अप्रत्याशित सफलता है कि वह देश के तमाम आंतरिक विरोधाभासों के बावजूद लोगों को पूरे देश को एकजुट बनाए रखने में कामयाब रहे। यह बात भी उतनी ही प्रशंसनीय है कि नए–नए आजाद हुए विभिन्न देशों के नेताओं की तरह उन्होंने अपने मृत्युपर्यंत शासन करने की कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। आधुनिक इतिहासकार महान व्यक्ति के सिद्धांत को खारिज करते हैं और उनकी दलील है कि इतिहास ही लोगों को महान बनाता है, लेकिन सच तो यह है कि मंडेला को इसका अपवाद माना जाना चाहिए। मंडेला ने सही अर्थों में इतिहास को महान बनाकर एक नई एवं सुनहरी इबारत लिख दी। वास्तविक अर्थों में वे एक इतिहास के निर्माता थे।

आइए बीसवीं सदी के इस महानायक के पूरे जीवन–काल पर एक नजर डालें। आपका जन्म 1918 में 18 जुलाई को साउथ–अफ्रीका के तत्कालीन केप प्रोवीन्स (राज्य) के उमटाटा क्षेत्र के मवेजो गांव में हुआ था। बचपन में घर वालों ने आपका नाम रोलिहलाहला नाम था, स्थानीय भाषा में जिसका तात्पर्य उद्यम मचाने वाला होता है। बाद में जो काफी हद तक सच भी साबित हुआ। ईस्टर्न केप प्रोवीन्स के तत्कालीन एक राजा के बेटे ने आपको नया नाम मंडेला दिया। यद्यपि मंडेला के परिवार में अब तक किसी ने स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी, पहली बार मंडेला ने स्कूली शिक्षा प्राप्त की। हालांकि उस समय गोरे–काले का भेद प्रचुरता से विद्यमान था। इसलिए वहां के मूल निवासी (काले लोग) शिक्षा से वंचित रखे जाते थे। मंडेला दो बहनों के बीच अकेले भाई थे।

मंडेला की मां उन्हें मक्हेकेजवेनी नामक 'ग्रेट प्लेस' ले गई जहां मंडेला थेमबू रेजीमेंट प्रमुख जोनसीनराबा डेलिनडेबो की देख–रेख में अनेकों वर्ष तक रह कर पढ़े लिखे। यहां पर कई सालों तक मां नहीं आई। उन्हें अपने बच्चे की तरह पाला–पोसा। यहां मेथोडिस्ट मिशन स्कूल में अंग्रेजी, जोसा (स्थानीय भाषा), इतिहास एवं भूगोल की पढ़ाई की। अफ्रीकी इतिहास आपका प्रिय विषय था। सोलह वर्ष की आयु होते–होते मंडेला के मन में साम्राज्यवाद के खिलाफ विद्रोह की भावना भड़कने लगी। उन्हें यह भेद–भाव खटकने लगा कि गोरों के पास सभी सुख–साधन एवं आजादी है जबकि कालों के पास नहीं।

अभिभावकों की इच्छा का सम्मान करते हुए मंडेला ने थैमबू रॉयल हाउस का एक प्रिवी काउंसिल बनने के लिए अनुकूल कौशल हासिल करने हेतु सैकेंड्री शिक्षा हेतु इंगकोबो में क्लार्कबरी बोर्डिंग संस्थान में दाखिला लिया। यह संस्थान अफ्रीकी मूल निवासियों के लिए था किंतु यहां पर शिक्षा यूरोपियन पद्धति में दी जाती थी। दो साल की पढ़ाई के बाद वहां के रायल परिवार एवं प्रमुख जज के साथ कार्य का अवसर मिला, किंतु मंडेला इसे स्वीकार न करके नेटिव अफ्रीकन संस्कृति के प्रति रूचि दिखाई। यही कारण था कि मंडेला ने यूनिवर्सिटी आफ फोर्ट हेयर में बीए की पढ़ाई जारी रखी। यहां पर आपने नृतत्व शास्त्र, राजनीति, अंग्रेजी, नेटिव प्रशासन तथा रोमन–डच लॉ की पढ़ाई शुरू की। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता का आंदोलन प्रारंभ हुआ। मंडेला ने भी अपने छात्र साथियों के साथ छात्र प्रतिनिधि सभा बनाई और अच्छे भोजनादि की मांग को लेकर अवज्ञा आंदोलन किया जिसके कारण कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया।

दिसंबर, 1940 में मंडेला वापस मैक्हेकेजवेनी लौटे और वहां पर घरवालों ने विवाह करने पर जोर डाला। मंडेला ने वहां काम न ढूंढकर क्वींस टाऊन होते हुए जोहांसबर्ग आ गए और 1941 में क्राउन माईन्स में नाइट वाचमैन की नौकरी कर ली। यह अफ्रीकी

पूंजीपतियों की जगह थी। मंडेला का नौकरी में मन नहीं लगा वे अफ्रीकी राष्ट्रीय परिषद तथा कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में आए। मंडेला इन संगठनों से प्रभावित हुए जहां यूरोपिन, अफ्रीकन, भारतीय तथा काले सभी लोग एक समान देखे व जाने जाते थे। इस दौरान मंडेला ने कई जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लिया। तमाम कठिनाइयों एवं अवरोधों के बावजूद 1943 में मंडेला ने बी. ए. की शिक्षा पूर्ण की। मंडेला ने थेबूलैंड में प्रिवी काउंसिलर बनने की बजाय एक वकील के रूप में राजनीतिक जीवन पर कदम बढ़ाए।

विट–वाटर रैंड यूनीवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करने वाले मंडेला पहले नेटिव अफ्रीकन छात्र थे। वहां जातिवादी भेदभाव के बावजूद मंडेला ने कम्युनिस्ट सोच वाले एवं आज़ाद ख्याल के यूरोपियन, यहूदियों एवं भारतीयों के साथ दोस्ती के रिश्ते बढ़ाए। 5 अक्तूबर, 1944 में मंडेला एएनसी कार्यकर्ती एवाइलिन मैस से मिले जो नर्स की ट्रेनिंग के बाद नर्स बनी थीं। कुछ दिन साथ रहने के बाद विवाह कर लिया। 1945 में उनका पहला बच्चा मडीबा पैदा हुआ। वर्ष 1948 में दक्षिण अफ्रीका के आम चुनाव हुए जिसमें केवल श्वेतों को मत देने का अधिकार था। मंडेला ने इसी के विरूद्ध कुछ आंदोलनों में भाग

लिया। अतः 1949 दिसंबर में उन्हें डिग्री देने से वंचित कर दिया गया।

मंडेला ने मार्च 1950 में एएनसी नेशनल इक्जेक्युटिव में भाग लिया। और जोहांसबर्ग में फ्री स्पीच सम्मेलन में भाग लिया। एएनसी ने 1952 में भारतीयों एवं कम्युनिस्टों के साथ मिलकर अहसयोग आंदोलन की शुरूआत की, जिसके लिए नेशनल वालंटरी बोर्ड का गठन कर युवाओं को भर्ती किया गया। ये अहिंसक असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के अहिंसावादी सिद्धांतों से प्रभावित थे। मंडेला ने 22 जून, 1950 को डरबन में लगभग 10,000/– लोगों की भीड़ को संबोधित किया। धीरे–धीरे यह सदस्य संख्या लाखों में पहुंच गई। 30 जून, 1952 को मंडेला को जन सुरक्षा के तहत मार्शल ला में कैद कर लिया गया। मंडेला भारत की आज़ादी के आंदोलन से भी प्रभावित हुए। जवाहरलाल नेहरू का भी प्रभाव पड़ा। मंडेला के ऐसे ही आंदोलनों के कारण वह कई बार बंदी बनाए गए। 5 दिसंबर, 1956 को फिर बंदी बनाए 1958 जनवरी को मुक्त हुए। मंडेला ने 1961 में स्थानीय भाषा के अनुसार नाम देकर "उमखोंटो द सिज़वे" (राष्ट्र नेतृत्व) नामक संगठन का गठन किया। राष्ट्र द्रोह के नाम पर उन्हें 1962 में पुनः बंदी बनाया गया और राजनीतिक लाभ नहीं दिया गया। दो साल तक विभिन्न तरह के अपराधिक मामलों में फंसा कर मुकदमें चलाए गए और 12 जून, 1964 को कई मामलों में दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कैद में मंडेला को शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं भी दी गई, पर वे अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए और जेल में रहकर विभिन्न प्रकार के साहित्य का अध्ययन करते रहे। 1975 में उन्हें ए वर्ग के कैदी का दर्जा दिया गया।

जुलाई 1988 में मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकृष्ट किया, जो उनकी 70वीं वर्षगांठ थी। 1989 के नंवबर माह में तत्कालीन डी क्लार्क सरकार ने तमाम घरेलू प्रदर्शनों एवं अंतर्राष्ट्रीय दवाबों के चलते मंडेला को जेल से मुक्त किया। जेल से मुक्त होने से पहले तत्कालीन सरकार ने सभी प्रकार की बंदिशों को हटा दिया और 2 फरवरी, 1990 को मंडेला मुक्त हुए तथा 20 साल बाद उनका फोटो दुनिया भर के तमाम अखबारों के मुखपृष्ठ की सुर्खियां बना। मुक्त होने के बाद मंडेला एएनसी के अध्यक्ष बने और विभिन्न देशों में दौरा कर शांति एवं अहिंसा के संदेश का बिगुल बजाया। इस दौरान फुटबाल एवं मुक्के बाजी जैसे विभिन्न खेलों को प्रोत्साहित किया।

27 अप्रैल, 1994 को एक ऐतिहासिक दिन कहा जा सकता है जब मंडेला के नेतृत्व में आम चुनाव का बिगुल बजाया गया। साउथ अफ्रीका की नेशनल असेंबली ने 10 मई, 1994 को नेलसन मंडेला राष्ट्रपति चुना और पूरी दुनिया ने पहले अश्वेत दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति को अखबारों के मुख्य पृष्ठ एवं टीवी की स्क्रीन पर देखा गया। अपने राष्ट्रपति शासन के दौरान अनेको महान कार्य किए। आपको दुनिया ने सम्मानित करने हेतु तमाम देशों ने सर्वोच्च पुरस्कारों से सम्मानित किया जिसमें भारत सहित कई देश शामिल हैं। आपको विश्व के सबसे प्रतिष्ठित शांति के 'नोबल पुरस्कार' से भी सम्मानित किया गया था।

आचार्य महाप्रज्ञ

आचार्य श्री महाप्रज्ञ (14 जून, 1920 – 9 मई, 2010) जैन धर्म के श्वेतांबर तेरापंथ के दसवें संत थे। महाप्रज्ञ एक संत, योगी, आध्यात्मिक, दार्शनिक, अधिनायक, लेखक, वक्ता और कवि थे। उनकी बहुत पुस्तकें और लेख उनके पूर्व नाम मुनि नथमल के नाम से प्रकाशित हुई। उन्होंने दस वर्ष की आयु में जैन संयासी के रूप में विकास और धार्मिक प्रतिबिंब का जीवन आरम्भ किया। महाप्रज्ञ ने अनुव्रत आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई जो गुरु आचार्य तुलसी ने 1949 में आरंभ किया था और 1995 के आंदोलन में स्वीकृत अधिनायक बन गए। आचार्य महाप्रज्ञ ने 1970 के दशक में अच्छी तरह से नियमबद्ध प्रेक्षा ध्यान तैयार किया और शिक्षा प्रणाली में "जीवन विज्ञान" का विकास किया जो छात्रों के संतुलित विकास और उसका चरित्र निर्माण के लिए प्रयोगिक साधन है।

साझा प्रबंधन एवं विकास

प्राची सिंह, गार्गी कालेज

पूरी दुनिया भर में भ्रष्टाचार एक सार्वभौमिक मुद्दा बन गया है। हर देश इसकी चपेट में आ चुका है। पश्चिमी देशों एवं अमेरिका आदि में जहां यह उच्च स्तर काबिज है और आम जनता प्रत्यक्ष तौर से छोड़ा कम प्रभावित है वहीं एशिया एवं अफ्रीकी देशों में यह ऊपर से लेकर नीचे तक पैठ बना चुका है। अब हालात यह है कि हर छोटे–छोटे काम के लिए हथेली गरम करनी पड़ती है। एक साधारण आदमी अपना कोई भी काम बिना घूस दिए नहीं करवा पाता है।

कुछ समय पहले ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी विश्व के 172 देशों की भ्रष्टाचार संबंधी रिपोर्ट में भारत का स्थान 94वां है। भारत को 0–100 के अंक स्केल पर मात्र 36 अंक मिले। यानी अपने यहां

भ्रष्टाचार का स्तर बहुत ज्यादा है। इस सूची में चीन का स्थान 80वां है। रिपोर्ट में कमजोर प्रदर्शन करने वाले देशों को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि सत्ता के दुरुपयोग, खुफिया सौदेबाजी और रिश्वतखोरी से समाज का विघटन हो रहा है। इससे रकम और संसाधनों के दुरुपयोग के साथ संकट बढ़ाने वाले कार्य हो रहे हैं।

अपनी तरह का एक उदाहरण पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भी देखने में आया था जब वहां के जिलाधिकारी को सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर ने गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी राज्य सरकार को बिना जानकारी दिए हुई, जिसे मनमानी कह सकते हैं। बताते हैं तत्कालीन जिलाधिकारी जब सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, उस समय करीब सौ करोड़ के घोटाले हुए थे जिनमें उनका नाम आया था और उसी आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि स्थानीय कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी तथा राज्य सरकार ने पुलिस कमिश्नर को भी तत्काल प्रभाव से उनकी मनमानी के लिए पद से हटा दिया; किन्तु इस घटना ने कई प्रश्न छोड़ दिए, जिनमें दो नौकरशाहों के टकराव, नौकरशाही के अंदर व्याप्त मनमानी तथा भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे गौर करने लायक हैं।

वास्तव में बदलते लोकतांत्रिक परिवेश और बदलती राजनीतिक सहभागिता ने नौकरशाही और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बहुत सी जिम्मेदारियां पैदा की हैं। जिसके प्रति शायद हम गंभीरता से नहीं देख पा रहे हैं। इन घटनाओं के परिपेक्ष्य में कई प्रगतिशील मुद्दे अनछुए रह गए हैं। आज भारत में प्रशासन का अर्थ ब्रिटिशकालीन प्रशासन के अर्थ में ही लिया जा रहा है जबकि समय और परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। भारत में आज भी कई एक कानून अठारवीं एवं उन्नीसवी शती के प्रचलन में हैं। ये कानून साम्राज्यवाद को मजबूती प्रदान करने के लिए बने थे। जबकि आज की भारतीय सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना लोकतांत्रिक सहभागिता के संदर्भ में हो गई है। इसे किसी तरह से प्रशासन का नाम देना गलत होगा। अब तो इसे सहभागी प्रशासन या सहभागी प्रबंधन का नाम दिया जाना चाहिए क्योंकि ब्रिटिश काल में प्रशासन का कार्य ब्रिटिश हितों के अनुकूल भारतीय जनता को प्रशासित करना होता था लेकिन आज भारतीय लोकतांत्रिक समाज में इसका कार्य प्रशासित करना नहीं हो सकता। हम समाज में निगरानी, नियमन और नियंत्रण तो कर सकते हैं किन्तु किसी को प्रशासित नहीं कर सकते। जैसे–जैसे समाज उत्तरोत्तर लोकतांत्रिक विचारों से परिष्कृत होता जाएगा, इन नकारात्मक संबोधनों को समाज से निकालना ही होगा। आज देश की नौकरशाही विश्व की भ्रष्टतम नौकरशाही की जमात में आगे बढ़ती जा रही है। आय से अधिक सम्पत्ति का मामला हो या अपने परिचित को लाभ दिलाना, सरकारी योजना राशि का गबन हो या अधिकतम भ्रष्टाचार, सबमें भारतीय नौकरशाहों की भूमिका उजागर होती रही है।

नौकरशाही के जन विमुख और भ्रष्ट होने के कई कारण हैं। सबसे अहम है नौकरशाही का राजनीतिक रूझान और नौकरशाही पर राजनीतिक दबाव। भ्रष्टाचार के अलावा हमारी नौकरशाही की संरचना भी विकृत होती गई है। कहीं न कहीं नौकरशाहों की चयन प्रक्रिया में भी दोष है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से नौकरशाहों के इस विशाल समूह का चयन किया जाता है। इस संस्थान के द्वारा अंग्रेजी जानने वालों को प्राथमिकता दी जाती है जिसके कारण 70 प्रतिशत नौकरशाह शहरी परिवेश के होते हैं और उनके पास ग्रामीण विकास की पृष्ठभूमि व दृष्टिकोण नहीं होता। ये सभी परंपरागत या पश्चिमी मॉडल को प्रश्रय देते है। हालांकि विभिन्न प्रशासनिक सुधार आयोगों द्वारा समय–समय पर चयन प्रक्रिया में सुधार हेतु सिफारिशें की जाती रही हैं। यह बेहद गंभीर और जटिल प्रश्न है कि देश को एक ईमानदार, कर्त्तव्यनिष्ठ, कुशल प्रशासक कैसे दिया जाए। सिविल सेवकों को न केवल देश के अंदर बल्कि देश के बाहर के संबंधों में महत्पूर्ण भूमिका निभानी होती है। आज वैश्विक स्तर पर जैसी घटनाएं हो रही हैं, उसमें भारतीय सिविल सेवकों की बड़ी भूमिका है लेकिन हम पुरानी चयन प्रणाली के भरोसे अपेक्षित नौकरशाही समूह विकसित नहीं कर पा रहे हैं। आज की परिस्थितियों में देश में वैसी शासन व्यवस्था कायम नहीं हो सकती है जिसे लालफीताशाही कहते हैं। इसके लिए जन केन्द्रित और कुशल सामाजिक प्रशासक की जरूरत है। बदलती जरूरतों के अनुकूल हर साधन और साध्य बदलें, तभी हम विश्व नेतृत्व, विकसित और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

इसके साथ ही एक मुद्दा विकेंद्रीकरण का है। विकेंद्रीकरण की नीति को संवैधानिक दर्जा 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1994 में दिया गया। इसके तहत ग्राम और शहरी स्तर पर स्थानीय शासन की रूपरेखा तय की गई। आशा जगी कि अब तो वास्तविक लोकतंत्र का लाभ अवश्य मिलेगा जो जमींनी स्तर से शुरू होता है; किन्तु इसका भी वास्तविक लाभ आज तक हमें नहीं मिल सका है। भारतीय नौकरशाही और स्थानीय नेताओं के बीच हितों का टकराव इसकी सफलता का प्रमुख अवरोधक माना जाता है। यह बात एकदम सही है कि विकेंद्रीकरण ने सत्ता को जनकेंद्रित किया है जिसे प्रशासनिक तंत्र में शामिल लोग आसानी से सहन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके हिस्से की सत्ता और उसके लाभ अब बंटते जा रहे हैं। एक तरह से उनकी पाकड़ और अंकुश घट रहा है।

आज भी राजनीति, शासन एवं नौकरी का तात्पर्य तीन पी से लगाया जाता है 'पैसा, पावर और पॉपुलरिटी।' संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुटे हजारों मध्यवर्गीय युवाओं का सपना यही तीन पी है जो उनमें तैयारी की ऊर्जा भरता है। हमारी सोच, हमारे कर्त्तव्य के आगे भी इन्ही तीन पी से चिपके रहते हैं जो अंततः भ्रष्टाचार के पोषक बन जाते हैं।

हमारी सबसे बड़ी कमजोरी व्यक्तिवाद है भारत एक ऐसा देश है, जहां पर एक व्यक्ति, कुल या वंश को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। राजशाही परंपरा की भांति ही राजनीति में भी वंश परंपरा का अनुपालन होता है। व्यक्ति का कौशल/योग्यता एवं क्षमता से अधिक यह देखा जाता है कि वह किसके वंश या खानदान का है। यही कारण है कि प्रजातंत्र के दौर में भी राजनीति भी खानदानी पेशा बन गया है। हर प्रदेश में वंशवादी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले क्षत्रप अपना अधिपत्य जमाए है और जनता व्यक्तिवाद को आंख बंद कर अपना लेती है। जबकि समाज में सामंजस्य सामूहिकता से ही संभव है।

जिस दिन हमने अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों का प्रयोग व्यष्टि से समष्टि की ओर करना शुरू कर दिया, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं खुद-ब-खुद खत्म हो जाएंगी। इसके प्रचालन से हर जगह यह सुधार देखने को मिलेंगे। यही कारण है कि हमें समाज के प्रति अपनी नीतियों को उन्मुख करना होगा। आज देश में जो भी नीतियां लायी जाती हैं, उनमें समाज को समझने के प्रति अभाव दिखता है। ऐसे में नौकरशाहों से हम इन नीतियों के साथ बेहतर परिणामों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। आज पूरी व्यवस्था मार्केट इकोनोमी की तरफ झुकी है। किसी भी समाज को सिर्फ आर्थिक नजरिये से नहीं देखा समझा जा सकता है। एक बहुविधि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व मूल्यों वाले राष्ट्र के लिए हमारी प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार केवल आर्थिक आयामों तक सीमित नहीं होना चाहिए।

भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में गिरावट का ही नतीजा है कि तमाम कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद देश से गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अपराध खत्म नहीं हो पा रहा है। दुःखद यह है कि वितरण व्यवस्था में ही छिद्र है जो हमारी प्रशासनिक मानसिकता के कारण हुआ है। आज देश को अप्रत्यक्ष रूप से चला रहे सिविल सेवकों की चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण, नियोजन की संरचना में मूलभूत सुधार की आवश्यकता है ताकि प्रशासनिक मानसिकता को सहभागी प्रशासन में बदल सच्चे लोकतंत्र की तरफ केन्द्रित किया जा सके। वास्तव में देश को साझा प्रबंधन की जरूरत है।

इन नौकरशाहों को साझा प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को यह बताया जाना चाहिए कि अपने ही देश में पचास-साठ पहले एक साझा प्रबंधन गांव-गांव एवं समुदायों के बीच चालू थी। उस समय ऐसी व्यवस्था थी ग्रामीण क्षेत्र में किया जाने वाला हर काम मिल-जुलकर किया जाता था। यदि किसी के घर विवाह है या कोई अन्य कार्यक्रम, उसमें सभी लोग साझे संसाधन जुटाकर और साझी जिम्मेदारी लेकर काम पूरा करते थे। यहां तक कि कृषि कार्य की बुवाई, कटाई, मड़ाई भी आपस में मिलकर किए जाते थे। साथ मिलकर, साथ खाने-पीने से भाई चार एवं सौहार्द तो बढ़ता ही है कई जिम्मेदारियां साझी हो जाती हैं। लोगों की सोच एवं अहसास भी साझे हो जाते हैं। जिसकी वर्तमान दौर में गंभीर कमी है। आज पूरा समाज शासक और शासित, अमीर एवं गरीब की श्रेणी में बँट कर रह गया है। आज भी आधुनिक तरीके से साझा प्रबंधन अपनाने की आवश्यकता है। तभी हम गांधी जी के स्वराज के सपने को सच करते हुए समाज के हर वर्ग को विकास का लाभ पहुंचा सकते हैं। साझा प्रबंधन के बल पर ही हम अशिक्षा, गरीबी, कुपोषण एवं भेदभाव व अन्याय जैसी समस्याओं को मिटाने में सफल हो सकते हैं।

मनुष्य कौन?

भगवत गीता में श्रीकृष्ण बोले, "तुम चाहे शास्त्रज्ञ हो, चाहे कुलीन हो, चाहे तुम पुजारी हो, चाहे तुम ज्ञानी कहे जाते हो, पर तुम्हारे भीतर से अभी पशुत्व की वृत्ति गई नहीं है। जब तुम्हें क्रोध आता है तो नाग की तरह फुफकार कर दूसरे को डंसने के लिए दौड़ते हो। तुम तो अभी नाग हो। तुम ज्ञानी कहां बने। लोमड़ी की तरह तुम्हारे भीतर लालच है। बगुले की तरह तुम बगुला भगत की नीति अपनाते हो। दिखते कुछ हो और अंदर से तुम्हारी मंशा कुछ और है। कुत्ते की तरह तुम भौंकते हो, बिल्ली की तरह पराये सामान को उड़ा जाना चाहते हो। अभी तुम्हारे भीतर का ज्ञान नहीं उपजा। तुम्हारे भीतर अभी तक मनुष्यत्व नहीं आया। जो लोग अपने से पशुता को भगा चुके वे संत कहलाते है।"

स्वामी तथागत भारती

भारतीय अर्थव्यवस्था और 2014 में संभावनाएं

पुनीत चौहान, उपप्रबंधक

पांच–छह वर्ष पूर्व जब अमरीकी बाजार में मार्टगेज संकट के साथ मंदी का दौर आया तो उससे विश्व भर की तमाम अर्थ व्यवस्थाएं आर्थिक संकट की चपेट में आ गई। इस प्रभाव की प्रतिफल कई वर्षों बाद तक देखा गया और हालात यह हुई कि कई यूरोपीय देश कंगाली के कगार पर पहुंच गए। हालात ऐसे भी बने थे कि यूरोपियन संघ के अस्तित्व पर भी संकट मंडराने लगे। उस दौर में भी भारत और चीन पर इसका बहुत अधिक विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था।

यह कितने आश्चर्य एवं विस्मय की बात है। कि भारत उस मंदी के दौर से तो उबर गया लेकिन केन्द्र सरकार के पास स्पष्ट नीतियों के अभाव में तथा स्पष्ट बहुमत वाली सरकार की कमी एवं कई पार्टियों की साझा सरकार के कारण केन्द्र सरकार कई एक सख्त फैसले नहीं ले सकी, जिसका परिणाम यह हुआ कि हम बाहरी निवेशकों को कई क्षेत्रों में लाने में असफल रहे। इसके साथ कृषि उत्पादों की कमी कुप्रबंधन, मंहगाई के कारण आई स्फीति एवं डालर के मुकाबले गिरते रुपये ने हमारी रही–सही कसर पूरी कर दी। डालर के मुकाबले रुपये में 30–35 फीसदी आई गिरावट ने व्यापार संतुलन को ही नहीं गड़बड़ा दिया बल्कि हमारे मुद्रा भंडार को भी क्षीण बनाया। इन सबका परिणाम यह हुआ कि अपनी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) सहित कई अन्य क्षेत्रों में असफल हो गए। इस पर थोड़ा अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता है कि आखिर यह हालत क्यों बनी।

पिछले तीन वर्षों से हमारी अर्थव्यवस्था संकट में है। विकास दर लगातार गिर रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और रुपया टूट रहा है। इन सभी समस्याओं की जड़ में मुख्यतः कुशासन ही दिखाई देता है। महंगाई बढ़ने का कारण है सरकार द्वारा अपने राजस्व का लीकेज किया जाना। उदाहरण के तौर पर सरकार का राजस्व एक करोड़ रुपया हो और उसमें 20 लाख रुपये का रिसाव करके अफसरों और नेताओं ने सोना खरीद लिया हो। अब सरकार के पास वेतन आदि देने के लिए रकम नहीं बची। ये खर्चे पूरे करने के लिए सरकार ने बाजार से कर्ज लिए।

कर्ज लेना आसान बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने नोट छापे ताकि मुद्रा बाजार में रकम की उपलब्धता बढ़ जाए और सरकार आसानी से कर्ज उठा सके। एक करोड़ के नोट पहले ही प्रचलन में थे, अब 20 लाख के नोट और चक्कर काटने लगे। नए छापे गए नोटों की भूमिका खरीददार जैसी होती है। लिहाजा आलू, सीमेंट, कपड़ा आदि सभी वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे, जैसे मंडी में आलू की सप्लाई पूर्ववत हो और खरीददार ज्यादा आ जाएं तो दाम बढ़ जाते हैं। इस प्रकार लीकेज के कारण ज्यादा नोट छापने पड़े और महंगाई बढ़ती गई।

वृद्धि दर (ग्रोथ रेट) गिरने का कारण भी रिसाव है। वृद्धि दर (ग्रोथ रेट) बढ़ाने के लिए व्यक्ति को खपत कम और निवेश ज्यादा करना पड़ता है। जैसे दुकानदार जितना रुपया कमाए और उसका आधा निवेश करें तो ग्रो करता है। इसके विपरीत वह इतनी ही कमाई पर कमाई से ज्यादा रुपया कर्ज लेकर उसे खर्च कर डाले तो फिसलने लगता है। पिछले दशक में सरकार ने कर्ज माफी, मनरेगा और राइट टु फूड के माध्यम से ऐसे ही खर्चों को पोषित किया है, जबकि हाईवे और रिसर्च में निवेश घटाया है। इससे गरीब को राहत मिली है लेकिन ग्रोथ दबाव में आ गई है और बेरोजगारी बढ़ी है। लोगों को रोजगार देने के बजाय अनाज बांट कर उन्हें अपनी ओर खींचना कुशासन कहलाता है।

रुपये के टूटने का कारण भी कुशासन है। हमारे उद्यमियों को भारी मात्रा में तमाम तरह के टैक्स एवं घूस देनी पड़ती है अतः माल महंगा हो जाता है। वे माल का निर्यात नहीं कर पाते हैं, जबकि दूसरे देशों में लागत कम आती है और उनका माल सस्ता पड़ता है। निर्यात कम होने के कारण हमें डालर कम मात्रा में मिलते हैं। आयात ज्यादा होने के कारण डालर की डिमांड ज्यादा होती है। सप्लाई और डिमांड के असंतुलन के कारण डालर महंगा और रुपया सस्ता हो जाता है। इस प्रकार हमारी सभी समस्याओं को जड़ में भ्रष्टाचार और कुशासन ही नजर आता है।

आज वैश्विक दूरियां मिट चुकी हैं। संचार के इस युग में हर देश को दूसरे देश की आर्थिक ताकत एवं कमजोरी का पता होता है। यहां तक कि अभिशासन (गवर्नेंस) का ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। पहले हम भ्रष्टाचार को अपनी सरहद के अंदर पाल–पोस लेते है भ्रष्टाचार के कारण भारत में मोबाइल फोन मंहगा मिले जबकि दूसरे देशों में वह सस्ता मिलें तो व्यवस्था गड़बड़ाती नहीं थी। लेकिन अभी दूसरे सुशासित देशों में बना सस्ता माल हमारे घरेलू बाजार में हमारे ही माल को चलन से बाहर कर रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जो देश सुशासित होगा वही जीतेगा। ऐसे में हमारे पास अपनी प्रशासन शासन प्रणाली को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर सुधारने के अलावा कोई चारा नहीं है। जैसे स्विमिंग पूल में ढकेल दिए जाने के बाद तैरने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। उसी प्रकार ग्लोबलाइजेशन में ढकेले जाने के बाद सुशासन का कोई विकल्प नहीं बचा है। इस परिप्रेक्ष्य में हाल के चुनावों में आए बदलावों से आशा बंधती है। उम्मीद है कि कोई एक पार्टी को साफ बहुमत मिल सकता है या कम पार्टियों से साझेदारी करनी पड़ेगी तो वह अपने निर्णय पूरे विश्वास से शीघ्रता से ले सकेगी। ठोस विचार के साथ सरकार बनने से रिसाव कम होगा और अर्थव्यवस्था चल निकलेगी।

वैश्विक परिस्थितियों का भी 2014 पर प्रभाव पड़ेगा। मुद्दा अमेरिका की चाल का है। हमारी तरह अमेरिका सरकार के भी खर्च ज्यादा और रेवेन्यू कम है। सरकार द्वारा ऋण लेकर दिए जा रहे स्टिमुलस के बल पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ दिख रही है जैसे बीमार को ग्लूकोज चढ़ाने पर कुछ समय के लिए वह उठ खड़ा होता है। लेकिन इस तरह मरीज को ज्यादा दिन स्वस्थ नहीं रखा जा सकता। बढ़ते कर्ज के दूरगामी दुष्प्रभाव को देखते हुए अमेरिका के केन्द्रीय बैंक ने स्टिमुलस की मात्रा घटाने का निर्णय लिया है।

प्रश्न है कि इस झटके को अमेरिकी अर्थव्यवस्था झेल पाएगी या नहीं? कई विश्लेषक मौजूदा ग्रोथ को टिकाऊ मान रहे है। ऐसा हुआ तो हमारे माल की मांग बढ़ेगी और हमारे निर्यात सुदृढ़ होंगे। परंतु स्टिमुलस घटाने का हमारे लिए दुष्प्रभाव यह होगा कि अमेरिका में ब्याज दर बढ़ेगी और निवेशक भारत से पैसा निकालकर अमेरिका में निवेश करना चाहेंगे। कुछ अमेरिका जैसे हालात कई यूरोपिय देशों में दिख रहे हैं उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार आने से भारत को निर्यात बढ़ाने का मौका मिलेगा। भारत में विदेशी मुद्रा आने का मार्ग भी खुलेगा।

यहां यह बात भी समझानी जरूरी है कि अमेरिका में स्टिमुलस कम होने से हमारे निर्यात बढ़ेंगे लेकिन विदेशी निवेश घटेगा। इसका उलटा, यानी निर्यात का घटना और निवेश का बढ़ना हम 2009 के बाद से देखते आ रहे हैं। अतः स्टिमुलस की टेपरिंग हमारे लिए अप्रासंगिक है। निष्कर्ष यह कि 2014 की एक मात्र चुनौती सुशासन की है। सुशासन स्थापित होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था स्वतः चल निकलेगी। अन्यथा हम इसी तरह अपनी घरेलू नाकामी का ठीकरा वैश्विक कारणों पर फोड़ते रहेंगे।

अच्छी योजना की घटिया परिणिति-कुपोषित बच्चे

नारायण सहाय, प्रबंधक

भारत सरकार समय–समय पर तमाम जनहित की योजनाएं बनाती रहती है। इन योजनाओं के पीछे का निहितार्थ समाज के निम्न मध्यवर्ग एवं कमजोर वर्ग के परिवारों का कल्याण होता है। इंदिरा आवास योजना, आवास योजना, राजीव ऋण योजना, मनरेगा, जेएलएनयूआरएम आदि तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो इस वर्ग के कल्याण हेतु सरकार द्वारा बनाई एवं क्रियान्वित की गई है। यहां पर प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्या कारण है कि इन योजनाओं के बावजूद गरीब जनता वहीं की वहीं है। ठीक इसी प्रकार सरकार ने सभी बच्चों को शिक्षित बनाने हेतु सर्वशिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया और इस उद्देश्य को सफल बनाने तथा बच्चों के कुपोषण को घटाने के लिए बच्चों के लिए मिड डे मील तथा औरतों हेतु संपोषक आहार पूर्ति जैसी योजनाएं प्रांरभ की गई। लेकिन इन योजनाओं के घटिया क्रियान्वयन का परिणाम है कि बाल एवं महिला कुपोषण में नाममात्र गिरावट आई है।

पिछले दिनों बिहार में विषाक्त मिड डे मील से 23 बच्चों की मौत की घटना ने पूरे देश को हिला दिया। राज्य सरकार ने जब इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए शिक्षकों के लिए स्कूली बच्चों को परोसा जाने वाला खाना चखना अनिवार्य किया तो करीब तीन लाख शिक्षकों ने मिड डे मील योजना का ही बहिष्कार कर दिया। बाद में उन्होंने बहिष्कार का फैसला तो वापस ले लिया, मगर इस योजना के क्रियान्वयन पर कुछ सवाल जरूर खड़े कर दिए। शिक्षकों की यह कार्रवाई इस योजना के क्रियान्वयन में सुधार पर विचार का एक अवसर प्रदान करती है। सवाल उठता है कि एक तो इस गैर शैक्षणिक काम को शिक्षकों के कंधे पर क्यों लाद दिया गया है और दूसरे, इसमें गड़बड़ियों का जिम्मेदार भी उन्हें ही क्यों बना दिया गया? इसके लिए न तो उन्हें प्रशिक्षित किया गया है और न ही पर्याप्त संसाधन मुहैया कराए गए हैं। अनेक नीतियों और पर्याप्त संसाधनों के बावजूद विश्व में कुपोषण के शिकार तीन बच्चों में से एक भारतीय है। कुपोषण लोगों की जान के लिए खतरा है। भारत में बच्चों की मौत के आधे मामले कुपोषण से जुड़े होते है। कुपोषण के खात्मे में मिड डे मील योजना अहम भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा स्कूलों में खाना मिलने से गरीब माता–पिता बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।

यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना है और इस पर हर साल लगभग सवा तेरह करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। इसके बावजूद योजना की साख गंभीर संकट से जूझ रही है। मंत्रालय रसोईघरों, स्टोर के निर्माण के लिए पैसा उपलब्ध कराता है। साथ ही भोजन पकाने के बर्तन, चूल्हा खरीदने के लिए राशि भी देता है, जो प्रायः कम ही होती है। इन सभी मुद्दों पर प्रगति बेहद निराशाजनक है। बहुत से राज्यों में कुछ स्थानीय उद्यमी मिड डे मील योजना पर एकाधिकार हासिल कर रहे हैं, खाने की गुणवत्ता पर नियंत्रण के उपाय अपर्याप्त है, साफ–सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता और कोई भी योजना की गुणवत्ता की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जब एक अच्छी योजना का क्रियान्वयन खराब ढंग से होता है तो इससे यही बात साबित होती है कि सरकार के पास गरीबों की भलाई के लिए पैसा तो है, किंतु क्रियान्वयन के लिए नवाचारी सोच नहीं। जहां ज्यादा पैसा होता है वहां बड़े खिलाड़ी भी पहुंच जाते हैं। शुरू में यही योजना थी कि खाना बनाने और इसे स्कूलों तक पहुंचाने का काम एनजीओ और स्वयं सहायता समूहों का होगा और शिक्षक इसे परोसेंगे। हालांकि 2012 के नवंबर में हर्ष मंदर द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार इस योजना का निजी ठेकेदारों ने अपहरण कर लिया। उत्तर प्रदेश में तो एक शराब माफिया को इस योजना पर एकाधिकार जमाते देखा गया। कर्नाटक में पूरा ठेका एक निजी कंपनी को दे दिया गया। महाराष्ट्र में निविदा में यह शर्त डाल दी गई कि कंपनी का कम से कम एक करोड़ रुपये का कारोबार होना चाहिए। इस शर्त ने तमाम छोटे–छोटे स्वयं सेवी समूहों एवं महिला मंडलों को इस काम के लिए अयोग्य ठहरा दिया। बाद में बहुत से महिला मंडल बड़े ठेकेदारों के लिए काम करने लगे। फलतः इस योजना में एक हिस्से का व्यय और जुड़ जाता है।

मिड डे मील की सबसे बड़ी समस्या यह है कि स्कूलों में खाद्य सामग्री का भंडारण करने, खाना बनाने और परोसने की सुविधा नहीं है। देश के लगभग सभी राज्यों के अधिकांश सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के पास मात्र दो या तीन कमरे होते हैं, कहीं–कहीं पर तो एक या दो ही कक्ष है। बच्चे खुले में, पेड़ों के नीचे पढ़ने को विवश होते हैं। आदर्श स्थिति तो यह है कि खाना स्कूल में ही बनना चाहिए ताकि छात्रों को गरमागरम, स्वास्थ्यवर्द्धक और ताजा खाना मिले। इसके लिए स्कूल में रसोईघर और स्टोर का होना जरूरी है। किंतु छह लाख गांवों के इस देश में अभी तक उपयुक्त स्कूलों की कमी है एवं बच्चे खुले में पढ़ने को मजबूर हैं। देश के आधे से अधिक स्कूलों में पानी और शौचालय तक की प्राथमिक व्यवस्था नहीं है। ऐसे में वहां रसोई और स्टोर जैसी व्यवस्था विलासिता से कम नहीं लगते।

लोगों को यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि अनाज केवल भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में ही नहीं सड़ता। 2008 की ऑडिट रिपोर्ट से पता चलता है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में तीन साल के दौरान 546 टन अनाज सड़ गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में खाद्य सामग्री स्कूल के रसोई घर या स्टोर में रखी जाने के बजाय ग्राम प्रधान या प्रधानाचार्य के घरों में रखी होती है, जो नियमों के विरुद्ध है लेकिन स्थान व भंडारन की कमी सभी को आंखें मीचने को विवश कर देती है। ऐसे में कई बार इसका तमाम हिस्सा चूहे व दुधारू पशु खा जाते हैं। पर्याप्त ढांचागत सुविधाओं के अभाव में यह हैरानी का विषय नहीं है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का स्तर बहुत खराब है। आए दिन खबरें आती रहती हैं कि मिड डे मील में मृत चूहे, छिपकली, मेढ़क, काक्रोच और कीड़े–मकोड़े पाए गए। खाना बनाने वाले साफ–सफाई का ध्यान नहीं रखते। निगरानी रखने वाले भी पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं होते या अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाते हैं।

पिछली कुछ घटनाओं से सबक लेकर छात्रों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार ने यह जरूरी कर दिया है कि बच्चों को भोजन परोसने से पहले टीचर इसे चखेंगे। यह खाद्य सुरक्षा के तमाम सिद्धांतों को धता बताता हुआ, क्योंकि केवल चखने के आधार पर यह पता नहीं लगाया जा सकता कि भोजन खाने योग्य है अथवा नहीं। इसके लिए तो खाद्य पदार्थों के नमूनों का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाना चाहिए और हर राज्य में यह काम तकनीकी लैबों को सौंप देना चाहिए। योजना के क्रियान्वयन के लिए केवल शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराने के बजाय सक्षम निगरानी तंत्र विकसित किए जाने की जरूरत है, जिसमें अभिभावकों के साथ–साथ स्थानीय संस्थानों की भागीदारी भी हो। अगर सुधार के उपाय नहीं किए गए तो छात्रों का पेट भरने वाली विश्व की सबसे बड़ी योजना कुपोषण और भूख मिटाने से कारगर साबित नहीं होगी। यहां पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि कुछ दिन तक तो अध्यापक भोजन को चखेंगे लेकिन कुछ दिनों बाद वे यदि नहीं चखेंगे तो इसको कौन देखेगा। निगरानी तंत्र के अभाव में इसकी बहुत अधिक संभावना है। यहां पर मतलब स्पष्ट है कि किसी भी योजना को बनाने के साथ–साथ इसका एक निगरानी तंत्र एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया भी बनाई जानी चाहिए ताकि योजनाओं को सक्षमता, सटीकता एवं सुदृढ़ता से क्रियान्वित करके अपेक्षित जनसंख्या तक लाभ पहुंचाया जा सके।

लालच बुरी बला है

लघु कथा

नेहा पांवरी
सहायक प्रबंधक

दक्षिण सुदूर में यवन नामक एक देश था। यवन देश के राजा के महल के बाहर बंदरों का झुंड रहता था। राजा के पुत्र प्रतिदिन बंदरों के साथ खेलते थे। उसी राज्य में राजा की घुड़साल के पास कुछ भेड़ों क झुंड रहता था। भेड़ और बंदरों में बहुत लड़ाई होती थी। बंदर जहां चंचल स्वभाव के साथ उल्टी–सीधी हरकतें करते थे, वहीं भेडें अत्यंत शांत स्वभाव की थी और अपने काम से काम रखती थीं।

यद्यपि सारे बंदर चंचल एवं गुस्ताख थे, तथापि इन बंदरों का राजा काफी गंभीर स्वभाव वाला, बुद्धिमान एवं समझदार था। वह बंदरों और भेड़ की आपसी लड़ाई–झगड़े से प्रसन्न नहीं था। बंदरों के राजा को लगा के भेड़ और बंदरों की लड़ाई एक दिन बंदरों के विनाश का कारण बनेगी। उसने सभी बंदरों से राज्य को छोड़ने के लिए कहा परंतु राज्य के सुख और आराम को कोई भी बंदर त्यागने को तैयार नहीं था। सभी बंदरों की राय थी कि ऐसा सुख–वैभव व खान–पान छोड़कर वे क्यों जाएं यदि जाना ही है तो भेड़े राज्य छोड़ कर जाएं।

सच है कि कोई भी प्राणी स्वयं कुछ नहीं करता, बल्कि वह वही करता है जो ईश्वर चाहता है। यही कारण है कि कई बार जान–बूझकर भी हम परिस्थितियों को बदल नहीं पाते और वही होकर रहता है, जो ईश्वर ने तय कर रखा होता है। बंदरों के राजा ने अपने अनुभव एवं पूर्वाभास से किसी भावी अनिष्ट को टालने का प्रयास तो बहुत किया किंतु उसके साथी बंदरों ने उसकी एक न सुनी। कुछ दिनों बाद एक छोटी सी घटना घटी। हुआ यह कि एक दिन अपने झुंड से अलग होकर एक भेड़ राजा की रसोई में जा पहुंची। भेड़ को देखते ही रसोईये ने चूल्हे की जलती हुई लकड़ी से उस पर वार किया, जिससे भेड़ के शरीर में आग लग गई। अपने प्राणों को संकट में देख भेड़ आग बुझाने के लिए राजा की घुड़साल में भाग कर जा घुसी और जमीन पर लोट–पोट करने लगी। भेड़ की आग तो नहीं बुझी पर वहां घुड़साल में आग लग गई और राजा के सारे घोड़े जलकर जख्मी हो गए।

घोड़ों के ईलाज के लिए राजा ने वैद्य बुलाया। वैद्य ने बताया कि घोड़ों के घावों को बंदरों की चमड़ी से बनी औषधि से ही ठीक किया जा सकता था। यह सुनते ही राजा ने महल में रहने वाले सारे बंदरों को पकड़ने का आदेश दिया। लगभग सारे बंदर पकड़कर एक बड़े पिंजरे में डाल दिए गए। मृत्यु का संकट सिर पर खड़ा देख सभी बंदरों को एहसास हुआ के उन्हें राजा की बात मान लेनी चाहिए थी और उन्हें खान–पान व वैभव का लालच नहीं करना चाहिए था। यदि अपने राजा की बात मान कर पहले ही महल छोड़ कर चले गए होते तो आज अपने प्राणों को नहीं गंवाना पड़ता। उन्हें यह समझ में आ गया था कि लालच का अंत सदा ही बुरा होता है। सचमुच लालच एक बुरी बला है।

विनोबा भावे

विनोबा के यूं तो दो छोटे भाई और भी थे, मगर मां का सर्वाधिक वात्सलय विनायक को ही मिला। भावनात्मक स्तर पर विनोबा भी खुद को अपने पिता की अपेक्षा मां के अधिक करीब पाते थे। यही हाल रूक्मिणी बाई का था, तीनों बेटों में 'विन्या' उनके दिल के सर्वाधिक करीब था। वे भजन–पूजन को समर्पित रहतीं। मां के संस्कारों का प्रभाव, भौतिक सुख–सुविधाओं के प्रति उदासीनता और त्याग की भावना किशोरावस्था में ही विनोबा के चरित्र का हिस्सा बन चुकी थी। घर का निर्जन कोना उन्हें ज्यादा सुकून देता। मौन उनके अंतर्मन को मुखर बना देता। वे घर में रहते, परिवार में सबके बीच, मगर ऐसे कि सबके साथ रहते हुए भी जैसे उनसे अलग, निस्पृह और निरपेक्ष हों, नहीं तो मां के पास, उनके सान्धिय में। 'विन्या' उनके दिल, उनकी आध्यात्मिक मन–रचना के अधिक करीब था। मन को कोई उलझन हो तो वही सुलझाने में मदद करता। कोई आध्यात्मिक समस्या हो तो भी विन्या ही काम आता। यहां तक कि यदि पति नरहरि भावे भी कुछ कहें तो उसमें विन्या का निर्णय ही महत्वपूर्ण होता था। ऐसा नहीं कि विन्या एकदम मुक्त या नियंत्रण से परे था। परिवार की आचार संहिता विनोबा पर भी पूरी तरह लागू होती थी। बल्कि विनोबा के बचपन की एक घटना है। रुक्मिणी बाई के बच्चों के लिए एक नियम बनाया हुआ था कि भोजन तुलसी के पौधे को पानी देने के बाद ही मिलेगा। विन्या बाहर से खेलकर घर पहुंचते, भूख से आकुल–व्याकुल मां के पास पहुंचते ही कहते "मां, भूख लगी है, रोटी दो" रोटी तैयार है, लेकिन मिलेगी तब पहले तुलसी को पानी पिलाओ। 'मां आदेश देती, नहीं मां, बहुत जोर की भूख लगी है।' अनुनय करते हुए बेटा मां की गोद में समा जाता। मां को उस पर प्यार हो आता। परंतु नियम अनुशासन अटल – 'तो पहले तुलसी के पौधे की प्यास बुझा' बालक विन्या तुलसी के पौधे को पानी पिलाता, फिर भोजन पाता। रुक्मिणी सोने से पहले समर्थ गुरू रामदास की पुस्तक 'दास बोध' का प्रतिदिन अध्ययन करतीं, उसके बाद ही वे चारपाई पर जातीं। बालक विन्या पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक ही था। वे उसे संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव और शंकराचार्य की कथाएं सुनातीं। रामायण, महाभारत की कहानियां, उपनिषदों के तत्व ज्ञान के बारे में समझातीं। संयास उनकी भावनाओं पर सवार रहता। लेकिन दुनिया से भागने के बजाय लोगों से जुड़ने पर वे जोर देतीं। संसार से भागने के बजाय उसको बदलने का आग्रह करतीं। बीसियों भाषाओं के ज्ञाता विनोबा जी देवनागरी को विश्व लिपि के रूप में देखना चाहते थे। भारत के लिए वे देवनागरी को संपर्क लिपि के रूप में विकसित करने के पक्षधर थे। वे कहते थे कि मैं नहीं कहता कि नागरी ही चले, बल्कि मैं चाहता हूं कि नागरी भी चले। उनके ही विचारों से प्रेरणा लेकर नागरी लिपि संगम की स्थापना की गयी है जो भारत के अंदर और भारत के बाहर देवनागरी को उपयोग और प्रसार करने के लिए कार्य करती है।

मंत्र

डा० जी.एन. सोमदेवे
सहायक महाप्रबंधक

आओ तुम्हें एक सलाह देता हूं।
कलह पूर्ण जीवन छोड़ ने का मार्ग दिखा दूं।
आओ तुम्हें पाप–पुण्य का सिद्धांत बताता हूं।
जीने के साथ–साथ मरने की कला सिखाता हूं।
आओ तुम्हें नशा मुक्ति का मार्ग दिखाता हूं।
शरीर के प्रत्येक अंग की कीमत समझाता हूं
आओ तुम्हें मैं भूल जाने की सलाह देता हूं।
आगे जाते हुए पीछे लौटना भी सिखाता हूं।
आओ तुम्हें कुटिल नीति छोड़ने की बात बताता हूं।
इंसानियत का संकल्प लेने की विनती दोहराता हूं।
आओ तुम्हें निरोग रहने का रहस्य बताता हूं।
योग प्राणायाम करने का महत्व समझाता हूं।
आओ तुम्हें मैं एक मंत्र बताता हूं।
दूसरों का दुख बांटों यही राग अलापता हूं।
दीन दरिद्रों की सेवा में सच्चा ईश्वर बसता है।
लालच, लोभए स्वार्थ के वश में; हे मानव क्यों फंसता है।

नव भारत का निर्माण

डा० अमर सिंह सवान
राजभाषा अधिकारी

सदियों से भारत ने माना –'सर्व धर्म सम भाव'
पूरी दुनिया ने देखा ज्ञान और दर्शन का भाव।
धन–वैभव के लिए नहीं था यह सोने की चिड़िया
ज्ञान–ज्योति का था प्रकाश, वेद–पुराण थे बढ़िया।

कोटि–कोटि वर्षों पहले हमने पूर्ण विश्व को जाना।
'वसुधा है कुटुब' की जैसी, हमने एक समान था माना।
सूर्य–चंद्र और ग्रह–नक्षत्र से करली काल की गणना
अंकों की पद्धति से जोड़ा; शून्य, दशमलव पढ़ना।।

सदियों पहले भारत ने अतिथि जनों को था देव पुकारा
शक, कुषाण हो यॉं हूण–मुगल; सबको यहां दुलारा।
विश्व विजेता बना सिकंदर, हिंद–ज्ञान से हारा था
सेल्यूकस ने पुत्री देकर एक रिश्ता नया संवारा था।।

भारत ने माना नारी को आदिशक्ति और जगत जननी
हर–पूजा पद्धति स्मृति में है मातृ–शक्ति दुख हरणी।।
हमने पूजनीय नारी को माना देव तुल्य सम्मान किया
गार्गी, मैत्रेयी, अनुसूया को ऋषियों जैसा मान दिया।।

हाय! मगर क्या आज हुआ; हम भूल गए सारी बातें
भूल गए हम अपनी संस्कृति, भूल गए ममता की रातें।
पग–पग पर क्यों अपमानित नारी व हिंसा का पात्र बनी
गर्भ में क्यों मरती है पुत्री; जीवित चिता में खाक बनी।।

सोचो–सोचो हे! भारत वंशी, सोचो हे मानस के पूत
क्यों आई यह अधम गिरावट, कहां गया वह ज्ञान अकूत।
जगो, उठो, समय को समझो, पकड़ो नवविकास की गति
लेकिन आंखें खोल सजग बन; अपनाओ सर्वोत्तम मति।।

पश्चिम की संस्कृति में केवल जो अच्छा है वह ही अपनाओ
चतुर बनो पर नहीं काग सम, न आंख मींच सबकुछ खाओ।
रिश्तों की पावनता समझे मा, बेटी, बहनों का सा सम्मान करें
न गलत करें न होने दें, ऐसे नव भारत का निर्माण करें।।

आप की पाती

महोदय,
आपके बैंक के द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिका "आवास भारती" का जुलाई–सितंबर, 2013 अंक आवास भारती अपने आप में एक अनूठी पत्रिका है। साज सज्जा से लेकर लेखों के चयन तक में कितनी गंभीरता से विचार किया जाता है यह इस लेख के निरंतर प्रगति ने इंगित किया है। सर्वप्रथम भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से आवास भारती को प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने हेतु मेरी ओर से तथा मेरी संस्था "कैपिटल फस्ट" की ओर से ढेरों बधाईयां। संपादकीय के माध्यम से हिंदी के प्रति संपादक जी के उच्च विचार पढ़कर बहुत अच्छा लगा। हम भी यही प्रार्थना करते है कि हिंदी को उसका उचित सम्मान और पद प्राप्त हो। हिंदी चेतना मास की झलकियां आपके बैंक में हिंदी के प्रति आस्था की एक तस्वीर प्रदर्शित करती है। सोमदेवे जी आपका लेख 'एक व्यावहारिक आवास नीति की आवश्यकता' बहुत ही उपयोगी एवं रूचिकर लेख है। लेख "धम्मपद" भगवान बुद्ध को समर्पित एक बहुत ही अच्छी रचना है। राजभाषा से संबंधित लेख "भाषायी विविधता को बचाना होगा" सरल तरीके से लिखा गया एक ज्ञानप्रद लेख है। लेख "पर उपदेश कुशल बहुतेरे" पठनीय एवं ज्ञानोपयोगी लगी। लेख 'मनोविक्षिप्ति' ने जिस प्रकार पागलपन और मनोविक्षिप्ति के बीच के अंतर को जिस प्रकार से समझाया है वह ज्ञानवर्धक लगा और इसके अगले भाग को पढ़ने के इच्छुक हैं। आशा है आगे भी हमें यह पत्रिका निरंतर प्राप्त होती रहेगी।

भवदीय
आशीष राणा
क्षेत्रीय व्यापार प्रमुख
कैपिटल फस्ट लिमिटेड
नई दिल्ली–110016

महोदय,
आपकी पत्रिका का जुलाई–सितंबर, 2013 का अंक आज मेरे हाथ में है। यह अंक सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक लेखों से भरपूर है। इसके सारे लेख एवं कहानियां ज्ञानप्रद एवं रोचक है। पत्रिका का कवर और पूरी पत्रिका की साज–सज्जा अति आकर्षक एवं सुंदर है। 'ओ ताऊ' कविता पढ़कर मैं चकित रह गया। इस कविता में दो पीढ़ियों की सोच के अंतर को दर्शाया गया है। पीछे छूटते ग्रामीण परिवेश के साथ इस कविता में आधुनिक तकनीकियों का बड़ा रोचक विवरण है। आज भी 80 प्रतिशत भारतीय इन तकनीकियों से अज्ञान है। इस कविता के रचयिता राजभाषा अधिकारी डा० सचान को हम हार्दिक बधाई एवं साधुवाद देते है। आशा है हमेशा की तरह आगे भी मुझे पत्रिका मिलती रहेगी।

भवदीय
(डा० एच.एस. राठौर)
अवकाश प्राप्त प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
एप्लाइड रसायन विभाग, अलीगढ़
मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

महोदय,
"आवास भारती" का 48वां अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद। पत्रिका में संकलित विषयों की विविधता एवं उनका आकर्षक तथा सुरूचिपूर्ण प्रस्तुतीकरण सारगर्भित है। एक तरफ आवास से संबंधित आलेख हैं, जिनसे 'एक व्यावहारिक आवास नीति की आवश्यकता', 'भारत में हरित भवन (ग्रीन हाउस) हरित आवास/निर्माण क्या है?' तथा 'भूमि कानून और ग्रामीण आवास वित्त' आदि की बेहतर समझ विकसित होती है, दूसरी तरफ राजभाषा हिंदी की प्रगति हेतु विभिन्न गतिविधियों के आयोजन का मनमोहक प्रस्तुतीकरण पत्रिका को विशिष्टता प्रदान करता है। 'भाषायी विविधता को बचाना होगा' में श्री सौरभ शेखर झा ने "सांस्कृतिक बहुलता और भाषायी विविधता भारत की पहचान और गौरव है" को बखूबी उकेरा है। "ना खींचो कमान, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो, अखबार निकालो" अकबर इलाहाबादी के इस कथन के माध्यम से श्री राम नारायण चौधरी ने अपने आलेख 'लोकतंत्र एवं समाज निर्माण में प्रेस की भूमिका' में प्रेस के महत्व को रेखांकित किया है। 'अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की दिशा में बड़ी छलांग–मंगलयान', प्रौद्योगिकी और दुष्प्रभाव', 'मनुष्य और अध्यात्म', और 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' आलेख अत्यंत ही ज्ञानवर्द्धक है। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल संबंधित सतर्कता और सावधानी पर रंजन कुमार द्वारा लिखित आलेख पाठकों के लिए उपयोगी साबित होगा। 'काव्य सुधा' के अंतर्गत 'आजादी के 66 साल' और 'ओ ताऊ' कविता वर्तमान भारतीय परिदृश्य में बहुत ही प्रासंगिक लगती है। 'आवास भारती' राजभाषा हिंदी के विकास के लिए यूं ही प्रयत्नशील रहे, इसके लिए मैं आपको एवं पत्रिका के संपादक मंडल को शुभकामनाएं देता हूं साथ ही नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी।

भवदीय,
(श्री लाल प्रसाद)
सदस्य सचिव
नराकास, दिल्ली

महोदय,
पत्रिका में प्रकाशित विषय–वस्तु उच्च स्तरीय है। आपकी पत्रिका का प्रत्येक अंक संग्रहणीय है। आपके संपादक मंडल द्वारा विषय सामग्री का चयन सुविचारित एवं सुनियोजित है। पत्रिका में विषयों का चयन और उनका प्रस्तुतिकरण संतुलित रूप से किया गया है। कृपया पत्रिका को इसी प्रकार अग्रिम पंक्ति की पत्रिका बनाए रखें। पत्रिका के नियमित प्रकाशन एवं उज्जवल भविष्य के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा है यह पत्रिका हमें नियमित रूप से प्राप्त होती रहेगी।

भवदीय,
(राकेश कुमार सुन्दरियाल)
हिंदी अधिकारी,
सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज
कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

महोदय,
पत्रिका का कलेवर आकर्षक है तथा इसमें शामिल लेख एवं रचनाएं स्तरीय और सारगर्भित है। पत्रिका में विभिन्न विषयों का समावेश इसकी विविधता विविधता का परिचायक है। पत्रिका में योगदान देनेवाले लेखकों एवं रचनाकारों को तथा पत्रिका के सुंदर प्रकाशन के लिए संपादन मंडल के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं पत्रिका के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए शुभकामनाएं।

भवदीय,
(बाजिल शेख)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव

CELEBRATING 25 YEARS

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

महिला सशक्तिकरण की दिशा में बैंक का एक प्रयास

शहरी क्षेत्रों में महिलाओं तक औपचारिक आवास वित्त के प्रवाह को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने महिलाओं हेतु एक विशेष पुनर्वित्त योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में खुदरा ऋणदाता संस्थानों को महिला उधारकर्ताओं को दिए जाने वाले आवास वित्त के पहुंच को बेहतर करने हेतु संस्थानों को प्रोत्साहित करने हेतु रियायती दर पर निधियां उपलब्धि कराने की परिकल्ना की गई है।

इस योजना की प्रमुख विशेषताएं

प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों के द्वारा महिला उधारकर्ताओं (या अकेले या अन्यद महिला/पुरुष साथी या पति के साथ) तक आवास ऋणों के विस्तार के संबंध में निम्न हेतु पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराना:

- आवास इकाईयों का निर्माण/खरीद
- आवास इकाईयों की मरम्मात/नवीकरण/अद्यतन

विशिष्टता
1. **ऋण आकार–** 20 लाख रु.
2. **स्थल–** शहरी
3. **अवधि–** 1 वर्ष से 15 वर्ष

पात्र उधारकर्ता

- एकल उधारकर्ता होने पर– उधारकर्ता महिला होनी चाहिए
- सह–उधारकर्ता होने पर– प्राथमिक उधारकर्ता महिला होनी चाहिए
- वित्त पोषित किए जाने वाले संपत्ति का स्वामित्व– महिला उधारकर्ता वित्त पोषित किए जाने वाले संपत्ति की एकल/संयुक्त स्वामी होनी चाहिए।
- ऋण प्रारंभ – 01.07.2013 को या उसके बाद संस्वीकृत/संवितरित ऋणों हेतु

इस योजना के तहत पुनर्वित्त कुछ अवधि के बाद पुनर्निर्धारण सहित जिसपर संवितरण के समय राष्ट्रीय आवास बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बीच सहमति होगी, स्थिर दर पर प्राप्त होगी। पुनर्निर्धारण के समय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पास बिना किसी पूर्व भुगतान लेवी के बिना खाता में बकाया शेष के भुगतान का विकल्प होगा।

उदारीकृत पुनर्वित्त योजना के तहत लागू अन्यव नियम एवं शर्तों के बारे में समय–समय पर सूचित किया जाएगा।

रा.आ.बैंक के प्रयासों की विस्तृत जानकारी हेतु, कृपया वेबसाइट www.nhb.org.in को देखें।

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK
(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

नई दिल्ली (मुख्यालय), अहमदाबाद, बैंगलूरू, चैन्नै, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, भोपाल, भुवनेश्वर, नागपुर,